खण्ड-343, अंक-7
मंगलवार, 16 माघ, शक संवत् 1901
(5 फरवरी, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 343 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	593–597
प्रश्नोत्तर	597–637
ललितपुर जिले के बिल्ला निवासी श्री रामचरण की थाना जौनपुर द्वारा आर्म्स ऐक्ट के अधीन गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	637
जनपद गाजीपुर के दिलदार नगर कस्बे में अराजकता की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	637–638
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय के कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने से कर्मचारियों में असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	638
हरदोई में माधोगंज के निकट ऐतिहासिक स्थान रोइयां नरेश नरपति सिंह की गढ़ी को आवागमन के साधनों से युक्त करने तथा उसकी खुदाई कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	639
इलाहाबाद जनपद में बिजली के तारों की चोरी तथा डकैतियों के आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	639
प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय ग्रामों में डकैतियां तथा हत्यायें एवं पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	639–640
बृन्दावन के प्राच्य दर्शन महाविद्यालय के प्राचार्य, डाक्टर शरण बिहारी गोस्वामी पर प्राण घातक हमले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	640
जनपद बांदा के थानाध्यक्ष अतर्रा के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	641
उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	641–642
सूत के दामों में बढ़ोत्तरी से बुनकरों को कठिनाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	642
आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी नगर की कृषि मण्डी में लूटपाट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	642–643
हिन्दी साहित्य के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की चिकित्सा व्यवस्था तथा आर्थिक सहायता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	643–644
फरेन्दा महराजगंज, जनपद गोरखपुर के गांवों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा भयानक नुकसान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	644
सिंचाई मण्डल, बांदा के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा केन नहर के सैकड़ों कुलाबों को उखड़वा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	644–645
प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के नरायनपुर दौरे के संबंध में औचित्य के प्रश्न	645–647
त्रिभाषा फार्मूले से संस्कृत को निकाले जाने से संबंधित कमेटी गठित किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग	648–649

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	649
उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979–80) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	649
उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979–80) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	649
उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979–80) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	649
उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1979–80) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	649
उत्तर प्रदेश सप्तम् विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1979–80) का षष्ट प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	650
स्वतन्त्र भारत, दैनिक जागरण तथा नेशनल हेराल्ड के सम्पादक और यू0एन0आई0 के प्रतिनिधि के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	650
श्री राधेश्याम त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक, गोण्डा तथा पी0ए0सी0 के एक दरोगा के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	651–652
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव स्वीकृत (स्वीकृत) ..	652
नियमों का निलम्बन करके विधान सभा भंग न किये जाने संबंधी प्रस्ताव लिये जाने की मांग	652–654
सदन के चलते हुए नरायनपुर से संबंधित घटना पर मुख्यमंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	654
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	654–656
उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	656
उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	656
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	656–657
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	657
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	657
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	657–658
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरःस्थापित किया गया)	658

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 (पुर:-स्थापित किया गया)	658
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 (पुर:स्थापित किया गया)	658–659
वाराणसी मण्डल को आवंटित चावल व गेहूं को आन्ध्र प्रदेश भेजे जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	659–660
1979–80 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा ..	660–697
1979–80 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–6 संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति एवं बिक्री कर) (स्वीकृत) ..	697
अनुदान संख्या–9–स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग (स्वीकृत) ..	697–698
अनुदान संख्या–12–परिवहन विभाग (स्वीकृत)	698
अनुदान संख्या–18–सचिवालय (स्वीकृत)	698
अनुदान संख्या–19–कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत) ..	698
अनुदान संख्या–21–सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग (स्वीकृत) ..	698–699
अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	699
अनुदान संख्या–29–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	699
अनुदान संख्या–31–नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वीकृत)	699
अनुदान संख्या–33–वित्त विभाग (राज्य लाटरी) (स्वीकृत) ..	699–700
अनुदान संख्या–34–शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	700
अनुदान संख्या–35–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	700
अनुदान संख्या–38–विज्ञान और प्राद्योग विभाग (स्वीकृत)	700
अनुदान संख्या –39–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत) ..	700–701
अनुदान संख्या –44––आवास एवं नगर भूमि विभाग (स्वीकृत) ..	701
अनुदान संख्या–45–सूचना विभाग (स्वीकृत)	701
अनुदान संख्या– 48–हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत) ..	701
अनुदान संख्या–52–सहकारिता विभाग (स्वीकृत)	701–702
अनुदान संख्या–53–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र (स्वीकृत)	702
अनुदान संख्या–55–कृषि विभाग (कृषि) (स्वीकृत)	702
अनुदान संख्या–56–कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) ..	702
अनुदान संख्या–58––ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत)	702–703
अनुदान संख्या–59––पंचायती राज विभाग (स्वीकृत)	703
अनुदान संख्या–61––क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत)	703
अनुदान संख्या–62––खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	703
अनुदान संख्या–63––पशुधन विभाग (स्वीकृत)	703–704
अनुदान संख्या–66––वन विभाग (स्वीकृत)	704
अनुदान संख्या–69––उद्योग विभाग (ग्राम्य एवं लघु उद्योग) (स्वीकृत) ..	704

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 72--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) (स्वीकृत)	704
अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत)	704-705
अनुदान संख्या 77--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत) . .	705
अनुदान संख्या 78--सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) (स्वीकृत)	705
अनुदान संख्या 82--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	705
अनुदान संख्या 85-ख-गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) . .	706
अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	706
अनुदान संख्या 89--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) . .	706
अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	706
अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	707
अनुदान संख्या 98--ग्राम्य विकास विकास-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) . .	707
अनुदन संख्या 105-सिंचाई विभाग निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	707
अनुदान संख्या 107--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	707
अनुदान संख्या 111--शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	708
अनुदान संख्या 114--आवास विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	708
अनुदान संख्या 115-राजस्व विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	708
अनुदान संख्या 117-- उद्योग विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	708
अनुदान संख्या 118--विशष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	709
अनुदान संख्या 121--उद्योग विभाग (चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	709
अनुदान संख्या 122--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	709
अनुदान संख्या 123--कृषि विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	709
अनुदान संख्या 125--पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	710
अनुदान संख्या 128--वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . .	710
उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 (पारित)	716-715
सदन को भंग न किये जाने संबंधी प्रस्ताव लाने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	715
प्रदेश में मतदाता सूची संशोधित करके चुनाव कराये जाने संबंधी प्रस्ताव को लिये जाने के संबंध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	715-716
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	717
बांदा जिले के कर्वी तहसील में थाना कमासिन के अन्तर्गत जमींदारों एवं सामंतों द्वारा हरिजनों पर गोली चलाये जाने की घटना में संबंध मे नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	717-720
नत्थियां	721-726

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार; 5 फरवरी 1980

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य–374

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमा कान्त बाजपेई, (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0सी0ग्राइस श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरुप्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह, मेहरा, श्री
गौरीदेवी, श्रीमती
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल , श्री
छोटे लाल 'निर्भय,' श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह,श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद,श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी0पी0बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तजभान सिंह, कुंवर
त्रिवेनी सिंह,श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
नौनिहाल सिंह, चौधरी
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह भाटी, श्री
प्रताप सिंह, 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर

बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बालकृष्ण, श्री
बिन्दूलाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बृज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री

राज नरायन; श्री
राजनाथ सिंह; श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
रामलखन दुबे, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शकंर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशिप्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सच्चिदानन्द, श्री

सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिकेबल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिकिशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री

नोट :—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा नियोजन राज्य मंत्री, श्री महिपाल सिंह शास्त्री भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 5 फरवरी, 1980

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियां

**1—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों का अध्ययन शासन द्वारा हो चुका है? यदि हां, तो वे संस्तुतियां क्या हैं और उन्हें सदन के पटल पर रखने और तुरन्त लागू करने में शासन को क्या कठिनाई है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों पर मंत्रि-परिषद् द्वारा गठित उप-समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने और उसे लागू करने के बारे में उपरोक्त मंत्रि-परिषद् की उप समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर तथा रिपोर्ट के मुद्रण के पश्चात् निर्णय लिया जायगा।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि सर्वाधिक पिछड़ा आयोग की मुख्य संस्तुतियां क्या हैं और उन संस्तुतियों के किन-किन मुद्दों पर विचार करने के लिए किन-किन लोगों की उप-समिति का गठन कब किया गया और समिति कब तक अपनी संस्तुति शासन को दे देगी?

श्रीमती चन्द्रावती--

आयोग की जो संस्तुतियां हैं कुछ तो सामाजिक हैं, कुछ शैक्षिक और व्यवसायिक और कुछ अन्य संस्तुतियां हैं। उप समिति का जो गठन हुआ है इसकी बैठक सितम्बर में हो चुकी है और इसकी एक मीटिंग 7 दिसम्बर, को हो चुकी है। इसकी वर्तमान पोजीशन यह है कि इसकी जो रिपोर्ट है, उसकी फर्स्ट-प्रूफ-रीडिंग हो चुकी है, दूसरी प्रूफ-रीडिंग के बाद इसी महीने इसका मुद्रण हो जायगा और शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को मय संस्तुतियों के कब तक सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

बता तो दिया है कि शीघ्र रखवा देंगी। आप समय बता दें कब तक प्रस्तुत कर देंगी। निश्चित समय बता दें।

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर...

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

आजकल तो हर चीज अनिश्चित है.....

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, निश्चित समय भगवान ही बता सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी, उसमें यह भी एक प्रश्न था कि पहले बहुत सी जातियों को हरिजनों के अन्तर्गत लाया गया और अनुसूचित जाति, जन-जाति को नहीं लाया गया जो पिछड़े वर्ग के भी लोग हैं, क्या इस प्रश्न पर भी इसमें संस्तुति है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

सूची है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह छेदी लाल साथी कमीशन की रिपोर्ट 24-3-78 को आपको प्रस्तुत की जा चुकी है और उस पर अब तक आपने जो उप-समिति गठित की हैं, उसने किन-किन मुद्दों पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और इन मुद्दों में से कितने मुद्दे ऐसे हैं जिन पर विचार होना शेष है। क्या माननीय मंत्री जी इस उप समिति की रिपोर्ट की जानकारी देंगी जिस पर विचार हो चुका है ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, पिछड़े वर्ग के सम्बन्ध में जो छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट है इसमें पहले तो विभागों से पूछा गया। अधिकारी वर्ग ने यह कहा कि वह निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके बाद यह निश्चय हुआ कि एक उप समिति बनाकर इसके माध्यम से इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मेरी बात का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष---

उप समिति की रिपोर्ट आने पर ही वह बतला सकेंगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा---

मैंने कहा था कि 24-3-78 को रिपोर्ट प्राप्त हो गयी थी और अब फरवरी, 80 हो गया है, तो दो साल तक यह रिपोर्ट कहां पड़ी रही और 24-3-78 को यह प्राप्त हुई थी या नहीं ?

श्रीमती चन्द्रावती---

मैंने बतलाया कि 7 दिसम्बर को उप समिति बनी है और जब उप समिति की बैठक होगी तब इस पर विचार होगा। बीच में चुनाव हो गये। इसलिये कुछ कार्य नहीं हो सका। अब शीघ्र ही इस पर कार्य होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)---

पिछड़ी जातियों के आरक्षण पर भी उस समिति ने कोई संस्तुति की है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्रीमती चन्द्रावती---

आरक्षण पर 17, 10 और ढाई की रिपोर्ट है लेकिन जो 15 परसेंट का ही आरक्षण हुआ था वही कार्यान्वित नहीं हुआ है।

श्री रियासत हुसैन---

मुस्लिम धोबी और हलालखोर मुस्लिम मेहतर ये पिछड़ी जातियों में शामिल हैं। क्या इस कमीशन की ऐसी कोई संस्तुति है कि संविधान में केन्द्रीय सरकार संशोधन करके इन दोनों जातियों को मुसलिम शेड्यूल कास्ट में ले आया जाय ?

श्रीमती चन्द्रावती---

यह तो मैं तभी बतला सकूंगी जब रिपोर्ट आ जायगी।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि हाई कोर्ट के 2 फरवरी, 79 के जजमेंट में यह स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हाई कोर्ट में छेदीलाल साथी कमीशन के आधार पर एफिडेविट प्रस्तुत किया गया ? तो क्या सरकार जब तक सदन के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है जब तक छेदीलाल साथी कमीशन की रिपोट के आधार पर एफिडेविट प्रस्तुत करना उचित था ? दूसरे एम0 आर0 भल्ला केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चय किया है कि संविधान के आधार पर क्योंकि पिछड़ा वर्ग, एक वर्ग है न कि सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग अतएव इस आधार पर उक्त रिपोर्ट क्या सर्वथा असंवैधानिक नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)---

क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि जिस उप समिति का उन्होंने जिक्र किया है, उसमें वह भी सदस्य हैं और उसके कितने और सदस्य हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती---

हां, मैं भी हूं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

कितने सदस्य और हैं इस उप समिति में ?

श्रीमती चन्द्रावती---

मान्यवर, उसमें श्री राम नरेश यादव, अध्यक्ष, श्री मोहम्मद मसूद खां सदस्य, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सदस्य, श्री मधुकर दिघे, सदस्य, श्री राजेन्द्र सिंह सदस्य, श्री श्रीचन्द, सदस्य, श्रीमती चन्द्रावती सदस्या, श्री हरि किशन, सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, अभी माननीया मंत्री जी ने अपने पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि अभी मंत्रि-मंडलीय उप समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने यह भी कहा है कि रिपोर्ट मुद्रित हो रही है और उसका फर्स्ट प्रूफ भी जा जा चुका है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस मंत्रि-मंडलीय उप समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने छेदीलाल साथी की रिपोर्ट के बारे में कहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

उनको कोई अन्तरिम रिपोर्ट उसकी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

श्रीमन, जो समिति गठित की गई है उसकी अन्तरिम रिपोर्ट नहीं आयी है। इसलिये उसका प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग को दिया गया एक्सटेन्शन

**2---श्री नेम सिंह चौहान, (जिला अलीगढ़) श्री राम अधार (जिला आजमगढ़) तथा श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि वर्तमान निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा 31 मामले कोर्ट/ट्रिब्यूनल में दायर किए गए थे, जिनमें से नौ मामलों में से निर्णय कोर्ट ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया है और सभी के निर्णय प्रशासन/शासन के विरुद्ध हैं फिर भी वर्तमान निदेशक को 31 दिसम्बर, 1979 को 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर एक्सटेंशन दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

वर्तमान निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग की नियुक्ति निदेशक के पद पर दिनांक 26 मार्च, 1968 को हुई थी, तब से लगभग इन 12 वर्षों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के कर्मचारियों में सेवा संबंधी मामलों में कुल 30 वाद उच्च न्यायालय अथवा लोक सेवा अधिकरण में दायर किये हैं। इनमें से 12 वाद वर्तमान निदेशक के आदेशों के विरुद्ध हैं जिनमें से 8 वादों में निर्णय हो गये हैं। निर्णीत इन 8 वादों में 5 वाद खारिज कर दिये गये तथा शेष 3 वादों में याचिकायें स्वीकार की गई।

शेष 26 वाद शासन के अथवा अन्य अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध दायर किये गये, किन्तु विभागाध्यक्ष के नाते निदेशक को भी इन वादों में पार्टी बनाया गया। 4 वाद तो ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध हैं।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग ऐसे एक बड़े संगठन में, जहां लगभग 2,000 कर्मचारी कार्य करते है और रोज ही अनेकों सेवा संबंधी मामलों में निर्णय होते रहते हों, लगभग 12 वर्षों की लम्बी अवधि में केवल 38 सेवा संबंधी मामलों का सुच्च न्यायालय अथवा लोक सेवा अधिकरण में जाना कोई आश्चर्यजनक अथवा अप्रत्याशित बात नहीं है और केवल इसके आधार पर वर्तमान निदेशक के संबंध में कोई प्रतिकूल धारणा नहीं बनाई जा सकती है।

वर्तमान निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, श्री दयाल प्रसाद सक्सेना के अवकाश ग्रहण करने की तिथि 31 दिसम्बर, 1979 थी। प्रभाग को संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार निदेशक के पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है। अत: लोक सेवा आयोग से इस पद के लिये चयन करने का अनुरोध किया गया था, किन्तु आयोग ने 31 दिसम्बर, 1979 तक इस पद हेतु कोई चयन नहीं किया। इस प्रकार निदेशक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु कोई व्यक्ति 31 दिसम्बर, 1979 को उपलब्ध नहीं था। निदेशक अपने विभाग के विभागाध्यक्ष हैं तथा उनके पद से जिस प्रकार प्राविधिक कार्यों की दिन प्रतिदिन अपेक्षा की जाती है उन्हें ध्यान में रखते हुए यह सम्भव नहीं हो सकता कि यह पद रिक्त छोड़ रखा जाय। अत: इन विशेष परिस्थितियों में वर्तमान निदेशक को ही फिलहाल अपने पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए शासन को विवश होना पड़ा।

तारांकित प्रश्न

राज्य सेवाओं की अधिकतम आयु सीमा में वृद्धि

*1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के चौथे मंगलवार (5-6-79) के निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयु सीमा वृद्धि के बा में क्या अब तक कोई निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो वह क्या है?

सूचना राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

जी हां, अधिसूचना संख्या 21/4/71-कार्मिक-2, दिनांक 23-6-79 द्वारा राज्यपाल के नियम विधायी अधिकार के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो 27 वर्ष की आयु सीमा 28 वर्ष की गई है और एक वर्ष का समय बढ़ा दिया गया है, तो वह किस-किस कोटि की सेवाओं में यह सीमा बढ़ा दी गई है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

यह केवल अधिकतम सीमा उन सरकारी सेवाओं के लिये जिनमें आयु सीमा 27 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सीमा 27 वर्ष से 28वर्ष की गई है, यह जूडिशियल सर्विसेज के बारे में भी लागू की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

यह सरकारी सर्विसेज की सीमा का प्रश्न था, उसी पर यह लागू हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या जुडिशियल सेवायें भी इसमें सम्मिलित की गई हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

सरकारी सेवाओं में अगर जुडीशियल सेवायें आती हैं, तो उनमें भी वह लागू होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें वह न हो, तो वह देख लीजिये।

श्री रियासत हुसैन---

अभी पिछले हफ्ते मैंने इस इश्यू की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि इस सीमा के अन्तर्गत क्या जूडीशियल सर्विसेज नहीं आती हैं, तो उसका जवाब मुझे मिला था कि विचार हो रहा है और वह जुडीशियल सर्विसेज के ऊपर अभी लागू नहीं है। मान्यवर, अभी इसकी सूचना मंत्री जी के पास न हो तो इस प्रश्न को इस समय स्थगित कर दिया जाय। क्योंकि जुडीशियल सर्विसेज वाले भी चाहते हैं कि हमारी भी सीमा बढ़ा दी जाय। जुडीशियल सर्विस में ला-ग्रेजुयेट जाते हैं। वे भी चाहते हैं कि 28 वर्ष हमारा भी कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें बाद में सूचना दे दीजिएगा। (श्री रियासत हुसैन के कुछ कहने पर) बाद में सूचना देने का यही आशय है कि इसको स्थगित किया जाता है।

सतर्कता अधिष्ठान की जांच में दोषी पाये गये प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को स्क्रीनिंग कमेटी से मुक्त किये जाने की मांग

*2---श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)---

क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अपनी जांच में दोषी पाए गए प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट में यदि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की संस्तुति की जाती है तो उस स्थिति में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करके मामला प्रशासकीय विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया जाता है। सतर्कता अधिष्ठान की संस्तुति पर प्रशासकीय विभाग में अग्रेतर कार्यवाही हेतु विचार किया जाता है और यदि उसके विपरीत कार्यवाही का विचार होता है तो अन्तिम निर्णय हेतु शासन के आदेश प्राप्त किये जाते हैं।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी---

उपाध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न यह था कि जब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के खिलाफ प्राइमाफेसाई केस बन जाता है, उनकी रिपोर्ट जब विजिलेंस से शासन को आ जाती है, तो उसको प्रासीक्यूट करने के लिए क्या स्क्रीनिंग कमेंटी से मुक्त करेंगे, इसका उत्तर नहीं मिला ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

यह जो चार्जंड आफिसर अपचारी अधिकारी से संबंधित सतर्कता अधिष्ठान से जो जांच आती है, उसके बाद जो दोषी पाया जाता है, उनके लिए प्रोसीजर दूसरा है। यह जो अनुपूरक है कि एक स्क्रीनिग कमेटी होती है वह स्क्रीनिग कमेटी ऐसे अधिकारियों के मामले देखती है जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, अथवा 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। वह गुणावगुण के आधार पर निर्णय करती है। जो दोषी अधिकारी हैं वह भी स्क्रीनिग कमेटी में जायेंगे जहां गुणावगुण के आधार पर फैसला होगा। इसलिए स्क्रीनिग कमेटी से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

मान्यवर, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमावली के पैरा 16 का जो औचित्य है, उसके आधार पर यह स्क्रीनिग कमेटी नियुक्त की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न स्पष्ट कर दीजिए।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमावली के पैरा 16 के औचित्य को ध्यान में रखते हुए क्या स्क्रीनिग कमेटी से मुक्त किया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका उन्होंने जवाब दे दिया कि स्क्रीनिग कमेटी से मुक्त करना संभव नहीं है।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

प्रशासनिक सेवा नियमावली के अनुसार अगर किसी अधिकारी के खिलाफ सी0आई0 डी0 रिपोर्ट है, तो वह प्रोसीक्यूट किया जा सकता है लेकिन यह छूट केवल बेईमान अधिकारियों को बचाने के लिए दी गई है। अगर कोई भी अधिकारी किसी स्तर का हो यदि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का प्राइमाफेसाई केस बनता है और सतर्कता अधिष्ठान से रिपोर्ट आ जाती है तो उसे मुक्त न रखा जाय।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच करके जिन अधिकारियों को अपराधी पाया जाता है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का जो प्रोसीजर है, उसको मैंने निवेदन किया। हर तीन महीने में स्क्रीनिग कमेटी होती है, जो भी अधिकारी 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है उन सबको स्क्रीनिग कमेटी में जाना पड़ता है और सतर्कता अधिष्ठान की जो शिकायतें हैं, उन पर गुणावगुण पर फैसला लिया जाता है। इसलिए स्क्रीनिग कमेटी से मुक्त करने का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं जानना चाहता हूं कि सतर्कता अधिष्ठान जैसा कि विजिलेंस के अन्तर्गत आता है वह स्वयं एक तरह से स्क्रीनि करता है और स्वयं जां करके रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद सरकार दूसरी स्क्रीनिग कमेटी बनाती है तो इसकी क्या जरूरत पड़ती है ? क्यों यह बनाई जाती है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

श्रीमन्, यह स्क्रीनिंग कमेटी तो एक परमानेंट बाडी है। सतर्कता अधिष्ठान की जो रिपोर्ट आती है उसमें जो चार्ज्ड आफिसर होते हैं उनके लिए चार विकल्प हैं। यह अधिकार असाधारण राजाज्ञा उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग में जारी किये गये हैं।

उसके नियम 6 में शासन सतर्कता अधिष्ठान के रिपोर्ट की प्रतीक्षा करके यह विनिश्चय कर सकेगा कि निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही की जाए। वह चार कार्यवाहियां हैं। उसे अभियोग पत्र के साथ न्यायालय में भेजे, उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रशासनिक अभिकरण को निर्दिष्ट करे या उस मामले को समाप्त कर दें। इन चार मामलों में से शासन क्या करेगा, यह उसको पूर्ण अधिकार है। इसलिए आवश्यक है कि हर तीन माह में स्क्रीनिंग की जाए और उसके बारे में गुण-अवगुण के आधार पर क्या फैसला करना है, यह शासन कर सके।

श्री ऊदल---

क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि पिछले साल सतर्कता अधिष्ठान ने 60 लोगों की जांच करके अभियोग पत्र बना करके सरकार के पास भेज दिया था, किन्तु वे सारे मामले अभी तक स्क्रीनिंग कमेटी के अन्तर्गत पड़े हुए हैं, मुकदमे नहीं चलाए गए? क्या यह भी सही है कि यह जो स्क्रीनिंग कमेटी है, वह बड़े-बड़े उच्चाधिकारियों की है, जिनके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान ने रिपोर्ट दे दिया है, इसमें उनके खिलाफ मामले पड़े रह जाते हैं और स्क्रीनिंग कमेटी ने उनको एकदम दोषमुक्त कर दिया है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

यह उससे सम्बन्धित नहीं है, यह तो अलग है...

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, यह उसी से जुड़ा है, वरना मैंने उसकी इजाजत न दी होती।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, इसको आप स्थगित करा दीजिए। आई0ए0एस0 अधिकारियों की स्क्रीनिंग कमेटी बनी हुई है, जो आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारियों को बचाती है। इसका पूरा जवाब आना चाहिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

क्या मंत्री जी स्पष्टतया इसका उत्तर देंगे कि पिछले वर्ष स्क्रीनिंग कमेटी के सामने तमाम आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारियों के मामले भी आए थे और चूंकि इस कमेटी में यही अधिकारी होते हैं, इसलिए आरोप लगते हुए भी इनके खिलाफ मामले दोषसिद्ध नहीं हो पाते हैं और उनको मुक्त कर दिया गया है, क्या यह सही है?

श्री उपाध्यक्ष---

इस बारे में तो आप इनको निश्चित सूचना दें....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मेरी यह निश्चित सूचना है, मैं निश्चयात्मक प्रश्न ही कर रहा हूं। क्या यह सही है कि जिस स्क्रीनिंग कमेटी के बारे में अभी चर्चा हुई, उसके सामने कुछ ऊंचे अधिकारियों के मामले भी आए, जिनके बारे में सतर्कता अधिष्ठान ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसको सबको उस स्क्रीनिंग कमेटी ने दोष मुक्त कर दिया है?

श्री उपाध्यक्ष---

इसकी सूचना है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है, लेकिन यह बता दूं कि स्क्रीनिंग कमेटी में सतर्कता अधिष्ठान की रिपोर्ट पर ही नहीं, बल्कि उसकी चरित्र पंजिका आदि भी सामने रखी जाती है और इन सबको देखते हुए गुणदोष के आधार पर कोई फैसला लिया जाता है।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान ने अपनी रिपोर्ट दी, उनमें से कितनों के मामले स्क्रीनिंग कमेटी ने डिस्पोज-आफ किए और क्या यह भी जानकारी है कि उसमें आई० ए० एस० अधिकारी ही होते है और जो उनके खिलाफ आए हुए रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही नहीं करते है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल--

जब स्क्रीनिंग कमेटी का जिक्र है तो यह उसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी आप प्रश्न को देखें। उसके अनुसार आपको उत्तर देना चाहिए। पूरी सूचना नहीं है। इसलिए मैं इसको भी स्थगित करता हूं।

मुरादाबाद में विजयदशमी के अवसर पर हुई दुर्घटना की जांच

*3--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) तथा श्री राम जनम (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में (मुरादाबाद शहर में) कपूर कम्पनी के समीप काठ के पुल के दोनों तरफ विजयदशमी के मेले से लौटती भीड़ में सैकड़ों असामाजिक तत्वों द्वारा युवतियों एवं किशोरियों के साथ छेड़खानी अभद्र एवं अश्लील व्यवहार के कारण हुई भयंकर भगदड़ में साठ व्यक्ति दब कर मर गए तथा दो सौ बुरी तरह आहत हुए ? क्या आहत व्यक्तियों में तथा मृतकों में अधिकांश बालक तथा महिलाएं थीं ? यदि हां, तो घटना की न्यायिक जांच कराई जाएगी ?

श्री बनारसी दास--

जिले से प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 1-10-79 को मुरादाबाद नगर में विजयादशमी के मेले से लौटते समय कपूर कम्पनी के पास रेलवे के काठ के पुल पर भीड़ अधिक हो जाने के कारण घटित दुर्घटना में 27 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा 10 व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से दो की बाद में मृत्यु हो गई।

यह सही है कि उक्त मृतकों तथा घायलों में से अधिकांश बालक बालिकाएं ही थीं। घटना की जांच मण्डलायुक्त, बरेली द्वारा की जा रही है।

नागरिक सुरक्षा समिति, कुण्डा, जिला प्रतापगढ़ द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को दिया गया कथित ज्ञापन

*4--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-9-79 को जनपद प्रतापगढ़ में नागरिक सुरक्षा समिति कुण्डा ने कोई ज्ञापन जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक,

प्रतापगढ़ को दिया ? क्या यह सही है कि ज्ञापन में कुण्डा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्ट कार्य-प्रणाली तथा कुण्डा पेट्रोल पम्प पर पुलिस द्वारा अन्धा-धुन्ध किसानों की पिटाई करने पर न्यायिक जांच की मांग की गयी ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को कथित ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विद्या शंकर---

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि नागरिक सुरक्षा समिति, कुण्डा ने क्या दिनांक 26-9-1979 को एक ज्ञापन पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी को दिया, जिसकी कापी मेरे पास है। तो एक निश्चित सूचना के आधार पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस ज्ञापन के आधार पर कुण्डा पुलिस या दरोगा ने जो पिटाई किया है, उसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो कहते हैं कि कोई ज्ञापन दिया ही नहीं गया है ? मैं इसको अस्वीकार करता हूं आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री विद्या शंकर--

मेरे पास उस ज्ञापन की कापी है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो आपने प्रश्न किया कि पुलिस कप्तान को या जिलाधिकारी को कोई ज्ञापन दिया गया, उसको तो यह अस्वीकार करते हैं। आप कोई दूसरा प्रश्न करें।

श्री विद्या शंकर--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सूचना किसने दी है कि कोई ज्ञापन नहीं दिया गया है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जिला मजिस्ट्रेट से जो रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर प्रश्न का उत्तर बनता है। इसमें किसी के हस्ताक्षर हैं और कृते जिलाधिकारी है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से करवाने की कृपा करेंगे कि वास्तव में ज्ञापन दिया गया है या नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि ज्ञापन नहीं दिया गया है और माननीय सदस्य कहते हैं कि दिया गया है? तो आप क्या इसकी जांच करायेंगे कि ज्ञापन दिया गया है अथवा नहीं दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न करना चाहता हूं कि सामान्य शिष्टाचार और सर्विस रूल्स में यह व्यवस्था है कि शासन के पास जब कभी भी किसी प्रकार की सूचना जिले से आवेगी तो वह जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से आवेगी । किसी बाबू ने कृते करके हस्ताक्षर कर दिये, तो क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं आयेगा तो जैसा कि रोज कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी मंत्रि मंडल के सदस्यों के आदेशों की अवहेलना करती है, सूचना जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से आनी चाहिये । जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किये । क्या माननीय मंत्री जी इसको उचित समझते हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

मान्यवर, इसमें एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर किये हैं और कृते जिलाधिकारी किया है । मैं गुप्त जी को अश्वासन देना चाहता हूं कि अगर कोई जिलाधिकारी किसी शिष्टाचार का पालन नहीं करेगा, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल---

जब एस0 डी0 एम0 के माध्यम से आया है तो आप इसको स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

स्थगित नहीं होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

माननीय विद्याशंकर जी ने बताया कि उस ज्ञापन की प्रति उनके पास है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उनके पास जो उत्तर आया है कि वह जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से नहीं आया है, तो क्या वे सदन को आश्वासन देंगे कि जिस ज्ञापन की प्रतिलिपि माननीय विद्याशंकर जी के पास है, उसे उनके पास से लेकर फिर से उस पर जांच करायेंगे और सदन को सूचित करेंगे कि यह ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया था? यदि हां, तो क्या कार्यवाही गयी, इसकी भी विस्तृत सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

यदि माननीय सदस्य उस ज्ञापन की प्रति मुझे दे देंगे तो उस पर जांच कराकर मैं सदन को सूचित कर दूंगा । जहां तक जिलाधीश द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने का प्रश्न है इसे जिलाधीश की ओर से एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर करके भेजा है । डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो उत्तर आपने दे ही दिया है ।

प्रशासक, टाउन एरिया काकोरी, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*5---श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया) ---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ की टाउन एरिया काकोरी के प्रशासक (श्रीमती चन्द्रा निगम, पी0सी0 एस0) द्वारा टाउन एरिया में धन का गबन,

जालसाजी व भ्रष्टाचार आदि किये जाने के विरुद्ध दिनांक 2 मई, 1979 को शासन को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और उक्त दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी हां, शिकायत की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी (प्रशासन), लखनऊ के माध्यम से कराई गई। शिकायती पत्र में उल्लिखित 7 आ ोपों में से 6 आरोप जांचोपरान्त असत्य पाये गये। एक आरोप की जांच अभी की जा रही है । अतः कु0 चन्द्रा निगम के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जिस आरोप की जांच अभी चल रही है, वह क्या है और उस आ ोप की जांच कब तक पूरी हो जायगी ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जो अधिकारी इसकी जांच कर रहा है, वह भी उसी के समकक्ष अधिकारी है, जिसके विरुद्ध जांच हो रही है, जिनसे निष्पक्ष जांच की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिये किसी अन्य उच्चाधिका ी से जांच को कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

एक आरोप जिसमे एक चैक 580 पये का प्रशासक की हैसियत से काटा गया था, उसके संबंध में पूरे अभिलेख न मिलने के कारण जांच अभी जारी है । शेष 7 आरोपों में से 6 आरोप असत्य पाये गये थे । इस समय वे वहां पर प्रशासक के पद पर नहीं है, और बिक्री कर विभाग में डिप्टी कलेक्टर के पद पर आसीन हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

जब इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं हुयी है, एक आरोप अन्डर इन्वैस्टीगेशन है, तो किस आधार पर कह दिया गया कि उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी सातवें आरोप पर, इन्क्वायरी चल रही है, यह उनका कहना है ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया कि 6 आरोप असत्य पाये गये लेकिन एक आरोप पर इन्क्वायरी हो रही है । इसमें उन्होंने यह भी कहा कि उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता, यह उत्तर में दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह स्थिति इस समय की है । जब आ ोप सिद्ध होकर आयेगा, तब कार्यवाही करेंगे, यह आप समझ लीजिए ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

(व्यवधान) अगर एक भी आरोप में वे दोषी पायी गयीं, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा--

पहले प्रश्न के बारे में यह कहा गया है कि 7वां आरोप अन्डर इन्वेस्टीगेशन है, यह इन्वेस्टीगेशन कब तक पूरा हो जायगा और चूंकि इसमें समकक्ष अधिकारी जांच कर रहा है इसलिये निष्पक्ष जांच नहीं हो सकेगी । इसलिये क्या मंत्री जी इसकी जांच किसी उच्च जधिकारी द्वारा कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

ए0 डी0 एम0 (प्रशासन) समकक्ष अधिकारी नहीं हैं । फिर भी अगर एक आरोप के जांच के बाद जांच से माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम जांच पुन: करवा लेंगे । इसमें शिकायतकर्ता ने अपना पूरा नाम पता तक नहीं लिखा है ।

वर्ष 1977 के आम चुनावों के समय उन्नाव जनपद में हुए कथित घोटाले

*6--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वर्ष 1977 के लोक सभा तथा विधान सभा के चुनाव से संबंधित उन्नाव जनपद में धन का भारी घोटाला पाया गया है और क्या यह भी सच है कि एक कार्य हेतु कई-कई रसीदें अथवा भुगतान किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या इस घुटाले की जांच कराई जा रही है ? उपरोक्त अवधि में उन्नाव में जिला निर्वाचन अधिकारी कौन था ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

जी नहीं । उस अवधि में श्री बी0 डी0 माहेश्व ी जिला निर्वाचन अधिकारी थे ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को या जिलाधिकारी उन्नाव को इलेक्शन में घोटाले के संबंध में कुछ शिकायतें मिली थीं ? अगर हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

इसका तो उत्तर दिया गया है--"जी नहीं" ।

श्री रियासत हुसैन--

'जी नहीं' इस संबंध में कहा है ? आप यह बतला दें कि शिकायतें आपको या जिला-अधिकारी को प्राप्त हुई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो उत्तर दिया है कि 'जी नहीं' ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक ही कार्य के लिये कई-कई भुगतान किये गये हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस शिकायत की कोई जांच करायी गयी है ? अगर हां, तो कब और किसके द्वारा ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

उक्त निर्वाचन से संबंधित कई-कई रसीदें या भुगतान का मामला प्रकाश में नहीं आया है और जिस अवधि की शिकायत है उस अवधि का, महालेखाकार, इलाहाबाद द्वारा लेखा परीक्षण भी हो चुका है ।

पुलिस विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को पुलिस को रैंक्स दिया जाना

*7---श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पुलिस विभाग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को वर्ष 1966 में पुलिस रैन्क दिए जाने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1966 या उसके आस पास अन्य कर्मचारियों द्वारा उक्त योजना के विकल्प की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उनको कब तक रैन्क न दिये जाने के क्या कारण है? तत्सम्बधी आदेश कब तक प्रसारित होने की सम्भावना है ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

मेरी निश्चित जानकारी है कि श्रीमन् कि 1966 के मिडिल में, इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टीरियल स्टाफ से पुलिस रैंक्स दिये जाने की योजना के तहत 3 माह के अन्दर उनकी सहमति शासन ने मांगी थी । इसमें ज्यादातर लोगों ने अपनी सहमति दे दी, लेकिन करीब 20 लोगों ने अपनी सहमति इसलिये नहीं दी क्योंकि टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स आफ चार्ज ओवर साफ नहीं थे और उन लोगों ने स्पष्टीकरण मांगा था। उसके बाद शासन ने दोबारा उनसे आप्शन मांगा था, तो क्या मंत्री जी ने इन सारी बातों को आधार मानकर इस सारे मामले की फिर से जांच कराकर निश्चित उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

1966 में कुछ लिपिकों को पुलिस रैंक्स दिया गया था । 19 लोगों ने विकल्प के बारे में.....(व्यवधान) ।

अपनी सहमति नहीं दी । उनके मामले में रैंक देने पर चूंकि उन्होंने आप्शन नहीं दिया इसलिये उनको आर्थिक क्षति हुई है। अब फिर से शासन उन कर्मचारियों को पुलिस रैंक दिये जाने के बारे में विचार कर रहा है और इसके लिये उनको कहा गया है

गन्ना सहकारी समिति, जरवल रोड बहराइच को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु दिया गया अनुदान

*8---श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)---

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना सहकारी समिति, जरवल रोड (बहराइच) में गन्ना उत्पादकों का गन्ना मूल्य का गत सीजन 1978-79 का अनुदान का पैसा प्राप्त हो गया है ? क्या यह सही है कि उक्त समिति में गन्ना कृषकों को अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराने में धांधली, भ्रष्टाचार व गोलमाल करने की शिकायतें विभागीय अधिकारियों व शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार ने वास्तविक गन्ना उत्पादक को अनुदान दिलाने व अनियमितता के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

सीजन 1978-79 के गन्ना मूल्य अनुदान के मद में सहकारी गन्ना समिति जरवल रोड (बहराइच) को 10,04,955 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ ।

उक्त धनराशि में से रु0 9,59,009.97 गन्ना उत्पादकों को भुगतान कर दिया गया है ।

गन्ना कृषकों को अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराने में धांधली, भ्रष्टाचार व गोलमाल की कोई शिकायत विभागीय अधिकारियों एवं शासन से प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है ।

*9--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

*10--श्री ऊदल--

[चौथे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

देवरिया जिले के कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर घुघली के दरोगा की हत्या

*11--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30-31 जुलाई, 78 की रात में देवरिया जिले के कप्तान गंज रेलवे स्टेशन पर पुलिस दरोगा की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में क्या अब तक कोई मुलिजम पकड़ में आया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी नहीं, अपराध शाखा द्वारा विवेचना प्रगति में है ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, 30 जुलाई, 1978 को कप्तानगंज रेलवे स्टेशन पर घुघली का दरोगा मार दिया गया और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि अब तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया और मामला प्रगति पर है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन से अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने कह दिया कि अनुसंधान शाखा इसकी जांच कर रहा है ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, इसकी जांच कौन से अधिकारी कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बता दीजिए कि कौन से अधिकारी जांच कर रहे हैं ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्रीमन्, इसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा के श्री के0 एन0 शुक्ल कर रहे हैं ।

श्री श्रीनारायण--

मान्यवर, इसकी जांच रिपोर्ट कब तक मिल जायगी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें यह तो जानकारी नहीं दी गयी कि वह कब तक जांच कर लेंगे । लेकिन वह शीघ्र ही जांच कर लेंगे ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें अब तक कितने गवाहों का बयान लिया जा चुका है और किसी मुलजिम का नाम उस इन्वेस्टीगेशन में आया कि नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो तफसील का सवाल है ।

श्री दीप नरायन--

मान्यवर, तफतीश किस स्टेज पर है और किसी मुलजिम का नाम आया कि नहीं, यह बता दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इतना बता दीजिये कि तफतीश किस स्टेज पर है ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, यह जनहित में उचित न होगा कि यह बताया जाय ।

श्री दीप नरायन--

मान्यवर, प्रश्न कुछ है और जवाब कुछ दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

जब वह कह रहे हैं कि इसको नहीं बताया जा सकता, तो इसकी मैं इजाजत नहीं देता ।

काउन्सिल आफ साइन्स एण्ड टेक्नालाजी के सचिव पद पर नियुक्ति

*12--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित काउंसिल आफ साइंस एण्ड टेक्नालाजी के सचिव के पद पर एक ऐसे नान टेकनिकल व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जिसकी शैक्षिक योग्यता सिर्फ बी0 ए0, बी0एड है जब कि इस संस्थान में विज्ञान एवं टेक्नालाजी में मास्टर आफ साइन्स व एम0 बी0 बी0 एस0 डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त विशिष्ट उच्च शिक्षा हेतु शोध कार्य किया जाता है ? क्या मुख्य मंत्री जी सचिव का पद भार काउंसिल के किसी वरिष्ठ वैज्ञानिक योग्यता प्राप्त अधिकारी को सौंपेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

काउन्सिल आफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी जो एक स्वशासी रजिस्टर्ड संस्था है, के सचिव का कार्य तदर्थ रूप से तत्कालीन ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर जिनकी शैक्षिक योग्यता बी0 ए0, एल0 टी0, है को दिया गया था । इस कौंसिल में किसी प्रकार का शोध कार्य नहीं होता । वैसे भी सचिव का पद प्रशासकीय पद है । काउंसिल के विभिन्न विभागों के अधिकारियों जिनमें सचिव का पद भी सम्मिलित है, की शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव के विषय में भी संस्तुति काउंसिल की एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा गठित समिति देगी जो अपेक्षित है । इस कमेटी की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त ही सचिव के पद पर विधिवत् नियुक्ति के प्रश्न पर विचार करना समीचीन होगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विज्ञान और औद्योगिक परिषद् जिसे सी0 एस0 आई0 आर0 कहते हैं, यह केन्द्र सरकार जो सेन्ट्रल की सी0 एस0 आई0 आर0 की शोध के रूप से वैज्ञानिक संस्था है और जिसमें शोध प्रायोजनायें चलती हैं तथा इसकी नियमावली जो है, केन्द्र के ही समान है और केन्द्र में वैज्ञानिक मेन है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी नियमावली और उद्देश्य और कार्य बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

हां, मान्यवर, कहिये तो सदन के पटल पर रखा दूं या पढ़कर सुना दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पढ़ दें ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

धन की उपलब्धता के आधार पर यह काउन्सिल निम्न उद्देश्यों के लिये रिसर्च अनुदान देगी (–1–) एप्लाइड रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिये विश्वविद्यालयों, तमाम शिक्षण संस्थाओं को जहां पर्याप्त रिसर्च की सुविधा होगी, प्रोत्साहित करेगा (2) एप्लाइड रिसर्च से जो नतीजे आयेंगे उनके इस्तेमाल के लिए उन तमाम साइन्टिफिक्नोलोजी और साइन्टिफिक रिसर्च, जो विभिन्न योजनाओं में चल रहे हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों से जो लोग होंगे उनको अनुदान देकर प्रोत्साहित करेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जैसा कि माननीय मंत्री ने नियमावली पढ़ी, नियमावली के नियम 3 में स्पष्ट उद्देश्य है कि—

(3) Arrangement and supervision of researches on such problems of applied research pertaining to Agriculture, Technology and Industries, etc. as may set to it.

(4) Submission of advice to the State Government in various Departments relating to the general promotion of scientific research and applied research.

इससे यह उद्देश्य स्पष्ट है कि वैज्ञानिक टेक्नोलोजी के जो कार्य किये जायेंगे वह इस संस्था द्वारा कराये जायेंगे । विज्ञान एवं, टेक्लोलोजी का शोधकार्य पोस्ट ग्रेजूवेशन के बाद एम0 बी0 बी0 एस0 के बाद किया जाना है । वहां पर बी0 ए0, बी0 एड0 सचिव है । यह व्यक्ति जो 3 वर्ष पूर्व लोअर डिवीजन क्लर्क था सेवा नियमावली का उल्लंघन करके 3 वर्षों में 3 प्रोमोशन दे कर, जहां आई0 ए0एस0 आफीसर होना चाहिये, वहां इसको नियुक्त किया गया है और जानबूझ कर टाला जा रहा है, नियमावली नहीं बना पा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी क्या इसको जांच आप करायेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यह इक्जीक्यूटिव पद है । इसकी समिति में सचिव, विज्ञान एवं पर्यावरण, सचिव, नियोजन, सचिव, कृषि उत्पादन, सचिव, उद्योग डा0 नित्यानन्द, निदेशक, सड्ल ड्रग रिसर्च इन्स्टीयूट, डा0 टी0 एन0 खुश, निदेशक, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, डा0 किशन सिंह, निदेशक, इंडियन शुगर केन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, श्री ए0 क0 करण सचिव गांधी स्मारक निधि डा0 ज0 सी0 श्रीवास्तव, वैज्ञानिक (टेक्नालाजी यूटिलाइजेशन) केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, भारत सरकार, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सदस्य हैं । यह समिति नियमावली बना रही है उसके आधार पर सीधी नियुक्ति की जायेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । जितने विद्वान और योग्य व्यक्तियों की यह कमेटी है । उस संस्था का सेक्रेटरी, सब कमेटी का सचिव, बी0 ए0 बी0 एड0 है और 3 वर्षों में अवैज्ञानिक प्रोमोशन देकर एल0 डी0 ए0 को जो विद्युत् विभाग में था, उसको सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री इसकी जांच करा लीजिये ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह काउन्सिल कब निर्मित हुई और इस व्यक्ति को सचिव के पद पर कब नियुक्त किया गया और जो उप समिति बनी है, उसके सचिव के पद पर यही व्यक्ति है, जो उप समिति बनी है, उसकी रिपोट देने की तिथि कब तक निर्धारित है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

रिपोर्ट देने के लिये तिथि निश्चित नहीं की गई है केवल इतना कहा गया है कि शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगे । दूसरा यह सचिव नहीं है । तीसरे प्रश्न के बारे में यह है कि जैस ही रिपोर्ट आ जायेगी, पद प्रकाशित करके सचिव के पद पर इन्टरव्यू करके विधिवत् नियुक्ति की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियुक्ति कब की गई इसकी तिथि है, आपके पास ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

तिथि नहीं है सूचना की आवश्यक्ता होगी ।

श्री ऊदल--

मैं जानना चाहता हूं कि यह जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, इसका नाम क्या है, नम्बर 1, और इसकी नियुक्ति कब की गई ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बता दिया कि तिथि की सूचना नहीं है ।

श्री ऊदल--

नाम नहीं बताया ।

श्री उपाध्यक्ष--

नाम बता दीजिये ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

श्री कैलाश चन्द्र खरे--

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो चयन समिति थी, उस चयन समिति ने उसकी सचिव के पद पर नियुक्ति किस आधार पर की थी और उस सूची में कौन-2 लोग थे जो चयन के लिये आये थे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

*13--श्री मित्रसेन--

[3रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

थाना कांट, जिला शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष श्री भवर सिंह को न्यायालय द्वारा किया गया जुर्माना

*14--श्री मन्सूर अली (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि श्री भंवर सिंह, स्टेशन आफिसर, पुलिस थाना कांट, जिला शाहजहांपुर पर 100 रुपया जुर्माना जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट शाहजहांपुर की अदालत स 2 जनवरी, 78 को हुआ था ? क्या यह भी सही है कि इस जुर्माने के बावजूद श्री भंवर सिंह को पुलिस इस्पेक्टर बना कर थाना फरीदपुर, जिला बरेली में पोस्ट कर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस सिलसिले में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बनारसी दास--

श्री भंवर सिंह थानाध्यक्ष कांट जिला शाहजहांपुर को न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट द्वारा नहीं वरन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय न्यायालय धारा 2-1-78 को 100 रु0 का अर्थदंड प्रदत्त किया गया था ।

श्री भंवर सिंह उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील की जो सेशन जज शाहजहांपुर द्वारा स्वीकार की गई व जुर्माना निरस्त कर दिया गया । श्री भवर सिंह उप निरीक्षक के रूप में ही थानाध्यक्ष फरीदपुर नियुक्त किये गये थे ।

राजकीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु चयन समितियों की समाप्ति

*15--श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--(अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सेवाओं में चयन पद्धति को बदल दिया गया है और जिला चयन समितियां समाप्त कर दी गई हैं? क्या यह चयन अब प्रत्येक विभागाध्यक्ष द्वारा जिला स्तर पर ही किया जायेगा ? यदि हां, तो पूर्ण योजना क्या है ?

श्री बनारसीदास--

जिला चयन समितियां अधीनस्थ कार्यालयों के निम्नतम वेतनमान के वर्ग-3 तथा वर्ग-4 के पदों पर चयन के लिए बनाई गई थीं। केवल इन्हीं वर्ग-3 तथा 4 के पदों पर भर्ती हेतु चयन पद्धति को लोकहित में संशोधित कर दिया गया है और जिला चयन समितियों के बजाय अब विभागीय चयन समितियां जिनका गठन निम्न प्रकार से किया गया है, सेवायोजन कार्यालयों की रिक्तियों को अधिसूचित करते हुए तथा सेवायोजन कार्यालय मे पंजीकृत व्यक्तियों से सीधे भी आवेदन-पत्र प्राप्त कर चुनाव की कार्यवाही कर सकेंगी:--

1--नियुक्ति प्राधिकारी ।

2--नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी ।

3--जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिका ी और यदि ऐसा कोई अधिकारी न हो तो जिलाधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी ।

ग्राम सभा घेटी, जिला अल्मोड़ा में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*16--श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली) (अनुपस्थित)--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा घेटी, पो0आ0मिल कोट, जिला अल्मोड़ा में कितने व्यक्तियों द्वारा वन पंचायत की भूमि का अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो इस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ।

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)—

सात व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध परगना अधिकारी, बागेश्वर, के न्यायालय में सार्वजनिक भू-गृहादि अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये जिनमें पांच मामलों में न्यायालय द्वारा भूमि खाली कराने के आदेश पारित किये जा चुके हैं। एक मामला न्यायालय में लम्बित है। शेष एक मामले में अतिक्रमण कर्ता की मौत हो जाने के फलस्वरूप न्यायालय ने मृतक के खिलाफ जारी किया गया नोटिस रद्द कर दिया इस समय इस भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

*17—20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

डिगवाही खुरहट रेलवे स्टेशन के बीच बुन्देल खण्ड एक्सप्रेस ट्रेन में लूट की घटना

*21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक 10—7—79 को डिगवाही व खुरहट स्टेशन के बीच बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस रेलगाड़ी लूट ली गयी तथा एक विदेशी यात्री महिला को लुटेरों ने घायल भी कर दिया? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हां। विवरण नत्थी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 721 पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घटना के घटित हुए लगभग 7 महीने पूरे हो गये हैं और अभी तक मुल्जिम गिरफ्तार नहीं किये जा सके। उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अगर नहीं की जा रही है, तो क्यों?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, इससे संबंधित कुछ अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये हैं और करीब, 6 अभियुक्तों के नाम अभी प्रकाश में आये हैं, जिनमें से 4 अभियुक्त श्री अच्छे लाल, महेश, सुरेश तथा सत्य नारायण गिरफ्तार भी कर लिये गये हैं और एक अभियुक्त श्री विष्णु ने न्यायालय में आकर आत्म-समर्पण किया है तथा कुछ जमानत पर छोड़ दिये गये हैं और उनमें श्री नत्थू तथा अन्य अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनकी शीघ्र तलाश हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आये दिन ट्रेनों में दुर्घटनायें होती रहती हैं इस तरह की, तो क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए या यात्रियों की विशेष सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कोई बन्दोबस्त किया गया है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, ट्रेनों की इन तमाम घटनाओं को देखते हुए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जहां कहीं भी मदद या विशेष मदद मांगी गयी है। हम लोगों ने वहां फोर्स बढ़ाकर उनकी मदद करने की पूरी कोशिश की है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, घटना वाले दिन जो यात्री यात्रा कर रहे थे, वह किस किस देश के रहने वाले थे और उनको किस प्रकार की चोटें आयीं?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, उसमें कुछ फांसीसी महिलाएं थीं और इसमें विस्तृत रिपोर्ट नहीं दी गयी है कि कहां--कहां के यात्री थे और न ही कोई ऐसी चोटों की जानकारी दी गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कोई एफ 0आई 0आर 0 मान्यवर, यात्रियों द्वारा लिखायी गयी है । इन यात्रियों की सूचना पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की, और मान्यवर,यह एफ 0आई 0आर 0 पढ़वा दीजिए।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

नकल रपट नं 0-8 में श्री फखरुद्दीन, काल व्याय रेलवे स्टेशन बांदा, व श्री वजीर मोहम्मद, ए 0 एस 0 एम 0 रेलवे स्टेशन बांदा ने एक लिखित एफ 0 आई 0 आर 0 जाकर थाने में दी कि बदमाशों ने यात्रियों को तमंचा दिखाकर उन्हें लूट लिया ।

श्रीमान्, कोई और इंजरी रिपोर्ट इसमें नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

एफ 0 आई 0 आर 0 की नकल यदि आपके पास हो और लम्बी न हो तो पढ़ दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, ए 0एस 0एम 0 ने रिपोर्ट लिखायी थी । मेरे पास तथ्य है कि एफ 0 आई 0 आर 0 दर्ज करायी थी । एक विदेशी फांसीसी महिला की बात है, उसने अपने देश में क्या कहा होगा । यह कितनी लज्जा की बात है । अगर कोई बयान उसने दिया था, तो वह क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, इसमें श्री फकरुद्दीन ने रेलवे स्टेशन बांदा के थाने में आकर एक मेमो लिखित व दस्तखत श्री वजीर मोहम्मद ए 0एस 0एम 0, रेलवे स्टेशन बांदा उपस्थित थाना आकर दाखिल किया और इसमें मान्यवर, इसके बाद घटना की सूचना जरिये टेलीफोन श्रीमान्, पुलिस अधीक्षक बांदा, इन्स्पेक्टर कोतवाली बांदा तथा एस 0 ओ 0 गिरजा बांदा भेजने के लिए सूचना दी गई । जरिये कण्ट्रोल एस 0 ओ 0 जी 0 आर 0 पी 0 मानिकपुर को भी सूचना दी गई । पुलिस अधीक्षक रेलवे डी 0 सेक्शन, इलाहाबाद को भी सूचना भिजवाई गई । मुकदमे की विवेचना श्री उमाकांत सिंह, थानाध्यक्ष द्वारा होगी । इस घटना के संबंध में मस का कैमरा चैकबुक टिकट आदि कीमत दरियाफ्त तलब याफ्ता निल है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, बड़ी चिन्ता की बात है कि जब सप्लीमेण्ट्री तैयार कर रहे थे, तो उन्हें सोचने की जरूरत थी कि विदेशी महिला के साथ अत्याचार हुआ है । मान्यवर, कितना कलंक लगा है हमारे प्रदेश के प्रशासन पर । आप स्वयं इस पर व्यवस्था दें और हमारी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को कृपया स्थगित कर दें ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

पुलिस डायरी नहीं मंगवायी जाती है । अगर आप चाहें तो प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य ने कहा है इसको ध्यान में रखें । प्रश्न को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मथुरा जिले के थाना बल्देव में ग्राम सरकण्डखेड़ा की घटना की लिखायी गयी रिपोर्ट

*22--श्री हुकुमचन्द्र तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के थाना बल्देव के गांव सरकण्ड खेड़ा में दिनांक 17-7-79 को दिन के 12 बजे गांव के नलकूप पर 10,12 डकत एकत्रित थे जिनके पास भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे ? यदि हां, तो बल्देव पुलिस से कौन-कौन पुलिस कर्मचारी बदमाशों की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे ? क्या सरकण्ड खड़ा के नागरिकों द्वारा इस घटना की सही जांच न होने पर 23-7-79 को बल्देव पुलिस क विरुद्ध मुख्य मन्त्री, आई0 जी0 पुलिस, पुलिस अधीक्षक, मथुरा के नाम शिकायती पत्र भेजे और उस शिकायती पत्र में यह भी अंकित है कि बदमाशों की तीन बन्दूकें, चार पेटी कारतूस आदि पुलिस को मिले ? यदि हां, तो यह सामान कहां दाखिल किया गया है और 23-7-79 को शिकायती पत्र की किस अधिकारी द्वारा किस-किस तिथि को जांच की गई तथा किस-किस व्यक्ति के बयान जांच में अंकित किए गए ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-7-79 को दिन के 2-30 बजे थाना बल्देव जिला मथुरा पर सूचना मिली कि ग्राम खोंदुआ, मौजा सरकण्डखेड़ा में दो पक्षों के मध्य जमीन जोतने के ऊपर संगीन बलवा होने की सम्भावना है। इस सूचना पर निम्न पुलिस कर्मचा ी घटनास्थल पर पहुंचे:--

1--श्री रघुराज सिंह त्यागी, थानाध्यक्ष।
2--श्री पृथ्वीराज सिंह यादव, उप निरीक्षक।
3--श्री अनवार मुहम्मद खां, उप निरीक्षक।
4--श्री ओंकार सिंह, कांस्टेबिल।
5--श्री अशर्फीलाल, कांसटेबिल।
6--श्री जानसन बी0 लाल, कांसटेबिल।
7--श्री अब्दुल कदीर, कांसटेबिल।
8--श्री रवीन्द्र सिंह, कांसटेबिल।
9--श्री प्रेमपाल सिंह, कांसटेबिल।
10--श्री जगदीश, कांसटेबिल।

इस आशय के शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुए। जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप असत्य पाये गये। उपर्युक्त शिकायती पत्रों की जांच थानाध्यक्ष बल्दव ने दिनांक 1-8-1979 को की। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का कोई लिखित बयान अंकित नहीं किया गया। जांच के दौरान प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र देने से इन्कार किया।

देवरिया जिले के साहबगंज के श्री बिरझन के यहां डकैती

*23--श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री राम जनम (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना नगर में सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में सशस्त्र दस्युदल ने बावली (साहबगंज उत्तरी) टोले में सायंकाल 7 बजे श्री बिरझन पुत्र कलवार के घर डाका डालकर भारी लूट-पाट की जिसमें गृह स्वामी की पत्नी बुरी तरह आहत हो गयी ? यदि हां, तो इस आतंक पूर्ण डकैती के अपराधियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये, जिसकी प्रथम सूचना रपट सम्बन्धित थाने में दर्ज है ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19-9-79 को समय 9 बजे रात्रि में श्री बिरझन पुत्र मंगी कलवार के घर लूटने तथा लाठी के फट्टा से प्रहार करने तथा श्री बिरझन की पत्नी को चोटें आने की रिपोर्ट थाना पडरौना में अंकित करायी गयी। विवेचना में माल मलाजिमान के पता न लगने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगायी गयी।

कानपुर थाना कैन्ट के मालखाने में चोरी

*24--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिसम्बर, 1977 में कानपुर के थाना छावनी के मालखाने में चोरी की कोई घटना प्रकाश में आई थी ? यदि हां, तो उक्त चोरी में कितना माल गया, उससे शासन को कितनी क्षति पहुंची ? क्या चोरी गया माल बरामद हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस मामले में लापरवाही के कारण थाने से सम्बन्धित किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

जी हां, दिनांक 24-12-77 को मालखाना मुहर्रिर थाना कैन्ट (जिला कानपुर) ने मालखाने के बक्स का कुण्डा टूटा होने व तीन अभियोगों क माल चोरी होने की सूचना थाना कैन्ट पर दी। उक्त सूचना के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 409/380 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गयी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 13 1/2 तोले वजन के सोने के दो हार तथा 11,581 रु0 नकद चोरी गये। गायब माल बरामदगी अभी नहीं हुई है। इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी जांच जारी है। अपराध अनुसंधान विभाग की संस्तुति के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, सिर्फ इतना बतला दें कि मालखाने में से ताला टूटा पाया गया और माल खाना अण्डर कस्टडी रहता है और सेफ गार्ड रहता है। इसमें से 13 1/2 तोला सोना और 11,581 रुपया गायब पाया गया, तो जिन लोगों की कस्टडी में मालखाना रहता है और जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, अपराध अनुसंधान शाखा की सिफारिश पर इन्चार्ज, कानेस्टेबिल, माल-खाना को सस्पेन्ड कर दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर में श्री वाचस्पति मिश्रा का आवास का आवंटन

*25--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या आवास विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के सूरजकुण्ड का एम0 आई0जी0 आवास सं0 ए0 52 जो श्री वाचस्पति मिश्रा को आवंटित किया गया था उनको बिना अग्रिम धन लौटाए उक्त क्वार्टर किसी दूसरे को आवंटित किया गया है ? यदि हां; तो ऐसा क्यों ?

आवास मन्त्री (श्री भगौती सिंह)--

जी हां।

नोट:--तारांकित प्रश्न संख्या 24 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वाचस्पति मिश्रा को आवास परिषद् की सूरजकुण्ड योजना गोरखपुर में भवन संख्या-ए-52 दिनांक 12-6-78 को आवंटित किया गया था। श्री मिश्रा को उक्त भवन के विरुद्ध दिनांक 10-9-78 तक रुपया 58,415 जमा करना था जो उन्होंने जमा नहीं किया। श्री मिश्रा के विशेष आग्रह पर परिषद् द्वारा उन्हें दण्ड ब्याज सहित अतिरिक्त समय भी प्रदान किया गया। श्री मिश्रा द्वारा उक्त अवधि में भी अपेक्षित धनराशि जमा न किये जाने पर दिनांक 2-1-79 को उक्त भवन का आवंटन नियमानुसार निरस्त कर दिया गया तथा लाट्री पद्धति से पंजीकृत अन्य व्यक्ति को भवन का आवंटन कर दिया गया।

श्री वाचस्पति मिश्रा को परिषद् द्वारा बाउचर रसीदी टिकट लगाकर उनके हस्ताक्षर हेतु भेजा गया था जो उन्होंने अभी तक वापस नहीं लौटाया है फलतः उनके द्वारा जमा की गई धनराशि उन्हें वापस नहीं की जा सकी।

अतारांकित प्रश्न

1—श्रीमती शारदा देवी—

[2रे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

अल्मोड़ा जिले ग्राम कनगाड़ी छीना में श्री केशर सिंह को छिलुका निकालने का कथित ठेका

2—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-ताकुला मोटर रोड के पास ग्राम कनगाड़ी छीना में छिलुका निकालने का ठेका क्या श्री केशर सिंह ठेकेदार को दिया गया है? यह व्यक्ति कब से विभाग में छिलुक क ठेक ले रहा है और किस दर से यह ठेका लेता है और कि दर से बाजार में बेंचता है?

श्री काजी मोहम्द मुहिउद्दीन—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

फैजाबाद जिले के ग्राम मेवापुर मुताल के श्री अवसान के यहां डकैती

3—श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि थाना कुमारगंज, जिला फैजाबाद में श्री औसान निवासी ग्राम मेवापुर मुताल के रसूलपुर के यहां माह जुलाई, 1979 में हुई डकैती की घटना में थानाध्यक्ष द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मामले की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार मेवापुर मुताल नाम का कोई ग्राम नहीं है। मेवापुर मुताल के (पुरवा रसूलपुर), ग्राम के श्री अवसाल के यहां माह जुलाई 1979 में कोई डकैती घटना अंकित नहीं हुयी।

प्रश्न नहीं उठता।

वज्युला-धाकुड़ी, कौसानी, गागरीगोल, कनाधार-अगरकोट मार्ग के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

4—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

4—क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जो पत्र दिनांक 18 मार्च 1978 को वन विभाग द्वारा तीन मोटरमार्ग (1—वज्यूला-नौगांव-कोटरा-बंगा-हरीनगरी कुलाऊ-पय्याहड़ाप-पाण्डस्थल-सिसखानी-बघर-कर्मी व धाकुड़ी, 2—कौसानी-डीननोधर-घना-पाटली-महरपाली-लखनी-गागरीगोल, 3—कनाधार-मजकोट-छत्यानी-अगरकोट।)

बनाने हेतु दिया था उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और कब तक उक्त सड़कों का निर्माण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रथम दो मार्गों की कुल दूरी लगभग 80 कि0मी0 है जिसके निर्माण पर लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपये का व्यय सम्भावित है। वन विभाग द्वारा मोटर मार्ग को बनाना सम्भव नहीं है। अतः वन विभाग द्वारा इन मार्गों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तीसरे मार्ग के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा कलाधार से वजवाड़ा तक 30 कि0 मी0 मोटर मार्ग बनाने का प्रस्ताव है।

इस मोटर मार्ग से छत्यानी लगभग 2 कि0 मी0 की दूरी पर तथा छत्यानी से मजकोट लगभग 6 कि0 मी0 दूरी पर स्थित है। अगरकोट, छत्यानी व मजकोट के बीच में पड़ता है। इन ग्रामों को प्रस्तावित/निर्माणाधीन मोटर मार्ग से जोड़ने के लिये करीब 8 कि0 मी0 यह मार्ग बनाना होगा। इस मार्ग के निर्माण हेतु वन विभाग का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोरखपुर मण्डल के गन्ना विभाग में की गयी नियुक्तियां

श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में वर्ष 1978 से अब तक कितने लोगों की नियुक्तियां गन्ना विभाग में वगैर चयन समिति के सिफारिश से की गयी हैं और उन नियुक्तियों की संख्या क्या है और किन कारणों से ऐसा किया गया और किस अधिकारी के द्वारा ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

हथकरघा निगम द्वारा गोरखपुर, आजमगढ़ व बस्ती में बुनकरों से खरीद

6—श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश हस्तकरघा निगम लि0 द्वारा विभिन्न क्रय-केन्द्रों के माध्यम से बुनकरों से कुल कितने रुपए की खरीद जनपद गोरखपुर, आजमगढ़ तथा बस्ती में जनपदवार वर्ष 1976–77, 1977–78 तथा 1978–79 में की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि0 कानपुर द्वारा कुल क्रय की वर्षवार एवं जनपद वार स्थिति निम्नलिखित है। चूंकि गोरखपुर एवं बस्ती जनपदों के लिए एक ही परियोजना कार्यरत है इसलिए इसकी सूचना सम्मिलित रूप से दी जा रही है।

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	वर्ष	गोरखपुर एवं बस्ती (गोरखपुर–बस्ती) परियोजना	आजमगढ़ मऊ परियोजना
1	1976–77	28.43	1.28
2	1977–78	265.07	158.50
3	1978–79	410.65	217.83
	योग ..	704.15	377.61

फैजाबाद जिले में हत्या व डकैती के अभियोग

7—श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष 1977–78 तथा वर्ष 1978–79 में क्रमशः कितने हत्या, डकैती और राहजनी के मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और उपरोक्त पंजीकृत मुकदमों मे कितने की विवेचना हुई है और कितने मुकदमें विवेचना के लिए विचाराधीन हैं ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1977–78 में 53 हत्या, 109 डकैती व 64 राहजनी तथा 1978–79 में 67 हत्या, 50 डकैती तथा 38 राहजनी के अभियोग पंजीकृत हुए हैं सभी अभियोगों की विवेचना की गई है जिसमें 77–78 के 1 हत्या, 6 डकैती तथा 1 राहजनी तथा 78–79 के 4 हत्या, 10 डकैती एवं 3 राहजनी के अभियोग अभी विवेचनाधीन हैं।

देवरिया जिले के ग्राम शिवराजपुर में श्री बंशराज व श्री हरदेव के बीच मारपीट की घटना

8—श्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा श्री राम जनम—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में पडरौना कोतवाली के अन्तर्गत ग्राम शिवराजपुर (कठकुइयां) में दो परिवारों के विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया है जिसके कारण विगत एक वर्ष में उक्त गांव में अनेक हिंसक वारदातें घटित हुई हैं जिसकी प्रथम सूचनाएं सम्बन्धित थाने में दर्ज हैं ? यदि हां, तो तत्काल गुप्तचर विभाग द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम शिवराजपुर (कठकुइयां) में श्री हरदेव पुत्र बाल गोविन्द तथा बंशराज पुत्र मुकन्द के बीच जमीन के प्रश्न को लेकर विवाद था। हरदेव पक्ष की तरफ से दो अभियोग पंजीकृत कराये गये जिनमें विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए जा चुके हैं। दूसरी पक्ष की ओर से 3 अभियोग पंजीकृत कराये गये जिनमें विवेचना उपरांत आरोप असत्य पाये जाने के फलस्वरूप अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई। ऐसे कोई तथ्य दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं जिनके आधार पर गुप्तचर विभाग से जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत हो।

फैजाबाद जिले में गन्ने का उत्पादन

9—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979–80 में फैजाबाद जनपद मे कुल कितने टन गन्ने के उत्पादन होने की सम्भावना है और उत्पादित गन्ना में से कुल कितने टन गन्ने की पेराई मिल द्वारा सम्भावित है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

वर्ष 1979–80 में फैजाबाद जनपद में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में अन्तिम सर्वेक्षण के अनुसार गन्ने का कुल उत्पादन 419-70 हजार टन होने का अनुमान है जिसमें से 113-50 हजार टन चीनी मिलों की गन्ने की आपूर्ति होने की सम्भावना है।

फिरोजाबाद के चूड़ी प्रतिष्ठानों को कोयले की आपूर्ति

10—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद को सितम्बर, 1979 तक कितना कोयला चूड़ी के प्रतिष्ठानों को मिला और उनमें से कितने कारखाने चूड़ी के कार्यरत हैं ? क्या समस्त चूड़ी के वह प्रतिष्ठान चालू हैं जिन्हें कोयला सितम्बर, 1979

तक मिल चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उनके स्टाक में सम्पूर्ण कोयला मौजूद है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव---

जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद के चूड़ी के 106 प्रतिष्ठानों को वर्ष 1979 में जनवरी 79 से सितम्बर 1979 तक 1445 बैंगन कोयला प्राप्त हुआ। मास सितम्बर 1979 में चूड़ी के केवल 11 कारखाने कार्यरत थे परन्तु उक्त माह के उपरान्त जुड़ा नगरों की हड़ताल समाप्त होने पर माह अक्तूबर, 1979 में 116 कारखाने उत्पादन में आ गये थे, जिनमें से इस समय कोयले की कमी के कारण 20 इकाइयां पुन: बन्द हैं तथा शेष इकाइयां कार्यरत हैं। यह सितम्बर, 1979 तक जिन इकाइयों को कोयला प्राप्त हुआ था उनके स्टाक में सम्पूर्ण कोयला उपलब्ध था परन्तु कोयले का उपयोग आरम्भ हो जाने के फलस्वरूप स्टाक में कमी होती गयी।

फतेहपुर जिले के ग्राम बकेवर में पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव

11---श्री जगन्नाथ सिंह (जिला बांदा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त सचिव , उ0प्र0 शासन के पत्रांक 5781 पी8-6-300/38/77, दिनांक 5-11-77 के अनुसार जिला फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के बढ़े हुए अपराधों को रोकथाम के लिए ग्राम बकेवर में पुलिस रिपोर्टिंग चौकी कायम करने हेतु जांच चल रही है ? यदि हां , तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास---

जी हां। पूरे प्रदेश के लिए 50 रिपोर्टिंग व इन्वेस्टीगेटिंग चौकियों को तीन चरणों में स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है ग्राम बकेवर जिला फतेहपुर में रिपोर्टिंग एवं इन्वेस्टीगेटिंग चौकी तीसरे चरण में स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

12---श्री जगन्नाथ सिंह ---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

फैजाबाद जिले के ग्राम गोड़ियन का पुरवा तथा गुमानीगंज में डकैती

13---श्री जयशंकर पाण्डेय---

क्या मुख्य मत्री को ज्ञात है कि श्री हरिशरण, निवासी गोडियन का पुरवा (आदिलपूर) के घर में माह सितम्बर में डकैती तथा श्री शिव बहादर सिंह, निवासी ग्राम गुमानी गंज थाना कुमारगंज जिला फैजाबाद में 18 सितम्बर, 1979 को पड़ी डकैती की घटना में थानाध्यक्ष कुमारगंज द्वारा अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है? क्या सरकार उक्त घटनाओं की जांच सतर्कता विभाग से करवायेगी तथा दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ?

श्री बनारसी दास---

दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है और कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है सतर्कता विभाग से जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री जानकी बनिया, ग्राम बाकरगंज, जिला फैजाबाद के यहां डकैती

14---श्री जयशंकर पाण्डेय---

क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि श्री जानकी बनिया , निवासी ग्राम बाकरगंज, थाना कुमारगंज, जिला फैजावाद के घर में माह जून, में हुई डकैती में थानाध्यक्ष कुमारगंज द्वारा चोरी की घटना दर्ज की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी थानाध्यक्ष को दण्डित करेगी ?

श्री बनारसी दास--

माह जून में ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट अंकित नहीं है। 3-3-79 की एक घटना के संबंध में थाना कुमारगंज में भा0द0वि0 की धारा 380 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत होकर माल मुलजिम का पता न लगने के कारण विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई। प्रश्न नहीं उठता।

लोहा ढलाई प्रतिष्ठान, आगरा को लोहे का आवंटन

15--श्री रघुबरदयाल वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कितने ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनमें लोहे की ढलाई होती है? क्या ऐसे भी प्रतिष्ठान हैं जो केवल कागज पर हैं और आयरन को ब्लैक में बेचते हैं? क्या सरकार को जुलाई अगस्त, 1979 में ढलाई प्रतिष्ठानों के द्वारा लोहा के ब्लैक की शिकायत मिली है? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या हुआ? क्या लोहा के अभाव में ढलाई उद्योग बन्द है?

श्री राम नरेश यादव--

जनपद आगरा में 176 प्रतिष्ठानों में लोहे की ढलाई होती है। शासन की जानकारी में आयरन को ब्लैक में बेचने वाले तथा केवल कागज पर रहने वाले कोई प्रतिष्ठान नहीं हैं। जुलाई, अगस्त 1979 में प्रश्नगत इकाइयों के बारे में कोई शिकायत शासन की जानकारी में नहीं आई। लोहा के अभाव में ढलाई उद्योग बन्द नहीं है।

देवरिया जिले के ग्राम बन्धवा निवासी श्री रमाकान्त मणि के यहां डकैती

16--श्री श्रीनारायण--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के थाना रामकोला के अन्तर्गत ग्राम बन्धवा में दिनांक 25-7-79 के सायंकाल 7-45 बजे श्री रघुनाथ मणि प्रधानाचार्य के घर हुई डकैती में अब तक कौन-कौन से तथ्य सामने ने आये हैं और कौन-कौन से मुलजिम पकड़ में आए हैं और कौन-कौन सा सामान बरामद हुआ है? और कितने मिलकियत की डकैती हुई है?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रमाकान्त मणि के यहां 25-7-79 को करीब 8 बजे रात्रि में डकैती पड़ी थी। पांच अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, दो अभियुक्तों को भा0द0वि0 की धारा 412 के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया तथा दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। कपड़ा, ट्रांजिस्टर तथा बन्दूक बरामद हुआ लगभग 50,000 रुपये के मिलिकियत की डकैती पड़ी।

बलिया जिले के थाना नगरा में अंकित विभिन्न अपराध

17--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरा थाने के अन्तर्गत जून सन् 1979 से अब तक कितनी चोरी, डकैती, कत्ल, कितने बैल खोले गये, कितने हरिजनों पर उत्पीड़न को कितनी घटनाओं की प्रथम रिपोर्ट लिखी गई? इनमें से कितने में चार्ज-शीट लगाई गई और कितने विचाराधीन हैं?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार 1-6-79 से 30-11-79 तक की अवधि में थाना नगरा (बलिया) के प्रश्न में उल्लिखित अपराधों के बारे में विवरण सलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 722 पर)

8--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिला रायबरेली के तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी, श्री मदनमोहन वर्मा का यात्रा भत्ता

19--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

अता0 प्रश्न संख्या 15 ता0 22-8-78 को दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

श्री मदन मोहन वर्मा के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। जांच अधिकारी ने उनके विरुद्ध आरोप सत्यापित नहीं कर पाये हैं। अतः विभागीय कार्यवाही समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

लोक नायक श्री जय प्रकाश नारायण के निधन पर उच्च न्यायालय में छुट्टी

20--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या न्याय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 8 अक्टूबर, 1979 को लोकनायक जय प्रकाश के निधन के अवसर पर माननीय उच्च न्यायालय ने उनके शोक में अदालतों का अवकाश नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)--

दिनांक 8 अक्टूबर, 1979 को लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण के निधन के अवसर पर उच्च न्यायालय बन्द कर दिया गया था। जहां तक अधीनस्थ न्यायालयों का सम्बन्ध है उच्च न्यायालय द्वारा यह सामान्य आदेश हैं कि जब भी राज्य सरकार ऐसे अवसर पर निगोशियेबुल इन्सट्रूमेण्ट ऐक्ट के अन्तर्गत छुट्टी घोषित करे तो अधीनस्थ न्यायालय भी उन आदेशों का पालन करते हुए न्यायालयों को बन्द कर दें। तदनुसार लोकनायक श्री जय प्रकाश के निधन पर अधीनस्थ न्यायालयों में छुट्टी के लिये अलग से कोई आदेश करने की आवश्यकता नहीं थी।

21--श्री हुकमचन्द्र तिवारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के भूदेव प्रसाद शर्मा आदि नागरिकों द्वारा 17 गम्भीर आरोपों की शिकायत मुख्य मन्त्री के पास दिनांक 3-9-79 को भेजी जिसमें मुख्य मन्त्री ने एक माह में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच कराने का आश्वासन दिया ? यदि हां, तो उस शिकायती-पत्र पर किस अधिकारी द्वारा जांच की गई ? तथा उसमें किस-किस नागरिक के बयान किस-किस तिथि को अन्तिम किये गये ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा इस शिकायती-पत्र पर जो मस्तुति-पत्र लिखा था, उसमें प्रश्नकर्ता से पूछ-ताछ की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

श्री भूदेव प्रसाद शर्मा आदि नागरिकों के शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों पर सतर्कता अधिष्ठान द्वारा आवश्यक छान-बीन की जा रही है।

गोरखपुर के निचलौल रेंज में वृक्षारोपण के रख रखाव पर व्यय की गयी धनराशि

22--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या वन मन्त्री बतायेंगे कि वन क्षेत्र, गोरखपुर के निचलौल रेंज में जो वृक्षारोपण कराया गया है उसके रख रखाव के लिये वर्ष 1977 से नवम्बर, 1978 तक कितने कर्मचारी रखे गए हैं ? उन कर्मचारियों को देय वेतन क्या है ? क्या यह सही है कि 1978 फरवरी, तक जो वेतन दिया गया है उस वेतन से ज्यादा वेतन माह मार्च, से अक्टूबर, 1978 तक देने हेतु वाउचर बनाकर फर्जी तौर पर भुगतान लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन--

प्रश्नगत रेंज में वृक्षारोपण के रखरखाव हेतु माह जनवरी, 77 तक 5 तथा फरवरी 77 से नवम्बर 78 तक 6 वाडचर रु0 170 प्रतिमाह की दर पर रखे गये। यह सही नहीं है कि मार्च से अक्तूबर 1978 तक फर्जी बाउचर बनाकर अधिक भुगतान किया गया है ।

फैजाबाद जिले में जूता उद्योग के विकास हेतु डिपो की स्थापना

23--श्री जय शंकर पाण्डेय--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में फैजाबाद शहर में जूता बनाने वाले हजारों मजदूरों की संख्या देखते हुए कोई जूता बनाने वाले सामानों की पूर्ति के लिये डिपो खोलने जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त डिपो कब तक खुल जायगा ?

श्री राम नरेश यादव--

फैजाबाद जनपद में शू-चर्म उद्योग के विकास हेतु कारीगरों को चमड़ा तथा जूता उद्योग में काम आने वाली अन्य वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम द्वारा फैजाबाद में एक कच्चे माल का डिपो माह दिसम्बर, 1979 में स्थापित किया जा चुका है ।

24--श्री देव कुमार यादव--

[3रे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पार्क रोड, लखनऊ के फ्लैटों का विधायकों को आवंटन

25--श्री नरेश चन्द्र--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने विधायक हैं जो विधायक निवासों में रह रहे थे, फिर भी उन्हें पार्क रोड योजना के अन्तर्गत बनाये गये फ्लैट्स आवंटित किये गये हैं और ऐसे विधायकों में कितने और कौन-कौन ऐसे विधायक हैं जिन्हें दो-दो आवास आवंटित किये गये हैं ?

श्री बनारसी दास--

कुल 18 ऐसे विधायकों को पार्क रोड के फ्लैट आवंटित किये गये हैं जो पहले विधायक निवासों में रह रहे थे। इनमें से 6 विधायक वह हैं जो विधायक निवास 3 के असुरक्षित भवन में रह रहे थे और उनके वैकल्पिक आवास की व्यवस्था पार्क रोड के फ्लैटों में की गयी है ।

उपरोक्त में से किसी विधायक को दो आवास आवंटित नहीं किये गये हैं ।

मत्स्य विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

26--श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर) तथा श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग से सम्बन्धित पी0 सी0 ए0 और आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र दिनांक 2-5-79 का मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं, कोई शिकायती-पत्र दिनांक 2-5-79 प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री मुहम्मद इरफान हुसैन, व्याख्याता, पालीटेक्निक, झांसी का बकाया वेतन

27—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती) तथा श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जनवरी, 79 को श्री मुहम्मद इरफान हुसैन, व्याख्याता, विद्युत अभियंत्रण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुहम्मद इरफान हुसैन इस समय किस पालीटेक्निक में कार्यरत हैं तथा उनके कितने माह का वेतन शासन पर बकाया है और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने को सोच रहा है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

प्रश्नकर्ता का 23 मई 1979 का पत्र प्राप्त हुआ था जनवरी, 1979 का नहीं।

श्री मुहम्मद इरफान हुसैन राजकीय पालीटेकनिक झांसी में तदर्थ आधार पर व्याख्याता विद्युत अभियन्त्रण के पद पर कार्यरत थे। लोक सेवा आयोग द्वारा ये व्याख्याता विद्युत अभियन्त्रण के पद के लिये चुने गये थे। चुने जाने के बाद शासन ने इनको हरिजन सहायक विभाग के अधीन जी0बी0 पन्त पालीटेकनिक लखनऊ के लिये आवंटित किया था तथा हरिजन कल्याण विभाग ने इनकी नियुक्ति के आदेश जी0बी0 पन्त पालीटेकिनिक के लिये पारित कर दिये थे। जब इनके झांसी पालीटेकनिक से कार्यमुक्त करने के आदेश हुए तो ये 3–12–78 से झांसी पालीटेक्निक से अनुपस्थित हो गये और तभी से उनको वेतन नहीं दिया गया जिसके लिये ये स्वयं जिम्मेदार हैं।

राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती की कर्मशाला भवन के फर्श का निर्माण

28—श्री बाबूराम वर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती की कर्मशाला भवन के फर्श का निर्माण क्यों नहीं किया गया ? क्या शासन कर्मशाला भवन के फर्श निर्माण का विचार रखता है यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

प्रश्नगत भवन के फर्श के निर्माण हेतु रु0 43,000 की शासकीय स्वीकृति 16–3–79 को प्रदान की गयी थी। प्राप्त सूचनानुसार यह कार्य सीमेन्ट के अभाव में विभागीय निर्माण इकाई बस्ती द्वारा पहले नहीं किया जा सका। अब यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके शीघ्र पूरे होने की आशा की जाती है।

श्री व0 द0 आठवले, उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन

29—श्री बाबू राम वर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री व0द0 आठवले, उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा अपने पद पर लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हैं ? यदि नहीं, तो कितने वर्षों से तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ? क्या शासन को यह विदित है कि श्री व0द0आठवले की तदर्थ नियुक्ति के कुछ माह पूर्व लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से उप निदेशक पद के लिये संस्तुति सूची प्राप्त हुई थी ? जिसमें से किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

श्री व0द0 आठवले, उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पद पर अभी लोक सेवा आयोग से अनुमोदित नहीं हैं? श्री आठवले सहायक निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पद पर स्थायी हैं। वरिष्ठता के आधार पर उन्हें उप निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पद पर तदर्थ नियुक्ति दी गई है और वह इस पद पर 1 अक्तूबर, 1977 से कार्य कर रहे हैं।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से उप निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पद के लिये कोई संस्तुति सूची शासन को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, अतः संस्तुति सूची से किसी को नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के स्थायीकरण की मांग

30—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत तीन वर्ष से अधिक वाले अध्यापकों की सेवाओं को स्थाई करने के लिए सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो यह घोषणा कब तक हो जाने की संभावना है?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हां।

स्थायीकरण के संबंध में विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति जैसे पद का स्थायी रूप से उपलब्ध होना, अध्यापक का नियमित रूप से नियुक्त होना, अध्यापक का कार्य एवं आचरण उपयुक्त होना आदि, के पश्चात् ही स्थायीकरण सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। अतः कोई तिथि देना संभव नहीं है।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के फैसले के विरुद्ध श्री जौहर अली सिद्दीकी की अपील

31—श्री सुखपाल पांडेय, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री बाबूराम वर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जौहर अली सिद्दीकी ने निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के फैसले के विरुद्ध अपील शासन को की थी, यदि हां, तो शासन ने इस पर क्या कार्यवाही की? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हां।

मामला शासन के विचाराधीन है।

सरकारी वकीलों की सेवा समाप्ति एवं नियुक्ति

32—श्री नरेश चन्द्र—

क्या न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मई-जून, 1979 में शासन ने कतिपय जिलों में कुछ सरकारी वकीलों की नियुक्ति व सेवा निरस्त कर दी है? अगर हां, तो वे कौन-कौन और किन-किन जिलों के हैं? हटाये गये कितने सरकारी वकीलों के कार्यकाल के नवीनीकरण हेतु जिला जज एवं जिला मजिस्ट्रेट ने उन के कार्य को सन्तोषजनक बताया है? ऐसे हटाये गये सरकारी वकीलों में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित वर्ग के कितने सरकारी वकील है?

श्री श्री चन्द—

प्रश्न प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों से सम्बन्धित है अतः प्रश्न का उत्तर देने में जो श्रम व समय व्यय होगा वह उससे लाभ के अनुरूप न होगा।

सम्पूर्णानन्द बन्दी शिविर, सितारगंज, नैनीताल के बन्दियों की बकाया मजदूरी और बैलेंसशीट

33--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्णानन्द बन्दी शिविर, सितारगंज, जिला ननीताल के बन्दी वासियों का दैनिक मजदूरी का कुल जितना रुपया 24-10-79 को बकाया है ? बकाया होने का कारण क्या है तथा कब तक दे दिया जायगा ?

कारागार मंत्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-10-1979 तक की दैनिक मजदूरी के रूप में 5,82,133,50 पैसे की धनराशि बकाया है। संयुक्त उद्यम द्वारा पारिश्रमिक का समय से न भुगतान करने के कारण बन्दियों का पारिश्रमिक बकाया हो जाता है। संयुक्त उद्यम के अधिकारियों ने बकाया मजदूरी का भुगतान फरवरी, 1980 तक कर देने का आश्वासन दिया है।

34--राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सितारगंज कारागार तथा कृषि विश्व-विद्यालय पंतनगर के बीच हुई समझौते के परिणामस्वरूप 2 अक्तूबर, 1975 को लागू शासनादेश संख्या ई-12/2352/10175 के बाद अभी तक कारागार तथा फार्म की बैलेंसशीट नहीं बन पाई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

वर्ष 1975-76 की बैलेंसशीट बनाई जा चुकी है। वर्ष 1976-77 की बैलेंस-शीट बनकर तैयार हो गई है तथा सम्परीक्षा के लिए प्रस्तुत की जा रही है। वर्ष 1977-78 की बैलेन्सशीट बना ली गई है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

थानाध्यक्ष खुखुन्दू, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

35--श्री श्रीनारायण--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष श्री दुर्गा मिश्र ने देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक को माह अक्तूबर, 79 के प्रथम पक्ष में खुखुन्दू के थानाध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार की कोई शिकायती दरख्वास्त दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। जांच अभी प्रचलित है।

थाना पडरौना, जिला देवरिया के निरीक्षक, श्री राम अजोर चौधरी का स्थानान्तरण

36--श्री श्रीनारायण--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण आगामी लोक सभा के निर्वाचन तक न करने का कोई अध्यादेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो अध्यादेश की मंशा क्या है ? कब से कब तक लागू रहेगा ? क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के पडरौना के थानाध्यक्ष श्री राम अजोर चौधरी का स्थानान्तरण अक्तूबर, 79 के प्रथम पक्ष में किन कारणों से किया गया ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। श्री राम अजोर चौधरी निरीक्षक, थाना पड़ौना का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया था।

मथुरा जिले की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

37—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मथुरा पुलिस के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के संबंध में शासन को शिकायत की गयी थी और सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक श्री वी0वी0 एल0 गुप्ता द्वारा अपने पत्र-संख्या स0 अ0/ के0 अनु0—3/220—75, दिनांक लखनऊ 30 मार्च, 1976 द्वारा यह सूचित किया गया था कि जांच के आदेश आगरा के लिए कर दिये गये है जो सम्पर्क करेंगे ? क्या इस अधिकारी द्वारा जांच पूरी कर ली गयी ? यदि हां, तो उन्होंने कब किस तिथि में किस-किस के बयान लिये ?

श्री बनारसी दास—

शिकायत की प्रतिलिपि सतर्कता अधिष्ठान को पृष्ठांकित थी। सतर्कता अधिष्ठान ने शिकायत पुलिस अधीक्षक (सतर्कता ने अगरा को प्रेषित की थी) जिन्होंने शिकायत के बिन्दुओं पर गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त की और कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं मिला था तथा जांच समाप्त हो गयी। इस स्थित में बयान आदि का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा गोवर्धन मार्ग पर श्री श्याम लाल के सामान की लूट एवं बरामदगी

38—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि थाना नरहौली, जिला मथुरा के अन्तर्गत 1/2 जुलाई, 1980 को मथुरा गोवर्धन मार्ग पर रात्रि के समय श्री श्याम लाल गुप्त पुत्र श्रीराम कुमार महावर 27, अगरतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता के 70,000 रू0 की लूट का क्या-क्या समान किस-किस तिथि का किस-किस अभियुक्त से बरामद हुआ और जो हार अभियुक्त मोहन श्याम से बरामद हुआ उसकी क्या कीमत है ? यह भी बताया जाय कि मोहन श्याम से बरामद हार किस तारीख को मालखाने में दाखिल किया गया था तथा किस ताीख को न्यायालय में क्षेत्राधिकार में पुलिस द्वारा दिया गया ?

श्री बनारसी दास—

सूचना सलग्न है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 723—724 पर)

थाना सुरीर जिला मथुरा में ग्राम ऊधर का अंकित अपराध

39—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 54/79 धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता, ग्राम ऊधर, सुरीर मथुरा के सदर्भ में क्षेत्रीय विधायक श्री ओंकार सिंह के निवेदन पर जिलाधीश मथुरा ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश पारित किस तिथि को दिये ? क्या मजिस्ट्रेट द्वारा यह जांच पूरी कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले पर मैजिस्टीरियल जांच के आदेश थानाध्यक्ष राया से प्राप्त हुई स्पेशल रिपोर्ट दिनांक 3—3—79 के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट मथुरा द्वारा दिनांक 15—3—79 को दिये गये। इस मामले में मजिस्टीरियल जांच कराने हेतु क्षेत्रीय

विधायक श्री ओंकर सिंह का कोई पत्र जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के कार्यालय की पत्रावली में नहीं उपलब्ध है। जांच अधिकारियों के परिवर्तन होने, जनपद के सूखाग्रस्त हो जाने तथा मध्यावधि लोकसभा चुनाव के कार्यों में व्यस्थ रहने के कारण जांच अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है।

ग्राम नगरिया खुर्द व पउई जिला शाहजहांपुर के अग्नेस्त्रों के लाइसेंस का निलम्बन

40—श्री हुकम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर में अगस्त, 1979 को कितने बन्दूक, रिवाल्वर तथा राइफल के लाइसेन्स थे और उसमें से कितने निलम्बित हैं और निलम्बन आदेश होते हुए भी लाइसेन्स आजतक जैतीपुर पुलिस द्वारा जमा न कराये जाने के विशेषकर ग्राम नगरिया खुर्द व पउई ग्राम के लोगों के क्या विशेष कारण है ?

श्री बनारसी दास—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

41—श्री राम नरायन वर्मा—

[दिनांक 5-6-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 33 द्वारा उत्तरित]

सचिवालय के पिछड़े वर्ग, अनुसुचित जाति, अनुसूचित जन-जाति के टंककों की नियुक्ति

42—श्री दयाराम भाष्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1979-80 में सचिवालय मे टंककों (टाइपिस्टों) की भर्ती हेतु चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो कुल कितने अभ्यर्थी प्रार्थना-पत्र दिये थे और कितने चुने गये ? टंककों में कितने पिछड़े वर्ग, कितने अनुसूचित जाति, कितने अनुसूचित जन जाति के हैं ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत दैनिक वेतन टंककों की सेवाओं को विनियमित किये जाने हेतु जुलाई/अगस्त, 1979 में प्रतियोगितात्मक परीक्षा करायी गयी थी। उक्त परीक्षा में कुल 1402 अभ्यर्थियों को सम्मिलित किये जाने हेतु प्रवेश पत्र जारी किये गये थे। सफल अभ्यर्थियों में से अभी तक कुल 493 व्यक्तियों को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है जिनमें पिछड़े वर्ग के 78 तथा अनुसूचित जाति के समस्त सफल 75 अभ्यर्थी है। अनुसूचित जनजाति का कोई अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मलित नहीं हुआ।

बरेली सेन्ट्रल जेल के कैदी जुम्मन बेग की रिहाई की मांग

43—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि श्री जुम्मन बेग, कैदी नम्बर 6377 सेन्ट्रल जेल, बरेली के रिहायी के सिलसिले में प्रश्नकर्ता ने 18-4-79 को गृहसचिव, जेल सचिव (श्री पी0सी0 जैन को जो तफसीली डी0ओ0 लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? श्री जुम्मन बेग को अब तक जेल से न छोड़े जाने की क्या वजह है ?

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र के संबंध मे जिला अधिकारी खीरी से जांच कराई गई। उनकी आख्या के अनुसार बन्दी जुम्मन बेग के पूर्व वृत के बारे में पुलिस द्वारा गलत आख्या नहीं दी गयी थी वरन् पुलिस रिकार्ड में अंकित सजायबी के आधार पर सूचना दी गयी थी। उक्त बन्दी को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के संबंध में शासन द्वारा कोई आदेश नहीं भेजा गया था। उसकी रिहायी

स कारण स्थगित कर दी गयी है क्योंकि वह एक अभ्यस्थ अपराधी है तथा मुक्त होने पर उसके पुन: अपराध में लिप्त होने की आशंका है। प्रश्नकर्ता की उसके पत्र का उत्तर गृह पुलिस अनुभाग–4 के अधं शासकीय पत्र संख्या 7949–ख–आठ–4–339–बी–79 दिनांक 16–10–79 द्वारा दिया जा चुका है।

वन प्रभाग, गोण्डा में पेड़ों का काटने एवं मजदूरों को दी गयी मजदूरी की दर

44––श्री बिन्दु लाल (जिला गोंडा)––

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीजन 78–79 में वन प्रभाग उत्तरी गोंडा मे वन निगम द्वारा कटान व मोछान का जो कार्य किया उस कार्य में मजदूरों को किस दर से मजदूरी दी गयी ? क्या वह वन निगम द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम है ? यदि हां, तो कम मजदूरी देने का क्या कारण है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन––

शीशम कटान व मोछान के लिए रु0 8 प्रतिधन मीटर की दर से तथा जतौंनी के लिए रु01.50 पैसे प्रतिधन मीटरकी दर से मजदूरों को निगम द्वारा निर्धारित कार्यानुपात मजदूरी पर मजदूर कार्य करने के लिए राजी न थे। इसलिए यह कार्य दैनिक मजदूरी पर कराया गया जिसके लिए जाड़ों में रु0 4 तथा मार्च, 79 के बाद 5 रु0 प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी दी गयी। अत: कम मजदूरी देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती क्रिस्टीनारोज उर्फ सरस्वती, मथुरा को नारी निकेतन में भेजने के आदेश

45––श्री हुकम चन्द्र तिवारी––

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि सदर (मथुरा) श्री पुष्पकर के न्यायालय से जून, 1979 में श्रीमती क्रिस्टीना रोज उर्फ सरस्वती नामक महिला को नारी निकेतन भेजने के आदेश पारित हुए ? यदि हां, तो नारी निकेतन, मथुरा में किस दिन हाजिर हुई और कितने दिनों तक नारी निकेतन में रही ? यह भी बताया जाय कि उक्त नारी को किस अपराध में थाना सदर मथुरा की पुलिस ने नारी निकेतन भेजने के लिए मान्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ?

श्री बनारसी दास––

जी हां, क्रिस्टीना रोज उर्फ सरस्वती नामक महिला को नारी निकेतन भेजने के आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 16–6–79 को पारित किये गये थे, और उसे उसी दिन नारी निकेतन मथुरा दाखिल कराने हेतु ले जाया गया। उक्त महिला नारी निकेतन में न रही और उसने वहां रहने में अपनी असमर्थता न्यायालय के समक्ष प्रकट की, जिस पर न्यायालय ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उक्त महिला किसी अपराध में वांछित नहीं थी, अपितु श्री आर0 के0 पिल्ले नामक व्यक्ति जिसके साथ वह रह रही थी, के साथ नहीं रहना चाहती थी और पुलिस मदद चाहती थी। अत: पुलिस उसकी इच्छानुसार थाना सदर बाजार ले आई। उक्त महिला ने अपने मूल निवास स्थान जाने की इच्छा व्यक्त की तथा यह भी कहा कि पहले पुलिस द्वारा इस बात की जानकारी कर ली जाय कि उसका परिवार बंगलोर में रह रहा है ,या नहीं। इस बात की जानकारी करने हेतु पुलिस कमिश्नर बंगलोर को रेडियोंग्राम व टेलीग्राम भेजे गये और उसके उत्तर की प्रतिक्षा करते उक्त महिला को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सुल्तानपुर जिले के अधिवक्ता पद पर श्री मूल चन्द्र अग्रवाल की नियुक्ति

46––डा0 जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री हरि चरण यादव (जिला सुल्तानपुर)––

क्या न्याय मंत्री बतायेंगे कि सुल्तानपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी (डी0 जी0 सी0, क्रिमनल) क पद पर नियुक्ति किये गये व्यक्ति का नाम जिला न्यायधीश एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रषित सूची में दूसरे क्रमांक पर था तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध शासनादेश संख्या

1519—ए0सी0 / सात, फौ0 वाद—375—79, दिनांक 17—5—79 के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर को जांच करने का आदेश दिया गया था ? उक्त नियुक्ति हेतु जिला स्तर से भेजी गयी सूची में प्रथम क्रमांक पर जिस व्यक्ति का नाम भेजा गया था वे एक वर्ष से उक्त पद पर कार्यरत थे तथा उसके कार्य एवं चरित्र के विषय में जिला न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी ने उत्तम आख्या भेजी थी ? तो किस आधार पर क्रमांक दो के व्यक्ति की नियुक्ति उक्त पद पर की गई ?

श्रीचन्द्र---

जी हां, श्री मूलचन्द्र अग्रवाल के विरुद्ध शिकायतों की जांच जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई थी और उसे निराधार पाया गया था। जिस व्यक्ति का नाम जिला जज व जिलाधिकारी द्वारा पैनल में प्रथम स्थान पर रखा गया था, (अर्थात् श्री काली सहाय पाठक) वह नई नियुक्ति के समय जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) के पद पर कार्यरत नहीं थे बल्कि उन्हे इस आधार पर कि उनकी नियुक्ति बिना न्याय विभाग की टीका प्राप्त किये और उनका पैनल में तीसरा स्थान होते हुए की गयी थी, पद मुक्त करके नवीन नियुक्ति होने तक डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) के पद का कार्यभार वरिष्ठतम सहायक जिला शासकीय अभिवक्ता (फौजदारी) को सौंपा गया था। जिला स्तर से जो नियुक्ति हेतु पैनल शासन को भेजा गया उसमें श्री काली सहाय पाठक का नाम जिलाधिकारी व जिला जज द्वारा गठित पैनल में प्रथम स्थान पर अवश्य रक्खा गया था परन्तु इसके साथ श्री पाठक या अन्य किसी के भी बारे में कार्य एवं चरित्र के विषय में न तो जिलाधिकारी ने और न ही जिला न्यायाधीश ने अपने विचार अलग से व्यक्त किये थे यद्यपि श्री पाठक के कार्यकाल के नवीनीकरण की संस्तुति में उनके कार्य व चरित्र के विषय में उत्तम आख्या भेजी थी। नियुक्ति अभिवक्ता श्री मूलचन्द्र अग्रवाल की सत्र परीक्षण में सफलता का प्रतिशत वर्ष 1977—78 में उनके द्वारा प्रस्तुत स्वयं कथित कार्य विवरण के अनुसार 53 था, जबकि श्री पाठक जिन्हें पैनल में प्रथम स्थान पर रक्खा गया उनके द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1977—78 का सत्यापित कार्य विवरण में, सत्र परीक्षण में उनकी सफलता केवल 36 थी। विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.03 (3) के अनुसार श्री अग्रवाल वरीयता के अधिकारी भी थे। इन सब बातों के आधार पर श्री अग्रवाल की नियुक्ति डी0जी0सी0 (क्रिमिनल) के पद पर की गई।

47—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

थाना, रेहरा जिला गोण्डा के विरुद्ध पम्फलेट

48—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक 21—1—79 को उमानाथ तिवारी, निवासी रेहरा, जिला गोंडा द्वारा कोई पम्फलेट थाना, रेहरा द्वारा की गई अनियमितता तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाला गया है जिसकी प्रति गृह मंत्री, मुख्य मंत्री, जिला अधिकारी गोंडा तथा पुलिस कप्तान गोंडा को दी गई ? यदि हां, तो उसमें दिखाई गई अनियमितता क्या थी और उस पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पर पृष्ठ 725 पर।)

प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा परीक्षकों को नियुक्ति

49—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा परिषद् में परीक्षक किस आधार पर नियुक्त होते हैं ? क्या गत वर्ष परीक्षा में वरिष्ठ अध्यापकों के स्थान पर कनिष्ठ अध्यापकों को परीक्षक नियुक्त किया गया था ? यदि हां,तो क्यों ? क्या यह सच है वरिष्ठ अध्यापकों ने परीक्षा कार्य करने से इन्कार कर दिया था ? यदि हां, तो किन कारणों में ऐसा किया गया था ? क्या गत वर्ष टेबुलेशन का कार्य सचिवालय के कुछ कर्मचारियों को दिया गया था ? यदि हां, तो उनके क्या नाम तथा पद हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 18 (1) के अधीन प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा गठित परीक्षा समिति उक्त अधिनियम के नियम 23 (2) "एच" के अन्तर्गत बनाये गये विनियमावली के अध्याय 3 के विनियम 9(1) (बी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन परीक्षक की नियुक्ति करती है ।

परिषद् के नियमों में परीक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त करने का कोई प्रविधान नहीं है । अतः परीक्षा समिति ने जिनको परीक्षक नियुक्त किया वही नियुक्त किये गये। गत वर्ष की परीक्षा में कुछ परीक्षकों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से परीक्षा कार्य अस्वीकार किया था।

टेबुलेशन का कार्य करने के लिये अन्य के साथ-साथ गत वर्ष सचिवालय के कुछ कर्मचारियों को भी टेबुलेशन का कार्य दिया गया था । टेबुलेशन कार्य अति गोपनीय होता है, अतः उनके नाम तथा पद देना जनहित में नहीं होगा ।

श्री हरचरन लाल गुप्त, बृन्दाबन, जिला मथुरा के रिवाल्वर का लाइसेन्स के निलम्बन

50—श्री कन्हैयालाल गुप्त—

क्या यह सत्य है कि श्री हरचरन लाल गुप्त, निवासी बृन्दावन, जिला मथुरा की लायसेंस दार रिवाल्वर के लाइसेंस को निलंबित करके एक मुकदमें के दौरान सदर मालखाना मथुरा में 6—9—74 को जमा कराई गई थी और क्या जिलाधिकारी मथुरा के आदेश दिनांक 17—3—79 द्वार उक्त रिवाल्वर का लाइसेंस बहाल किया गया तथा रिवाल्वर श्री हरचरन लाल को वापिस दिये जाने का भी आदेश दिया ? क्या यह सत्य है कि आदेश के बावजूद तथा श्री हरचरन लाल द्वारा कई प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को दिये जाने के बावजूद उक्त रिवाल्वर आज तक श्री हरचरण लाल को वापिस नहीं दो गई ? यदि हां, तो क्यों ? शासन द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रहा है ?

श्री बनारसी दास—

श्री हरचरन लाल गुप्त निवासी वृन्दावन, जिला मथुरा के रिवाल्वर का लाइसेंस निलंबित करके रिवाल्वर को सदर मालखाना मथुरा में दिनांक 6—9—74 को जमा कर दिया गया थ लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 9—3—79 द्वारा बहाल किया गया था।

पुलिस मालखाना में इस रिवाल्वर के गायब होने के कारण इस लाइसेंसी को वापस नहीं किया जा सका है । इस संबंध में मालखाना मोहर्रिर के विरुद्ध भा0 द0 वि0 की धारा 409/468 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है । श्री हरचरने लाल गुप्त को इस तथ्य से अवगत कराया जा चुका है ।

सीतापुर जिले के विभिन्न अपराधों का विवरण

51--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 मार्च, 1979 से आज तक जनपद सीतापुर में कत्ल, डकैती, राहजनी के अपराधों की स्थिति क्या है ? थाना स्तर पर कुल कितनी कत्ल, डकैतियां, राहजनी की घटनायें दर्ज की गयीं ?

श्री बनारसी दास--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 726 पर ।)

तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी, श्री सुन्दर लाल जोशी, नैनीताल को पुलिस पदक दिये जाने की मांग

52--श्री श्रीनारायण--

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 16-11-71 को नैनीताल से किलवली जंगलात के रास्ते जंगल विभाग की जीप से जाते हुये उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बी० गोपाल रेड्डी दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे और उनकी जीप 30 फीट गहरे नाले में गिर कर उलट गई थी ? उनकी सुरक्षा तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी नैनीताल श्री सुन्दर लाल जोशी ने अपनी जान पर खेल कर की थी और उनको तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री इन्द्र भक्त नेगी ने जीवन रक्षा हेतु श्री जोशी को प्रधान मंत्री या पुलिस पदक प्रदान करने की जोरदार सिफारिश माह दिसम्बर, 1971 में की थी ? यदि हां, तो अब तक श्री जोशी को किन कारणों से प्रधान मंत्री या पुलिस पदक नहीं प्रदान किया गया ?

श्री बनारसी दास--

प्रधान मंत्री का जीवन रक्षा पदक तथा पुलिस पदक संबंधी कार्यवाही गोपनीय प्रकृति की होती है। अतः प्रश्न में मांगी गयी सूचना देना जनहित में न होगा ।

देवरिया जिले के ग्राम महलिया निवासी श्री राम चन्द्र के घर पर कत्ल सहित डकैती

53--श्री श्रीनारायण--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के थाना खड्डा में दिनांक 22/23 मार्च, 1979 की रात में हुई डकैती में कितने डाकू तथा डाकुओं से संघर्ष में कितने नागरिक मारे गये ? कौन से डाकू पकड़ में आये हैं और कितनों की तलाश जारी है और उक्त डकैती में जूझने वाले नागरिकों को सरकार की तरफ से क्या अनुदान तथा पुरस्कार दिया गया?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम महलिया के श्री रामचन्द्र के घर डकैती में एक डकैत तथा 3 ग्रामीणों की मृत्यु हुई थी। अभियुक्त सर्वश्री बृषभान, शंकर, अली मुहम्मद, परदेशी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । 3 अभियुक्तों ने न्यायालय में समर्पण किया । एक अभियुक्त फरार है। मृतक के आश्रितों को असाधारण पेंशन स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

थाना नेबुआ नौरंगिया, जिला देवरिया के थानाध्यक्ष, श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी का स्थानान्तरण और भवन का निर्माण

54--श्री श्रीनारायण--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया के स्टेशन आफिसर (श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी) का माह फरवरी-मार्च, 1979 में घोर

शिकायतों जैसे डकैतों एवं पेशेवर हत्यारों का साथ करने आदि के आधार पर स्थानान्तरण हो गया था और वे चार्ज भी दे चुके थे ? यदि हां, तो किन कारणों से स्थानान्तरण निरस्त किया गया और उन्हें पुनः उसी थाने पर पोस्ट कर दिया गया ?

श्री बनारसी दास---

श्री लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया जनपद देवरिया का स्थानान्तरण दिनांक 2 फरवरी, 1979 को प्रशासनिक आधार पर हुआ था जो उनकी पत्नी की चिकित्सा के कारण तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुकम्पा के आधार पर निरस्त कर दिया गया था।

55--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

56--श्री श्रीनारायण---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया भवन का निर्माण कब और किसके द्वारा हो रहा है ? थाना भवन निर्माण का ठेका किसे और कितने रुपये में दिया गया है ?

श्री बनारसी दास---

जिला देवरिया के थाना नौरंगिया के भवन का निर्माण कार्य 1973 से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य किसी एक ठेकेदार से न करा करके आंशिक रूप से काम लेने वालों पीस रेटेड वर्कर तथा दैनिक मजदूरों से कराया गया है ।

57---श्री श्याम दत्त पालीवाल--

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित] ।

थाना, इस्लामनगर, बदायूं में हरिजनों द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

58--श्री करन सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना इस्लाम नगर, जनपद बदायूं में जनवरी, 1979 से अब तक (14-11-79) कितने हरिजनों को उत्पीड़न सम्बन्धी रिपोर्ट दर्ज हुईं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही पुलिस ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जनपद बदायूं को थाना इस्लामनगर में दिनांक 1-1-1979 से 14-11-1979 तक हरिजनों द्वारा सवर्णों के विरुद्ध कुल 29 रिपोर्टें दर्ज कराई गईं, जिन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नांकित है :---

रिपोर्ट की प्रकृति		संख्या	चालान न्यायालय किया गया	अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई	अन्य
हस्तक्षेपीय	..	11	5	6	..
अहस्तक्षेपीय	..	18	9	8	1

(न्यायालय से विवेचना की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है ।)

59—श्री करन सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

60—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ललितपुर जिले के बिल्ला निवासी श्री रामचरण को थाना जौनपुर द्वारा आर्म्स ऐक्ट के अधीन गिरफ्तारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी)—.

मान्यवर, लोक महत्व की सूचना आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। दिनांक 27-1-80 को बुन्देलखण्ड में ब त दिनों से फरार दस्यु दुर्ग सिंह एवं महाराज सिंह ने डी0एम0 ललितपुर के समक्ष आत्म समर्पण वहां की जनता के सहयोग से (श्री राम चरण बिल्ला निवासी एवं राम कृष्ण नामदेव ललितपुर द्वारा) कराया गया वहां की जनता ने राहत की सांस ली परन्तु पुलिस अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा...

श्री उपाध्यक्ष—

'क्योंकि से लेकर आरोप है' तक आप न पढ़िये, इसमें आरोप है।

श्री प्रेम नारायण अहेरवार—

गरीब जनता के अवैधानिक रूप से एवं अत्याचार के बल पर पसा इक्ट्ठा कर उच्च अधिकारियों का भरण पोषण करने का भी आरोप है कि सहयोग से व्यूह रचना कर थाना जौनपुर में राम चरन को बुलाकर डाकू दुर्ग सिंह की बन्दूक को लगाकर 25 आर्म्स ऐक्ट में बन्द कर दिया गया जिससे जनता में बड़ा असन्तोष व्याप्त है और असुरक्षा की भावना महसूस कर रहें हैं। राम चरन एक सामाजिक ईमानदार ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, इनके जान-माल का खतरा है' इसके पूर्व वहां के एस0पी0 एवं डी0एस0पी 0 द्वारा विधायक श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी को भी अपमानित कराया था और प्राणघातक हमला हुआ था जब वहां के लोकप्रिय विधायक श्री रणवीर सिंह एव कार्यकर्ता श्री राम कृष्ण नामदेव को भी बदमाशों द्वारा अपमानित करवाना चाहते हैं।

अत: आप से निवेदन है कि वहां के दोनों अधिकारियों को स्थानान्तरित कर जांच करवा कर जनता एवं जन प्रतिनिधियों की जान-माल की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाकर कार्यवाही हेतु मुख्य मंत्री को आदेश दें तथा 25 आर्म्स ऐक्ट को समाप्त करवाने हेतु कार्यवाही करें।

जनपद गाजीपुर में दिलदार नगर कस्बे में अराजकता की स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, अत्यन्त नम्रतापूर्वक मैं आपका ध्यान गाजीपुर जनपद के दिलदारनगर कस्बे के आसपास फैली हुई अराजकता की स्थिति की ओर आकृष्ट करता हूं। जिस पर यदि समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया तो स्थिति साम्प्रदायिक दंगे का रूप ले सकती है। लोक सभा के विगत चुनाव में कांग्रेस (ई0) कार्यकर्ताओं ने ग्राम उसिया के बूथ म कपचरिंग कराकर हरिजनों को मारपीट कर वोट देने से रोक दिया था। उक्त गांव में हरिजनों को उत्पीड़न करने का क्रम चला आ रहा था। मैं स्वयं भूतपूर्व सांसद श्री गौरी शंकर राय क साथ उक्त गांव

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश नरायन]—
में गया एवं हरिजन के झोपड़ी में बैठकर उनपर बीती सुन रहा था कि इसी बीच हमारी जीप की रखवाली कर रहे श्री अदालत राय हरिजन को कांग्रेस (आई) के कुछ पठानों ने पीट दिया। मैंने स्वयं दिलदार नगर थाने में घटना की रिपोर्ट करायी तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को घटना की सूचना भी दे दिया।

पुलिस को जितनी गंम्भीरता से इस घटना को लेना चाहिये था, नहीं लिया। परिणामस्वरूप उसिया गांव के ही लोगों ने जिनका आतंक दिलदारनगर बाजार पर बराबर बना रहता है, दिनांक 2 फरवरी, 80 को दिलदार नगर के एक तेल के दुकानदार श्री मथुरा प्रसाद को जो जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तेल का बहाना बनाकर पीटा तथा सामान भी नष्ट कर दिया। घटना की रिपोर्ट थाने में कर दी गयी है। इस घटना से दिलदारनगर बाजार में आतंक की स्थिति व्याप्त है तथा पूरा क्षेत्र मानसिक तनाव का अनुभव कर रहा है। जरा सी ढिलाई से साम्प्रदायिक आग लग सकती है। मैंने 3 फरवरी को क्षेत्र के उपपुलिस अधीक्षक रावत को इसकी सूचना टेलीफोन से दे दी तथा तत्काल एहतियाती कार्यवाही का अनुरोध किया।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल आवश्यक व्यवस्था कराने का कष्ट करें जिससे कुछ मनबढ़े उसिया ग्राम के नौजवान अराजक तत्वों के अनियंत्रित आचरण के कारण पूरा क्षेत्र बर्बाद होने से बच सके।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय के कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने से कर्मचारियों में असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मा0 उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय को कानपुर से लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न जन असंतोष की अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या आपके माध्यम से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, मुख्यालय कानपुर में सुचारुरूप से चल रहा था। परन्तु अकारण उसे लखनऊ स्थानान्तरित कर दिये जाने से उसमें कार्यरत 300 से अधिक परिवारों के आवास की समस्या उत्पन्न हो गयी है। राजधानी में उनके आवास का कोई प्रबन्ध नहीं विचारा गया।

इससे कर्मचारियों में भीषण उत्तेजना है वह आन्दोलनरत हैं। बोर्ड के एक कर्मचारी, स्वतंत्रता संग्राम सनानी श्री तगेया निर्णय के विरोधस्वरूप आमरण अनशन कर रहे हैं। 7वां दिन है। हालत चिन्ताजक है। एक माह से इसी दुविधा के कारण कार्यालय का काम ठप है। खादी आयोग द्वारा योजनाओं के वितरण हेतु 5 करोड़ रुपया जो 31 मार्च तक बंट जाना है उसमें से 2 करोड़ 31 जनवरी, तक बंटना था वह नहीं बंटा परिणामस्वरूप शर्तों के अधीन रुपया वापस करना पड़ेगा। इससे कुटीर उद्योग को भीषण क्षति हुई है।

मान्यवर, प्रदेश के ग्रामीण उद्योग के हित में यह आवश्यक है कि जब तक कर्मचारियों के आवास की समुचित व्यवस्था लखनऊ मे न हो जाय तब तक कार्यालय का स्थानान्तरण रोक दिया जाय। अभी तक सरकार द्वारा समस्या न सुलझाने से उसके खिलाफ भी असंतोष गहन हो रहा है। अतएव त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरदोई में माधोगंज के निकट ऐतिहासिक स्थान रोइयां नरेश नरपति सिंह की गढ़ी को आवागमन के साधनों से युक्त करने तथा उसकी खुदाई कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, हरदोई जनपद के कस्बा–माधोगंज के निकट उत्तर की ओर रोइयां नरेश नरपति सिंह की गढ़ी है श्री नरपति सिंह और रोइयां रियासत के सिपहसालारों ने 1857 में में अंग्रेजी सेनाओं के समक्ष नतमस्तक न होकर लड़ते लड़ते जूझना कबूल किया था । उक्त गढ़ी की एक-एक ईट राष्ट्रभक्त की लड़ाई में रियासत की अभूतपूर्व भूमिका का सबूत दे रही है। यह ऐतिहासिक स्थान आवागमनों के साधनों से कटा हुआ निर्जनता के घोर सूनेपन में अंग्रेजों के विरुद्ध उस क्षेत्र की जनता की बहादुराना लड़ाइयों की कहानियां दुहरा रहा है किन्तु आजतक शासन की ओर से इस स्थान की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है । इस गढ़ी की खुदाई करने पर भांति भांति के ऐतिहासिक तथ्य एवं सामग्री प्रकट हो सकती है ।

मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि उक्त ऐतिहासिक स्थल को आवागमनों के साधनों स युक्त करें, पुरातत्व विभाग द्वारा उसकी खुदाई कर तथ्यों एवं सामग्री का पता लगायें तथा दर्शनीय स्थल के रूप में उसे विकसित करें । ताकि स्वतंत्रता संग्राम में उस रियासत द्वारा निभायी गयी देशभक्तिपूर्ण भूमिका की गरिमा कायम रह सके ।

इलाहाबाद जनपद में बिजली के तारों की चोरी तथा डकैतियों के आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद में बिजली के तार की चोरी तथा डकैतियों के आतंक से जनता में घोर असंतोष की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मान्यवर, जिले की तहसील हंड़िया के अन्तर्गत दिनांक 20 तथा 21 जनवरी की रात में जी0 टी0 रोड तथा रेलवे सड़क के किनारे 4 कि0 मी0 की दूरी तक 3 फेस तार, जिसकी लम्बाई 12 कि0 मी0 की है, जिसकी कीमत 60 हजार रुपया होती है, चोर काटकर उठा लें गये । जिससे सारा कार्य बिजली विभाग का ठप्प पड़ा है । इसी तरह आशेपुर, बड़ेखरा गांव में 20 घर, यासीनपुर में 10 घर, महरुपुर में 4 घर, डकैतों ने लूट लिया । यही नहीं आशेपुर गांव में बिलासपुर से आये मजदूरों को जो भट्ठे पर काम करते थे, उन्हें बुरी तरह से लूटा तथा मारापीटा और उनकी बहू बेटियों के साथ सामूहिक बलत्कार भी किया । इससे पूरे जिले में जनता काफी भयभीत है । पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है । आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुयी । जिले में बिजली की तार काटने की यह यह चौथी घटना है । अतः मांग करता हूं कि सरकार अविलम्ब उचित कार्यवाही करे ।

प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय ग्रामों में डकैतियां तथा हत्यायें एवं पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय , मैं आपका ध्यान प्रतापगढ़ जनपद के अन्तर्गत डकैतियों, हत्याओं, लूटों एवं राहजनियों के फलस्वरूप व्याप्त आतंक एवं अराजकतामयी स्थिति की ओर आकृष्ट करता हूं । विशेष रीति से थाना रानीगंज, अंतू बाघराय, कोतवाली, कंधई, जेठवारा एवं

---

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम देव दुबे]--

पट्टी की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति विशेष चिन्तनीय है। दिनांक 25/26 जनवरी, 1980 की रात में रानीगंज थानान्तर्गत मुनी का पुरवा ग्राम में डकैतों ने अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर डकैती डाला और गृह स्वामी श्री मोहर अली की निर्मम हत्या करके सम्पूर्ण रीति से वस्त्राभूषण एवं नकद सब कुछ लूट लिया। उसी रात में संडीला ग्राम में लगभग सात घर डकैतों ने लूटा और गोलियां चलाकर अनेक नर नारियों को घायल कर दिया। इसके पूर्व इसी महीने में ग्राम खाखापुर सुल्तानपुर एवं चांदपुर आदि में दर्जनों घ ों में डकैतियां डाली गयी और लूट की गयी तथा अनक नर नारियों को घायल किया गया।

इसी क्रम में तथा इसी थानें में ग्राम सवैया भी लूटा गया और नागरिकों को आघात पहचाया गया। अन्तू थाने में तो डकैतियों तथा हत्याओं का तांता लग गया है। इस प्रकार दोनो थाने रानी गंडा एवं अन्तू चन्बल घाटी का स्वरूप धारण कर लिये है। जनजीवन पूर्णतः आरक्षित है। पुलिस निष्क्रय एवं प्रशासन शिथिल है। जनता किंकर्तव्यविमूढ़ हो गयी है। श्रीमन्, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर कथित थानें में व्याप्त अराजकतामयी स्थिति क परिहार एवं निराकरण की अपेक्षा करता हुआ तत्काल पी0ए0सी0 की तैनाती की मांग करता हूं एवं मृतक परिवारों को अनुतोष की व्यवस्था हेतु निवेदन करता हूं। मुख्य मंत्री जी वर्णित दशा पर वक्तव्य दें ऐसी अपेक्षा करता हूं।

बृन्दाबन के प्राच्य दर्शन महाविद्यालय के प्राचार्य, डाक्टर शरण बिहारी गोस्वामी पर प्राणघातक हमले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)--

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मैं इस मान्य सदन का तथा उसके माध्यम से शासन का ध्यान वृन्दावन नगर में पिछली 25 जनवरी, 1980 को घटित एक बहुत ही दुखद घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

उक्त तिथि को दोपहर के 11 बजे वृन्दावन के प्राच्य दर्शन महाविद्यालय के प्राचार्य डा0 शारण बिहारी गोस्वामी पर जब वे कालेज जा रहे थे स्कूटर से गिरा कर प्राणघातक हमला किया गया। संयोग से रास्तागीरों के आ जाने से श्री गोस्वामी की प्राण रक्षा हो सकी। अत्यधिक दुख की बात यह है कि घटना विषयक नामजद रिपो ं होने पर तथा माननीय मुख्य मंत्री से लकर प्रशासन के हर स्तर पर पहुंच करने पर भी आज तक इस संदर्भ में शासन की ओर से आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी।

घटना की गम्भीरता का अनुमान इससे लग जावेगा कि क्षेत्र की अनेक शिक्षा संस्थाओं ने ही नहीं वरन् विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने भी अपने विशेष प्रस्ताव द्वारा घटना पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की शासन से मांग की है। फिर भी कार्यवाहीं नहीं की गयी।

अतः वाध्य हो कर मैं इस अधिसूचना द्वारा शासन से इस संदर्भ में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही हतु अनुरोध करता हूं। आशा है इस अनुरोध को सुना जायगा।

जनपद बांदा के थानाध्यक्ष अतर्रा के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बांदा थाना अतर्रा, ग्राम गोखिया में एक अक्तूबर, 1979 को दो पार्टियों में आपस में झगड़ा हो गया। थानाध्यक्ष, अतर्रा रात्रि में गोखिया पहुंचे और दशहरा मना रहे दो महिलाओं सहित 8 व्यक्तियों कीपिटाई की जिसमें महिलाओं की खोपड़ी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फट गयी और घर में घुस कर जेवरात छीन लिए तथा इनके जानवर खोल दिये और घरों में ताला लगा दिया। जब कि इन 8 व्यक्तियों का झगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है और नही उनके विरुद्ध फ0 आई0 आर0 ही थी। 2 अक्तूबर, 1979 को इनकी डाक्टरी सिविल अस्पताल बांदा में करवायी गयी। 3 अक्तूबर, 1979 को क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी उपरोक्त के बयान ले रहे थे। तब थानाध्यक्ष, अतर्रा ने जा कर क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी के सामने उन्हें तथा उनकी मदद करने वाले जन प्रतिनिधियों को गाली गलौज किया। यदि कोई जन प्रतिनिधि थानाध्यक्ष, अतर्रा के जुर्म के विरुद्ध आवाज उठाता है तो थानाध्यक्ष, अतर्रा प्रतिशोध की भावना से उसकी बेइज्जती करने पर आमादा हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री को 24 अक्तूबर, 1979 को तथा माननीय पुलिस महानिरीक्षक को 26 अक्तूबर, 1979 को थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। थाना अतर्रा गुंडों तथा दलालों का अड्डा बना हुआ है। थानाध्यक्ष, अतर्रा अपने संरक्षण में कस्बे में जुआ करवाते हैं और पैसे वसूलते हैं। हर सभ्य व्यक्ति इससे सशंकित रहता है। तानाशाही का वातावरण पैदा किये हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं। उपरोक्त मामले की जांच किसी मजिस्ट्रेट द्वारा चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचर के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)---

उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक लि0 के मुख्यालय में भीषण भ्रष्टाचार एवं अनियमितायें व्याप्त हैं। इससे प्रदेश के किसानों को समुचित तरीके से ठीक समय में ऋण नहीं मिल पाता। यह समस्या सूखा और आकाल की स्थिति में किसानों को और अधिक वेदना पहुंचा रही है। सिंचाई हेतु पम्पिग सेट तथा अन्य कृषि उपकरण खरीदने के लिये उपकरण प्राप्त करने में भारी बाधायें उत्पन्न हो रही हैं। प्रदेश भर की बैंक की शाखाओं में किसानों को विभिन्न तरीकों से रिश्वत लिये बिना ऋण स्वीकार नहीं किया जाता। यदि ऋण स्वीकार भी कर लिया गया तो उस के भुगतान में कई प्रकार की अड़चने डाल कर बैंक कर्मचारी मनोवांछित रिश्वत पाने के प्रयास करते हैं। जिससे किसान लूटा जाता है और उसका बेहद उत्पीड़न हो रहा है। रिश्वत खोरी के हथकण्डों से उत्पीड़ित किसानों ने बांदा जिले की बैंक की कर्बी शाखा के विरुद्ध 23 जनवरी, 1980 को प्रातः 10 बजे से अनशन (आमरण) शुरू किया और उस की सूचना सहकारिता मंत्री व मुख्य मंत्री जी को भी भेजी है। सूखा पीड़ित किसानों को पम्पिग सेट खरीदने हेतु तुरन्त ऋण उपलब्ध कराने तथा उस संबंध में बैंक कर्मचारियों द्वारा लगाई जाने वाली सभी अड़चनों को दूर कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अनशनकारी किसानों की मांगों को तुरन्त स्वीकार कर ली जाये।

बैंक की शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा खुले आम यह कहा जाता है कि वे बैंक के लखनऊ के मुख्यालय के अधिकारियों को रिश्वत देते हैं और उनको मिलाये रखते हैं। इससे उन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को किसानों की कठिनाइयां दूर करने तथा बैंक के मुख्यालय से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये तुरन्त कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

अतः इस अबिलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये किसानों की मांगे तुरन्त स्वीकार कर के अनशन समाप्त कराने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूत के दामों में बढ़ोत्तरी से बुनकरों को कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सूत के दाम अत्यधिक बढ़ जाने से प्रदेश के लगभग पांच लाख बुनकरों के परिवारों के सामने जीविका की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। जनता धोती में प्रयोग होने वाले सूत के दाम डेढ़ गुने बढ़ जाने पर भी सरकारी खरीद में जनता धोती के दामों में वृद्धि न करने से लाखों बुनकरों की लागत भी नहीं निकलती है। यही नहीं केन्द्र सरकार से मिलने वाली "छूट सहायता" की राशि बढ़ाना तो दूर इस विषम परिस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा "जनता धोती" के रूप में हथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली सब्सीडी का 75 प्रतिशत कपड़ा मिल मालिकों के हित के लिये मिलों को देने की कार्यवाही ने इन बुनकरों को और भी हताश कर दिया है। इससे पूरे प्रदेश में गरीब बुनकरों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त है। मेरे फर्रुखाबाद के बुनकरों ने मुझसे मिल कर अपनी करुण कथा सुनाई है कि उन्हें भरपेट खाना भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और "जनता-सरकार" की सबसे बडी उपलब्धि को निरर्थक किया जा रहा है।

अस्तु मैं लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न पर माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए सूत के दाम कम कराने या बुनकरों को दी जाने वाली सबसिडी राशि बढ़ाने तथा उनको सरल तरीके से सूत उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी कदम उठाने के आश्वासन की मांग करता हूं।

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी नगर की कृषि मण्डी में लूटपाट के संबंध में नियम 301 के के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आप के माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं--

आगरा जनपद के फतेहपुर सीकरी नगर में दिनांक 25-1-80 को 3 बजे अपरान्ह कृषि मंडी फतेहपुर सीकरी के राम मिलन चपरासी ने श्री शिव चरनलाल अढ़तिया को भरे बाजार में बुरी तरह से पीटा और उलटे थाने में धारा 353 की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी इस पर व्यापारियों ने मीटिंग करके बाजार बन्द कर दिया और [× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपत्तिजनक है। इसे मैं निकाल देता हूं.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, यह क्या हो रहा है, कभी पुलिस ने इसको मारा, कभी उसको पीटा कभी 301 में, कभी काम रोको प्रस्ताव, फिर मेरा निवेदन है कि बजाये इन्हें स्वीकार करने के आप जरा मुख्य मंत्री को कड़ा करें। क्या हो रहा है प्रदेश में। एक विधायक शिकायत करते हैं....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:--[××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसका कोई असर नहीं है। दरोगा ने मारा पीटा, आखिर यह क्या हो रहा है? यह उच्छृंखलता क्यों हो रही है? पुलिस महकमें का उत्तरदायित्व किसी वरिष्ठ मंत्री को दिया जाय। त्रिपाठी जी जब उत्तर देते हैं तो मालूम होता है कि थाने में वह स्वयं मौजूद थे।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर आपके सामने आते हैं और उनका जवाब भी मिलता है।

श्री बदन सिंह—

एक जलूस निकाला जिसका नेतृत्व सर्व श्री राम किशन पांडेय, शिव चरन दोनों लाइन मैंने विद्युत विभाग, चिन्तामणि शर्मा और लक्ष्मीनारायण शर्मा आदि ने किया। जैसे ही जुलूस फतेहपुर सीकरी के चुंगी कार्यालय पर पहुंचा तो श्री चिन्तामणि शर्मा ने अनशनकारियों का माइक छीन कर भाषण दिया। भीड़ को मार-पीट करने और बाजार लूटने के लिये उत्तेजित किया। पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस दरोगा, श्री हरिबख्श सिंह ने कहा कि तुम्हें इतना समय मिल गया है तब भी लूट नहीं कर रहे हो। अनशनकारियों को मारो और बाजार को लूट लो तब ये लोग बाजार खोलेंगे। पुलिस के इस इशारे पर जुलूस के उपद्रवी और असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्वक अनशन पर बैठने वालों को मारा-पीटा और बाजार के शटरों पर ईंट पत्थर फके। मजबूत शटर जब नहीं टूटे तो शफिया लोहार से सरिया, सम्बल, सड़ियासी और हथोड़े लेकर शटरों के ताले तोड़े। कपड़े, मिठाई, गुड़, बूरा आदि जीवनोपयोगी वस्तुओं को लूटा।

जब जगन्नाथ अढ़तिया का फाटक नहीं टूटा तो ये गुन्डे पीछे के टीले से उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश कर गये। गृह स्वामी को पकड़ कर मारा पीटा और घर को ईंट पत्थर से भरकर उन्हें आतंकित किया तथा हजारों का माल लूटा। उपद्रवकारी इस तरह से फतेहपुर सीकरी के बाजार को दिन-दहाड़े लूटते रहे और 3 घन्टे तक उनका ही राज बाजार में रहा। इस लूट में लाखों का माल उनके हाथ लगा है। परगना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी आगरा से पी0ए0सी0 और पुलिस पहुंची तो वे भाग खड़े हुए। दुःख की बात यह है मान्यवर, कि इस बाजार की कृषि मंडी विद्युत विभाग के सरकारी कर्मचारियों और कांग्रेस (आई0) के लोगों ने लूटा है। इस लूट से फतेहपुर सीकरी के व्यापारियों में हाहाकार मच गया है। वे भयग्रस्त हैं। गुंडों का आतंक छा गया है।

मान्यवर, मेरी आपके द्वारा शासन से मांग है कि इस लूट मार की न्यायिक जांच हो। दोषी कर्मचारियों को निलम्बित किया जाय। लूट-मार करने वाले गुंडे जेल भेजे जाय और गरीब दूकानदारों की क्षतिपूर्ति कराई जाय।

हिन्दी साहित्य के आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की चिकित्सा व्यवस्था तथा आर्थिक सहायता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, हिन्दी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान एवं राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जनपद वाराणसी में गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। वे विगत जनवरी के दूसरे सप्ताह से पक्षाघात से पीड़ित होकर स्थानीय सर सुन्दर लाल अस्पताल, काशी विश्वविद्यालय में भर्ती कराये गये जहां पर उनकी स्थिति अभी भी अत्यन्त ही चिन्तनीय बनी हुई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

आचार्य जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। जिसकी वजह से पक्षाघात जैसे असाध्य रोग का इलाज कराने में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। किन्तु अत्यन्त ही स्वाभिमानी स्वभाव के कारण उन्होंने आर्थिक सहायता हेतु कहीं भी हाथ फैलाना उचित नहीं समझा।

आचार्य जी की पिछले 40 वर्षों से हिन्दी भाषा तथा साहित्य की सेवा को देखते हुए राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वह आचार्य जी की चिकित्सा के लिये तत्काल राजकीय स्तर पर प्रबन्ध करें एवं उनकी चिकित्सा हेतु जो भी आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। उसे तत्काल समाप्त करें और राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने के लिये वाराणसी भेजा जाय, ताकि उनकी सुचारु रूप से चिकित्सा हो सके और सम्प्रति उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी शासन द्वारा तत्काल प्रदान किया जाय।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं। वह तत्काल उत्तर दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

स्वास्थ्य मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिये और उनको चिकित्सा सुविधा तथा आर्थिक सहायता देना चाहिये।

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

श्रीमन्, जहां तक चिकित्सा का सवाल है उनकी सारी चिकित्सा राज्य सरकार की ओर से दिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में वे कार्य कर रहे है। उनकी आर्थिक सहायता के बारे में भी शासन निर्णय ले रहा है और शीघ्र ही उनको आर्थिक सहायता भेज दी जायेगी।

फरेन्दा-महाराजगंज, जनपद गोरखपुर के गांवों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा भयानक नुकसान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर कि फरेन्दा-महाराजगंज के जंगलों के चारों ओर लगे गांवों की फसलों का खासकर इस वर्ष जंगली जानवरों द्वारा भयानक नुकसान की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस तरह यहां इन जंगलों से लगे गांवों की फसलें जंगली जानवर हर वर्ष नष्ट कर देते हैं और इस वर्ष जब सूखा अकाल की स्थिति है तो इस नुकसान से हाहाकार मचा हुआ है राज्य सरकार का तत्काल इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान देकर जंगलों के चारों तरफ कटीले तार या गहरे नाले बनवाकर फसलों को बचाया जाय। कम से कम खाद्यान्न योजना में ही नाला बनवाने का काम शुरू कर पूरा कराया जाय।

आपके माध्यम से मैं माननीय सदन का ध्यान इस विषय की तरफ आकर्षित करते हुये आशा करता हूं कि तत्काल माननीय वन मंत्री व सरकार से इस सन्दर्भ में आश्वासन दिलाया जाय।

सिंचाई मंडल, बांदा के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा केन नहर के सैकड़ों कुलाबों को उखड़वा देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, बांदा के काश्तकारों की समस्याओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बांदा जिले में भयंकर सूखा पड़ने के कारण खरीफ की सारी फसलें सूख गई हैं और जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अकाल की छाया में कराह रही है। शीत-कालीन वर्षा के कारण काश्तकारों ने रबी की फसलें बोई हैं। इन फसलों की सिंचाई के लिये 1 फरवरी से केन नहर चलाई जा रही है लेकिन सिंचाई मंडल, बांदा के अधीक्षण अभियन्ता ने केन नहर प्रणाली के सैकड़ों कुलावों को जो दसियों सालों से लगे थे अस्थाई कह कर उखड़वा दिया है। उनके स अविवेकपूर्ण काम से हजारों काश्तकारो के खेतों में पानी जाना बन्द हो गया है और फसल सूख रही है। मेरे द्वारा प्रार्थना किये जाने पर माननीय सिंचाई मंत्री जी ने दिनांक 30 जनवरी को उखाड़े हुये कुलावों को पुनः अविलम्ब लगाने का आदेश अधीक्षण अभियन्ता को दिया था लेकिन इस आदेश के बावजूद भी अब तक कुलाबे नहीं लगाये गये हैं। नहर में पानी केवल 15 फरवरी तक चलने वाला है। काश्तकारों में गम्भीर असन्तोष है

अतः मरकार से अनुरोध है कि उखड़े हुये कुलावों को अविलम्ब लगवाने की व्यवस्था करें और इस विवेकहीन कार्यवाही के उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ कायवाही करें।

प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के नरायनपुर दौरे के संबंध में औचित्य के प्रश्न

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि कल 'स्वतंत्र भारत' में लिखा था कि देश की प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी के उत्तर प्रदेश में नरायनपुर जाने पर इस सरकार के मुख्य मंत्री ने गहरी आपत्ति व्यक्त की और उसे अनुचित बताया। श्रीमन्, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, केन्द्रीय सरकार और प्रधान मंत्री को जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको चुनौती दी है। श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि कल देश की प्रधान मंत्री नरायनपुर पहुंच रही है ऐसे अवसर पर मुझे सरकार की नीयत पर शक हो रहा है और देश की प्रधान मंत्री का जो प्रोटोकाल है, सुरक्षा की व्यवस्था है, उसे यह सरकार नहीं करने जा रही है और उनके आगमन पर कहीं कोई व्यवधान न खड़ा हो जाय। इसलिये मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री ने जो बयान दिया है उसका क्या आशय यह है कि वे कोई व्यवधान या उनके लिये कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करूं या न करूं, किन्तु पहली बात तो आप यह बतायें कि आपको यह सूचना कहां से मिली ? क्या आपकी सूचना का आधार केवल अखबार ही है?

श्री गुलाब सेहरा--

अखबारों के आधार पर कल शतरुद्र प्रकाश जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया था।

श्री उपध्यक्ष--

तो उनका प्रश्न स्वीकार कहां हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा--

एक अखबार में नहीं कल के प्रत्येक अखबार में, दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत और 'आज' अखबार में यह छपा है। मुख्य मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से यह कहा है कि यह अनुचित है और मैं इसे गंभीरता से लेता हूं कि वह नरायनपुर का दौरा करें।

श्री उपाध्यक्ष--

औचित्य के प्रश्न के रूप में मैं इसे स्वीकार नहीं करता लेकिन मुख्य मंत्री जी काफी अनुभवी है वह अपनी जिम्मेदारी जानते हैं। मैं समझता हूं कि वह प्रधान मंत्री की सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी को पूरे तौर पर निभायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, गुलाब सेहरा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो अनावश्यक चीजों को आवश्यक चीज बता रहे हैं, अखबारों के आधार पर। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री बीरेन्द्र वर्मा एक जमाने में होममिनिस्टर थे जिनको आजकल उन्होंने अपनी झोली में रख लिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री ऊदल---

श्रीमती इंदिरा गांधी को मुजफ्फरनगर के दौरे पर जाना था तो उस व्यक्ति को जिनको इन्होंने अपनी झोली में कर लिया है, ने रोक लगा दी थी श्री बीरेन्द्र वर्मा ने।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या आप जबाव दे रहे हैं ?

श्री गुलाब सेहरा---

यही नहीं, यह व्यवधान डाल कर उनको रोकना चाहते हैं। एक ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है। इसका स्पष्टीकरण वह दे दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मुझे जानकारी मिली है कि प्रधान मंत्री का दौरा स्थगित हो गया है, आज वह नहीं आईं शायद कल भी न आयें। सेहरा जी को बाद में मालूम होता है वह मालूम कर लें हमको ज्यादा जानकारी है आपसे।

श्रीमन्, मैंने और श्री देवकुमार जी ने एक औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है जो नरायनपुर कांड के संबंध में है। मान्यवर, इस सम उत्तर प्रदेश में जो भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप है उसके समक्ष एक प्रश्नचिन्ह उपस्थित हो गया है उसके साथ-साथ जो राज्य की स्वायत्तता है उस पर भी खतरा उपस्थित हो गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि श्रीमती इदिरागांधी का जो कि देश की प्रधान मंत्री हैं उनको नारायणपुर नहीं जाना चाहिये, उनका नारायणपुर जाना एक अनौचित्यपूर्ण कार्य होगा.....

श्री उपाध्यक्ष---

कल जब आपने यह प्रश्न उठाया था तो मैंने अपना निर्णय दे दिया था। आज जो सूचना दे रहे हैं, वह क्या अलग है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मैं नये तर्क दे रहा हूं। कल मुख्य मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया था। आज सुबह मुख्य मंत्री जी ने स्पष्टरूप से कहा है जो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान में हैं उनका बयान आया है कि प्रधान मंत्री का नारायणपुर जाना अनौचित्यपूर्ण है उससे कानून व्यवस्था को बनाने में मदद नहीं मिलेगी। इससे राज्य की स्वायत्तता के समक्ष प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ है। कानून और व्यवस्था का प्रश्न पूरे तौर पर राज्य सरकार का है। अब नारायणपुर के संबंध में न्यायिक जांच की घोषणा सदन के अंदर हो चुकी हैं संसदीय लोकतंत्र की परम्परा में किसी भी व्यक्ति को जब न्यायिक जांच की घोषणा हो जाय, खासकर प्रधान मंत्री को घटना स्थल पर नहीं जाना चाहिये। उसके बावजूद भी, मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद प्रधान मंत्री नारायणपुर जा रही हैं। इस देश के अन्दर संसदीय लोकतंत्र में ऐसा

उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु ने प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई को जब वह राज्य के अन्दर जाना चाहते थे, सलाह दी कि उन्हें नहीं जाना चाहिये तो प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, कल मैं इस पर निर्णय दे चुका हूं कि यह जो औचित्य का प्रश्न है इसे मैं अस्वीकार करता हूं। इसमें आज कोई नई बात नहीं है। इसलिये इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं एक नजीर आपके सामने रख रहा हूं कि एक बार केन्द्रीय मंत्री को भी गुजरात के मुख्य मंत्री ने प्रदेश में जाने से रोक दिया था ....

*उप मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)--

गूलाब सेहरा ने जो एक आशंका व्यक्त की है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तो अपना कर्त्तव्य समझती है और उसे ध्यान में रखते हुए शान्ति व्यवस्था के लिए जो करना चाहिये, उसे वह करती है और करेगी। लेकिन मुझे भी एक आंशका हो रही है कि श्री गुलाब सेहरा और उनके दल के लोग जिस तरह से शासन को बदनाम करने पर तुल हुए हैं और शान्ति व्यवस्था के वातावरण में विघ्न-बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते उनके आने पर कहीं वह लोग स्वयं कोई ऐसा वातावरण न पैदा कर दें जिससे ऐसी बात हो जाए..... (व्यवधान) ऐसी आशंका मेरे मन में आ रही है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

श्रीमन्, आपने जो व्यवस्था अभी दी है उसके सम्बन्ध में क्या आप मुख्य मंत्री से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी यहां दिलवा पायेंगे कि क्या मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को आने से मना करने के लिए कोई पत्र लिखा है ? क्योंकि प्रधान मंत्री देश के संघीय स्वरूप को नष्ट कर रही हैं, वह उसे बर्बाद करने पर लगी हैं और प्रदेश की स्वायत्तता पर चोट कर रही हैं। उनको नारायणपुर का दौरा नहीं करना चाहिए, इस कानून-व्यवस्था को भारी खतरा हो सकता है। इस दिशा में प्रधान मंत्री को क्या कोई पत्र गया तो उसकी जानकारी सदन के अन्दर उपस्थित होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

वह अगर स्वयं कहना चाहें तो कह सकते हैं, मैं इस तरह का उन्हें कोई निर्देश नहीं दे सकता हूं। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी प्रधा मंत्री के आने पर पूरी रह से निभायेगी (व्यवधान)..... मैं अपनी तरफ से कोई निर्देश उन्हें इसके लिए नह देता हूं।

श्री गुलाब सेहरा--

अब तो सबको शंका होने लगी है, सभी शंकालु हो गये हैं।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश--

देश की प्रधान मंत्री देश के संघीय स्वरूप को जिस तरह से नष्ट-भ्रष्ट कर रही हैं, मैं उसके विरोध में सदन का 10 मिनट के लिए बहिष्कार करता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश सदन त्याग कर चले गये)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

त्रिभाषा फार्मूले से संस्कृत को निकाले जाने से संबंधित कमेटी गठित किये जाने के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, 25 तारीख को मेरे एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री जब उसका उत्तर दे रहे थे, उसमें उन्होंने संस्कृत के बारे में, जिसे त्रिभाषा फार्मूले में से निकाला गया है, कहा था कि उसे उसमें रखने के बारे में पुनर्विचार किया जाएगा, और यह भी कहा था कि उसके लिए आवश्यक होने पर विद्वतजनों और सदन के नेताओं से भी विचार-विमर्श करके उसमें परिवर्तन करने की वह घोषणा करेंगे। किन्तु अब यह सत्र समाप्त होने वाला है और इस पर अभीतक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इससे सम्पूर्ण प्रदेश में एक असन्तोष व्याप्त है और सारे प्रदेश और देश की जनता शासन के परिवर्तित निर्णय को सुनना चाहती है। अत: मैं शिक्षा मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से, जिनको मैं लिख चुका हूं जिसको आपने उनके पास भेज दिया होगा, जानना चाहता हूं कि वह मीटिंग कब हो रही है और उसमें कौन आ रहे हैं और उसका निर्णय कब हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में शासन की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि सभी दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करके इसका हल निकाला जाएगा, तो इसमें क्या कोई प्रगति हुई है ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशनाथ सिंह)---

इसमें कोई तिथि तो निश्चित नहीं हुई है, लेकिन मुख्य मंत्री से सलाह लेकर हम लोग बहुत शीघ्र ही मीटिंग बुलाने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इस सत्र के समाप्त होने से पहले मीटिंग करके मीटिंग और निर्णय की सूचना अवश्य यहां पर दे दी जाए।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)---

शिक्षा मंत्री के बोलने से पहले एक बात और सुन लें। मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था, उस पर इसी सत्र में और सत्र समाप्त होने से पहले मीटिंग बुला ली जाए तो मैं उस आश्वासन को पुन: दोहराना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि सदन उठने से पहले कमेटी की घोषणा हो जाये। इसका भी आश्वासन माननीय मंत्री जी देने की कृपा करें।

उप मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

जो आश्वासन दिया गया था, सरकार आज भी उस आश्वासन पर है और जो भी निर्णय होगा वह सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

यह पूछ रहे हैं कि सदन के उठने के पहले बता दिया जायेगा या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव---

सदन के उठने के पहले भी जो निर्णय होगा उसकी जानकारी दे दी जायेगी।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

मान्यवर, उर्दू के बारे में इस प्रदेश में बड़ी चिन्ता है।.....

श्री उपाध्यक्ष---

आप कैसे बोल रहे हैं। इसे मैं समाप्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1188-सं/सत्रह-80-129 सं0-79, दिनांक 30 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का प्रथम प्रतिवेदन††

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का प्रथम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1973-74 (सिविल) पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का द्वितीय प्रतिवेदन††

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का द्वितीय प्रतिवेदन जो परीक्षक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां तथा पंचायतें, उत्तर प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने तथा उन पर विचार करने हेतु लोक लेखा समिति की भांति विधान सभा की एक समिति के गठन सम्बन्धी सुझाव के विषय में एक विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1979-80) का तृतीय प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1974-75 (सिविल) 1975-76 (सिविल) एवं 1976-77 (सिविल) में उल्लिखित क्रमशः प्रस्तर सं0 17-18, 1.17-1.18 व 6.1 तथा 1.18 व 6.1-6.2 पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1979-80) का चतुर्थ प्रतिवेदन††

*श्री पदमाकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं सभापति प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1979-80) का शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) से सम्बन्धित चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1979–80) का षष्ट प्रतिवेदन†

*श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़) —

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1979-80) का षष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसका सम्बन्ध 6ठी विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1976–77) का चिकित्सा विभाग से सम्बन्धित बारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से है। मूल प्रतिवेदन में की गयी समिति की संस्तुतियों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना पर प्राक्कलन समिति 1978–79 ने अपनी 13 जुलाई, 1979 की बैठक में विचार किया तथा प्राक्कलन समिति 1979–80 ने अपनी दिनांक 12 दिसम्बर, 1979 की बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करके उसे अंगीकार किया।

स्वतन्त्र भारत, दैनिक जागरण तथा नेशनल हेराल्ड के सम्पादक और यू0 एन0 आई0 के प्रतिनिधि के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष —

श्री बांकेलाल, सदस्य, विधान सभा ने सम्पादक, 'स्वतंत्र भारत', सम्पादक, 'दैनिक जागरण' सम्पादक, 'नेशनल हैराल्ड' और यू0 एन0 आई0 के प्रतिनिधि के विरुद्ध 29–1–80 को विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी थी जिसे उन लेख्यों के, जो शिकायत के आधार थे, संलग्न न किए जाने के आधार पर मेरे द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, दिनांक 30 जनवरी, 1980 को माननीय श्री बांकेलाल ने पुनः उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है और अपनी सूचना के साथ 'स्वतंत्र भारत' (नगर संस्करण) दिनांक 28 जनवरी, 1980, "दैनिक जागरण" (नगर संस्करण) दिनांक 28 जनवरी, 1980, "नेशनल हैराल्ड" (सिटी एडीशन) दिनांक 28 जनवरी, 1980 के अंक संलग्न करके भेजे हैं, जिनमें देवरिया जिले के नारायनपुर गांव में 14 जनवरी, 1980 को घटित घटना का उल्लेख है। 'स्वतंत्र भारत' में प्रश्नगत् समाचार में केवल यह छपा है कि कुछ गांव वालों ने इस बात की पुष्टि की कि पुलिस वालों ने ये सारा अत्याचार स्थानीय विधान सभा सदस्य की उपस्थिति में किया। 'दैनिक जागरण' से सम्बन्धित समाचार में यह कहा गया है कि ग्रामीणों ने कहा कि सारा अत्याचार विधान सभा के स्थानीय सदस्य की उपस्थिति में हुआ। यह विधायक इस बात से क्रुद्ध थे कि गत लोक सभा के चुनाव में ग्रामीणों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया था। 'नेशनल हैराल्ड' में भी दैनिक जागरण जैसा ही समाचार प्रकाशित हुआ है। उक्त तीनों समाचार पत्रों में यह समाचार यू0 एन0 आई0 द्वारा दिया गया था। मैंने इन तीनों समाचार पत्रों में संबंधित समाचारों को पढ़ा। उनको पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इन समाचारों का कोई सम्बन्ध सदन की कार्यवाही के प्रतिवेदन से नहीं है और न ही इन समाचारों में कोई ऐसी बात कही गयी है, जो माननीय सदस्य के ऊपर सदस्य की हैसियत से किए गये किसी कार्य के बारे में आक्षेप हो। अतः इस मामले में विशेषाधिकार की अवहेलना का को; प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इसे तदनुसार सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक, गोण्डा तथा पी0 ए0 सी0 के एक दरोगा के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बिन्दू लाल, सदस्य, विधान सभा ने श्री राधेश्याम त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक गोंडा तथा बलरामपुर थाने में 4 दिसम्बर, 1979 को सायंकाल 4 बजे उपस्थित पी0ए0सी0 के एक दरोगा के विरुद्ध 23 जनवरी, 1980 को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी माननीय श्री बिन्दू लाल, विधायक ने कहा है कि 4 दिसम्बर, 1979 को उन्हें गिरफ्तार कर बलरामपुर थाने ले जाया गया जहां उन्हें हवालात में बन्द कर दिया गया और लगभग 4 बजे हवालात से निकाला गया। वहां श्री राधेश्याम त्रिपाठी, उप पुलिस अधीक्षक और एक पी0ए0सी0 के दरोगा उपस्थित थे। उक्त दोनों उपस्थित अधिकारियों ने माननीय सदस्य के प्रति दुर्व्यवहार किया। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में यह भी कहा है कि उन्होंने तुलसीपुर थाने के 3 सम्बन्धित दरोगाओं से यह कहा था कि उन्हें लखनऊ जाकर विधान सभा में कुछ प्रश्न आदि देना है, परन्तु दरोगा लोगों ने बिना कोई कारण बताए हुए कहा कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार करना है। इससे यह विदित होता है कि श्री बिन्दूलाल की यह शिकायत भी है कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उन्हें इस दुराशय से गिरफ्तार किया गया कि वह विधान सभा के सदस्य की हैसियत से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न कर सकें।

इस सम्बन्ध में मैंने 25 जनवरी, 1980 को सदन में माननीय श्री बिन्दूलाल, माननीय मुख्य मंत्री एवं अन्य सदस्यों को सुना। माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में बताया कि जहां तक इस बात का प्रश्न है कि माननीय बिन्दू लाल के साथ ज्यादती की गयी और थानेदार ने उनसे दुर्व्यवहार किया, इस मामले में सम्बधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है और अब वे इस मामले को न्यायिक जांच करायेंगे। मेरे निर्देशानुसार दिसम्बर, 1979 में बलरामपुर, जिला गोंडा में घटित घटनाओं के सम्बन्ध में एक वक्तव्य भी माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 29 जनवरी, 1980 को सदन में दिया है, परन्तु इसमें श्री बिन्दू लाल की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गये कथित दुर्व्यवहार के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया।

फौजदारी के आरोप में गिरफ्तारी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों का ये विशेषाधिकार है कि उनकी गिरफ्तारी, कारागार में निरुद्ध करने और जमानत पर या अन्यथा रिहा करने आदि की सूचना सदन में दी जाय। इस विषय में श्री बिन्दूलाल के सम्बन्ध में जो सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुयी थी उसकी सूचना बुलेटिन द्वारा माननीय सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी है और सदन को दी जा चुकी है तथा माननीय सदस्य ने अपनी 23 जनवरी, 1980 की सूचना में इस प्रश्न का उल्लेख भी नहीं किया है।

जहां तक पुलिस के किसी अधिकारी द्वारा श्री बिन्दूलाल के विरुद्ध दुराशय से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, "उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहिता संकलन (अप्रैल 1952 से 22 दिसम्बर 1967 तक) के पृष्ठ 520 पर निर्णय संख्या 81 के अनुसार इसी प्रकार के एक मामले में 18 जुलाई, 1966 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय हुआ है कि, "अब इससे यह स्पष्ट है कि अदालत में आप प्रश्न उठाये कि मेलाफाइडी गिरफ्तारी हुयी और अदालत में ऐसा चार्ज सिद्ध हो जाये और सदस्य छूट जाय तो यहां सवाल प्रीविलेज का उठा सकते हैं....." मेला फाइडी का प्रश्न 2 जगह एक साथ नहीं उठाया जा सकता है, सदन में और आदालत में। अदालत में मेलाफाइडी सिद्ध होने पर यहां उठाया जा सकता है।"

[श्री उपाध्यक्ष]

चूंकि विचाराधीन मामले में मुख्य मंत्री ने न्यायिक जांच कराने का आश्वासन दिया है, अतः श्री बिन्दूलाल क विरुद्ध की गयी कार्यवाही में दुराशय या मलाफाइडी न्यायिक जांच के फलस्वरूप सिद्ध हो जाने की दशा में हीं विशषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकेगा। वतमान परिस्थिति मे जब कि न्यायिक जांच करायी जाने वाली है, इस संबंध में विशषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और मैं उसके लिये अनुमति नहीं देता हूं।

श्री बिन्दूलाल (जिला गोंडा)—

पी० ए० सी० के दरोगा ने, जिसने मेरे खिलाफ दुर्व्यवहार किया उसके खिलाफ तो कार्यवाही होनी चाहिये। मैंने जेल से भी आपको लिख कर भेजा था.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने भेजा होगा, यह ठीक है। आप मुख्य मंत्री जी को लिख कर भेज दें।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी 5 फरवरी, 1980 की बैठक में सदन के 7 एवं 8 फरवरी, 1980 के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित संस्तुति की है :—

गुरुवार 7-2-80 निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

1—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता) निवारण (संशोधन) विधयक, 1980।

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980।

3—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और बैधीकरण) विधेयक, 1980।

4—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (संशोधन) विधेयक, 1980।

शुक्रवार 8-2-80 असरकारी कार्य।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री उपाध्याय द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों, जिनकी सूचना श्री उपाध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियमों का निलम्बन करके विधान सभा भंग न किये जाने संबंधी प्रस्ताव लिये जाने की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, पूर्व इसके कि आप आइटम 11 को लें, हमारी बात सुन लें। हमने एक प्रस्ताव दिया था कि आज नियमों को निलम्बित किया जाये। उस प्रस्ताव पर श्री शतरुद्र प्रकाश,

श्री रामआसरे वर्मा, श्री देवकुमार यादव आदि कई अन्य माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर है। हम लोगों का निवेदन है.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका नियमों के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव आया है कि नियमों को निलम्बित करके विधान सभा भंग न किये जाने के संबंध में तथा मतदाता सूची को संशोधित किये बिना चुनाव न कराने के बारे में विचार किया जाये। मैंने अभी उक्त प्रस्तावों के बारे में विचार नहीं किया है। जब मैं उनके औचित्य और उनकी ग्राह्यता के बारे में विचार कर लूंगा तब अगर उसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

तो श्रीमन्, हम लोग इसको कब उठायें ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी नहीं, पहले ग्राह्यता के संबंध में जो निर्णय मुझ को लेना है, वह निर्णय हो जाने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

ग्राह्यता के बारे में आप सुन तो लें, पहले।

श्री उपाध्यक्ष—

सुन क्या लें, जब पहले हम उसको ग्राह्य करें, तब तो अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय श्यामधर मिश्र का प्रस्ताव था कि नियम 311 के अनुसार नियमों का निलंबन करके उस पर विचार किया जाय। तो मान्यवर, नियमों का निलंबन हुआ कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 311 आप देख लें, वह तो अध्यक्ष की सहमति से ही प्रस्ताव लायेंगे। अभी मैंने उसको ग्राह्य या अग्राह्य नहीं किया है। पहले मैं उस पर विचार कर लूं.....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपकी सहमति तो आ ही गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैं उस पर विचार कर रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्न 1977 में और उसके पहले भी आ चुके है। ..... (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कब आप मौका दे पायेंगे हम लोगों को सुनने के लिए ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, थोड़ी देर बाद निर्णय दे दें और यदि इस प्रस्ताव पर आज ही चर्चा हो जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं शीघ्र ही निर्णय दे दूंगा ।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मुझे बता दिया जाय कि कब हमको बोलने के लिए मौका दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आज ही बता दूंगा ।

सदन के चलते हुये नरायनपुर से संबंधित घटना पर मुख्यमंत्री तथा उद्योग राज्य मंत्री द्वारा सदन के बाहर भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिये जाने के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री शतरुद्र प्रकाश ने देवरिया जिले के नरायनपुर गांव में पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर किये गये अत्याचार और दुर्व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुख्य मंत्री व लघु उद्योग राज्य मंत्री श्री मोहन सिंह द्वारा सदन के बाहर किये गये वक्तव्यों में विभिन्नता होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि 25 जनवरी, 1980 को उक्त विषय से संबंधित श्री हरि केवल प्रसाद द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शासन द्वारा वक्तव्य देने के लिये 30 जनवरी, 1980 निश्चित किया जा चुका था । उन्होंने मंत्री परिषद् के दो सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न बयान दिये जाने पर आपत्ति करते हुए कहा कि किसी भी मंत्री को सत्र चलते रहने पर तथा विशेष रूप से संबंधित विषय पर वक्तव्य की तिथि निर्धारित होने पर सदन से बाहर बयान नहीं देना चाहिए। उपर्युक्त औचित्य के प्रश्न के संबंध में श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा कुछ अन्य सदस्यों के सुनने के उपरान्त मैंने बाद में निर्णय देने को कहा था।

यह बात सही हैकि सदन के चलते समय मंत्रि परिषद् के नीति संबंधी निर्णयों का सदन में आने से पूर्व प्रकाशन परम्परा के विरुद्ध और अनुचित है । लेकिन यह मामला कोई ऐसा नहीं है जो कि मंत्रि परिषद् के नीति संबंधी निर्णय के बारे में हो। इस संबंध में 30 जनवरी, 1980 को एक वक्तव्य दिया जाना था और अच्छा होता यदि इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय लघु उद्योग राज्य मंत्री श्री मोहन सिंह के बयान सदन में वक्तव्य दिये जाने के पूर्व समाचार पत्रों मे न छपते । जहां तक औचित्य के प्रश्न का संबंध है, यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 300 के अन्तर्गत ऐसे विषय के संबंध में ही उठाया जा सकता है जो सदन में विचाराधीन हो और नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता हो, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में है । चूंकि यह विषय उक्त नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः मैं औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 को वापस लेने का प्रस्ताव

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा 29 जनवरी, 1980 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् मे लम्बित उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, हम विरोध करते ह । मान्यवर, इस आदरणीय सदन को स्मरण होगा, यह जो उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 है यहां इस आदरणीय सदन मे जब पुर:स्थापित किया गया था उस समय यह व्यवस्था की गई थी, जिस समय शिक्षक हड़ताल पर थे, उस समय सरकार के आह्वान पर जिन लोगों ने काम किया था उनको सरकार नेआश्वासन दिया था कि इनको आगे नौकरियों में प्राथमिकता दी जायगी। इस आदरणीय सदन मे कई बार मांग की गई कि इन वैकल्पिक अध्यापकों को सेवा मे रखा जाय। कुछ अध्यापकों ने इस मामले को हाई कोर्ट ले गये और हाई कोर्ट द्वारा जो वैकल्पिक निर्णय था उसके विरुद्ध निर्णय हो गया इसलिये शिक्षामंत्री अब इसको वापस ले रहे हैं। मुझे जानकारी है कि कुछ लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गये हैं उन्हें स्थगन आदेश प्राप्त हो गये है ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इन लोगों को आग नौकरियों में रखा जाय जैसा कि सरकार ने आश्वासन दिया था यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो भविष्य मे सरकार के आवाहन पर कोई भी आदमी हड़ताल के समय सरकार की सहायता करने के लिये आगे नहीं बढ़ेगा। मान्यवर; आपको याद होगा बिजली विभाग में हड़ताल हुई, स्वायत्त शासन विभाग में हड़ताल हुई, इन विभागों मे ऐसे आदमियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है। इसलिये मेरा स्पष्ट मत है कि जिन वैकलपिक अध्यापकों ने काम किया सरकार की सहायता की थी उन अध्यापकों को नौकरी में लेन में प्राथभिकता दी जाय। इसीलिये यह विधेयक वापस लेने के लिय जो प्रस्ताव माननीय शिक्षा मन्त्री ने रक्खा है, और मुझे मालूम है माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वयं अध्यापक रहे हैं उन गरीबों की मांग को जानते हैं, सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनको आगे नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी, मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो आर्डेनेन्स जारी किया उसकी एक निश्चित तिथि और अवधि थी। हाईकोर्ट द्वारा 22-12-78 को यह क्वायश कर दिया गया। इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति माननीय सदन ने दी है। उसके बाद जैसा माननीय सदस्य ने बताया यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, आर्डिनेन्स की एक समय सीमा होती है वह समय सीमा बीत चुकी है, इसलिये वह क्वायश होगा। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति माननीय सदन दें। सुप्रीम कोर्ट का जो निणय होगा उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो यह मामला भी स्टे कर दिया जाय, जब अन्तिम निर्णय हो जायेगा तो इसको वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

विधेयक को किसी भी समय वापस ले सकते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उसका विरोध हम कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको अनुमति दिया। प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा 29 जनवरी, 1980 को पारित इस प्रस्ताव से सहमत है कि इस सदन द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परषद् में लम्बित उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापारिक विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980†

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक 1980 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश तेंदं पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर: स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघ—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस, स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण विधि (संशोधन) विधयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्वायत्त-शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

†दिनांक 6 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्यायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपको आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

†दिनांक 6 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) (संशोधन) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (मालकर) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (मालकर) (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुर: स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 को पुर: स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा (विच्छिन्नता का निवारण) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

†दिनांक 6 फरवरी, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करता हूं।

वाराणसी मण्डल को आवंटित चावल व गेहूं को आन्ध्र प्रदेश भेजे जाने के संबंध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री श्यामधर मिश्र की थी कि वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों में चावल व गेहूं के अभाव के बावजूद वहां के लिए निर्धारित कोटे को आन्ध्र प्रदेश पहुंचाया जाना है और दूसरी श्री गुलाब सेहरा द्वारा वह समय के उपरान्त प्राप्त हुई इसलिये मैंने इसको अस्वीकार किया और पहले वाली को भी क्योंकि यह बहुत पुरानी घटना है, मैंने अस्वीकार किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला–वाराणसी)—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । बनारस मण्डल में जिसमें गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बनारस आदि हैं, गेहूं नहीं मिल रहा है । और मुझे पता लगा है कि गेहूं 15 हजार टन और चावल 15 हजार टन वहां भेजा गया था लेकिन जब से केन्द्र सरकार बन गयी है, चावल व गेहूं की रेक को आन्ध्र प्रदेश में भेज दिया गया जहां से श्रीमती इन्दिरा गांधी जीत कर आयी हैं । यह सौतेला व्यवहार पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में खाद्य मन्त्री की सफाई आनी चाहिये । बनारस की कई दुकानों में चावल नहीं है । यहां तक कि सरकारी दुकानों में चावल नहीं है । गेहूं नहीं है । हजारों टन जो गल्ला भेजा गया है, मैं चाहता हूं कि आप खाद्य मन्त्री को निर्देश करें कि इस सम्बन्ध में कोई बयान दें कि वास्तविकता क्या है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य स्थगन के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया लेकिन माननीय खाद्य मन्त्री यदि तैयार हों तो अभी अन्यथा पूरी सूचना मंगा कर अपना वक्तव्य दे दें ।

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

मान्यवर, यह कहना कि बनारस मण्डल में गेहूं नहीं है, सही नहीं है । हमने दो रेक का आवंटन किया था बनारस के लिए । वह दूसरे प्रान्त को दे दिया गया । सम्भवत: आन्ध्र के लिए भेजा गया । इसलिए हमें परेशानी हुई । हमने ट्रक से वहां पर व्यवस्था की और आज इसीलिये कठिनाई हो रही है । हम व्यवस्था कर रहे हैं । पूर्वी जिले में किसी तरह से गेहूं कम नहीं होने देंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या खाद्य मंत्री इस तरह का कोई आश्वासन देंगे कि एक पत्र केन्द्र सरकार को इस संबंध में लिखेंगे कि जो 2 रेक का आवंटन किया गया था बनारस के लिए वह आन्ध्र प्रदेश क्यों भेज दिया गया जहां से श्रीमती इन्दिरा गांधी जीत कर आयी हैं ?

श्री मलिखान सिंह--

मैंने अपने विभाग से कह दिया है और दिल्ली में इसके लिए विरोध भी प्रकट किया गया था और विभाग से कह दिया है कि इसका विरोध करें।

1979-80 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

वित्तीय वर्ष 1979-80 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए 4 बजे तक चर्चा चलेगी और उसके बाद मदवार उस पर मतदान होगा।

विरोध पक्ष से इस पर कौन बोलेगा?

कई सदस्य--

श्री गुलाब सेहरा।

श्री रियासत हुसैन (जिला-मुरादाबाद)--

हम ही बोलेंगे।

(गुलाब सेहरा बोलेंगे, की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष--

कहां है गुलाब सेहरा।

(आ गये की आवाजे)

श्री गुलाब सेहरा (जिला-आगरा)--

जो विरोधी दल है वह तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर नहीं रहा है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला-वाराणसी)--

आप व्यवस्था यह भी दे दें। मैं समझता था कि जब कार्य शुरू करेंगे तब व्यवस्था दे देंगे। हमें सदन में प्रस्ताव भी रखना होगा। जब आप आदेश देंगे तभी हम प्रस्ताव रख सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आज ही निर्णय करने के बाद सूचित कर देंगे।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, आपने पहले तो विरोधी पक्ष को, जो मान्यता प्राप्त विरोधी दल है, को बुलाया था। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, फिर भी विरोधी पक्ष कहला रहे हैं। श्रीमन्, यह अनुपूरक अनुदान जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा इतनी शीघ्रता में रखा गया है जितनी इसकी आवश्यकता नहीं थी। मंशा तो सरकार की यह है कि इसको ले लिया जाये जिससे तीन महीने चार महीने एसेम्बली बुलाने की आवश्यकता न हो। क्योंकि आप जोड़ घटा रहे हैं, कहीं इनको तोड़ना, कहीं इनको खुश करना, किसी तरह बहुमत सिद्ध करना है। तो बात यह हुई कि जल्दी जल्दी वोट आन एकाउन्ट ले लिया जाये तो तीन-चार महीने का बजट हो जाये। (शोर)

श्री श्याम धर मिश्र--

आप इनको समझा दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आधी गगरी छलकत जाये। समझातो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष––

वह जानते हैं ।

श्री गुलाब सेहरा––

मुझे मालूम है, लेकिन आज सप्लीमेंटरी बजट की आवश्यकता नहीं थी । सप्लीमेंट्री बजट के अनुदानों में कुछ चीजें ऐसी रखी गयी हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, खर्च भी कर दिया गया है (नेता बदल दें–की आवाजें)
श्रीमन्, जो रुपया तकाबी के लिये खर्च कर दिया गया है, उसके लिये सप्लीमेन्ट्री बजट में प्राविधान किया गया है । यह जो तकाबी बाटी गयी, सूख के लिये, जिसके लिये सप्लीमेन्ट्री बजट में प्राविधान किया गया है, वह बिलकुल ही राजनैतिक आधार पर बाटी गयी है । मुझे मालूम है कि मंत्रि मंडल के सदस्यों की सहायता से जहां–जहां राजनैतिक लाभ प्राप्त हो सकते थे, वहां यह तकाबी बांटी गयी । मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जहां इनको राजनैतिक लाभ नहीं था वहां के लोगों को आज भी तकाबी नहीं मिली ।

दूसरी बात ग्राम विकास मे सिंचाई की कुछ योजनाओं की बात की गयी श्रीमन्, अब इसमें, इन पूरे सप्लीमेटरी बजट में कहीं गंडक योजना जो सबसे बड़ी योजना है उसके बारे में बजट में कहीं कोई चीज नहीं लिखी गयी । श्रीमन्, आप देखें कि अनुदान संख्या 12 परिवहन, इसमें हेलीकाप्टर की मरम्मत के लिये रुपये की अनुमति मांगी है । श्रीमन्, हेलीकाप्टर दुर्घटना ग्रस्त हुआ उसकी मरम्मत करानी है परिवहन विभाग के हेलीकाप्टर और जहाज का जितना दुरुपयोग इस सरकार ने इस लोक सभा के चुनाव में किया है वह और कोई कर नहीं सकती । मुझे मालुम है कि गांव गांव मुख्य मंत्री ने मीटिंग हेलीकाप्टर द्वारा करायीं । एच0 ए0 एल0 से मरम्मत करानी है लेकिन स्टीमेट नहीं मांगा गया । अब पता लगा कि दुर्घटना-ग्रस्त हेलीकाप्टर हुआ था उसमें इतना रुपया लगेगा । 8 लाख 80 हजार इस हेलीकाप्टर की मरम्मत के लिये मांगा है ।

दूसरी बात आप देखें कि कांस्टेबिलों, रंगरुटों के लिये सप्लीमेंटरी बजट में रुपया मांगा गया है । इसमें 35 सौ रंगरुटों को ठीक करने की बात थी । श्रीमन्, 1974–75 में जब हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मंत्री थे उस वक्त कांस्टेबिलों की भर्ती के लिये जो प्रशिक्षण चलाया जाता था उसमें उन्होंने हरिजन समुदाय को 35 से 50 प्रतिशत आरक्षण हो जाय इसके लिये बजट में प्राविजन किया गया था, हरिजन कांस्टेबिलों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाय और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी थी । श्रीमन्, इस बार कांस्टेबिलों के प्रशिक्षण के संबंध में कहीं कोई जिक्र नहीं है । 35 सौ के करीब हमारे पास व्यवस्था थी जिसे बढ़ाकर 4 हजार प्रति वर्ष किये जाने की संभावना व्यक्त की गयी है लेकिन इसमें जिक्र नहीं है कि उन लोगों का योगदान क्या होगा । इसी प्रकार श्रीमन्, आगे देखें । श्रीमन्, दिल्ली में गणतंत्र दिवस की साज सज्जा के संबंध मे कहना चाहता हूं । अनुदान संख्या 34 पेज नं0 21 पर है ।

श्रीमन्, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में परेड में अभी झांकी निकाली गयी । उस झांकी का इतना मजाक बना, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, जितनी भी ललित कलायें हैं उनका उदय करने वाले श्रीकृष्ण इस प्रदेश में पैदा हुये । 26 जनवरी को परेड में जो झांकी बनायी गयी मसका मजाक बना । मुझे एक साहब ने बताया कि एक कृष्ण के युग की झांकी निकाली गयी उसमें कृष्ण जी से बांसुरी नहीं बजवायी गयी बल्कि वह राधा जी की चुटिया गूंथ रहे थे । इस सरकार के सांस्कृतिक ज्ञान पर जोर से हंसी हुयी । यह श्रीकृष्ण की झांकी में इनको प्रस्तुत करना नहीं चाहिये था । जहां श्रीकृष्ण की झांकी दिखा रहे है वहां बजाय ऐसी झांकी के महाभारत के किसी दृश्य की झांकी दिखाते ।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, इनको क्या आपत्ति हो गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, सांस्कृतिक गतिविधियों में और साज सज्जा के मामले में इनको जानकारी नहीं है। हम तो कहते है कि ऐसी चीज को प्रस्तुत किया जाय जो एक स्तर की हो, उसमें उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक झलक आती हो। एक प्रतीक आत्मक झांकी होती है। उस झांकी में इतनी लज्जा की चीज। जिस वक्त उसको देखा तो बड़ी लज्जा आयी कि उत्तर प्रदेश का यह इतना बड़ा सांस्कृतिक विभाग है और उसकी यह झांकी है। उसके लिए सप्लीमेंटरी बजट में रुपया मांगा जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा की बात देखिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत सप्लीमेंटरी बजट में कुछ रुपया मांगा गया है। पुराने शिक्षा मंत्री सब आर0 एस0 एस0 के लोगों को भर गये। 13 लाख रुपया उनको दे दिया गया। उस प्रौढ़ शिक्षा की प्रगति इस प्रदेश मे इतनी धीमी है, केवल कागज पर कह रहे हैं कि प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत इतने प्रोढ़ो को शिक्षित किया। लेकिन प्रदेश में एक भी स्कूल नहीं चल रहा है। रात्रि शिक्षा की व्यवस्था है। रात्रि के अन्धकार में स्कूल चलता है या नहीं यह नहीं मालूम। आर0 एस0 एस0 के शिक्षा मंत्री प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर एक प्राविधान कर गये। वह लोग वेतन ले रहे है।

दूसरी बात जो मै कहना चाहता हूंकि इटावा जनपद में पालिटेक्निक की स्थापना हुई। मंत्री जहां क हैं उन्हीं जिलों में पालिटेक्निक की स्थापना हो रही है। पृ0 96 पर देखिए। इसमें 5 हजार आजमगढ़ के लिए प्राविधान किया गया है। आजमगढ़ में थवई–सित्तूपुर मार्ग के कि0 मी0 8 पर झोई नदी पर पुल के निर्माण के लिए प्राविधान किया गया है। अपने क्षेत्र म जहां से चुनाव जीत सकते है वहां पर रुपया ले गये हैं। अगर बजट मे नहीं है तो आकस्मिक निधि से ले लिया। उसको ऐडजस्ट करने के लिए सप्लीमेंटरी बजट में ले आये। पेज 44 पर है, मेसर्स गोल्डेन आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज, कानपुर। इस सदन मे, यह कोल्ड स्टोरेज गिर गया था और गिरने मे 17 मजदूर मर गये और कुछ घायल हुए। उनको वित्तीय सहायता सरकार ने दिया। वह आकस्मिक निधि से लेकर सप्लीमेंटरी बजट में ला दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप स्पष्ट कर दीजिये। इस सदन में गिर गया था, कोल्ड स्टोरेज ?

श्री गुलाब सेहरा—

सदन में नहीं गिरा। इस सदन में इस बात को उठाया था, जब चर्चा हुई सदन में। तो उसमें इस सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया, भाई कोल्ड स्टोरेज का नक्शा, किसके द्वारा पास किया गया था, किस स्थिति में यह बनाया गया कि उसमें 17 मजदूर मर गय। कवल एक व्यक्तिगत बड़े आदमी को जो बड़ा आदमी कोल्ड स्टोरेज का मालिक था, उसको मुआविजे की रकम देनी चाहिये थी। सरकार के कुछ लोगों ने कोल्ड स्टोरेज के मालिक से मिल कर आकस्मिक निधि का पैसा बटवा दिया। लेकिन उससे कुछ नहीं कहा। सप्लीमेंटरी बजट मे ला कर हमारे इस प्रदेश के बजट पर भार बढ़ा दिया। लेकिन उस व्यक्तिगत पूंजीपति से कुछ नहीं दिलवाया।

अब देखिए पेज 55 पर। इसमें आपरेशन फलड योजनान्तर्गत पशुबारा (कैटिल फीड) फैक्टरी वाराणसी में लगी। इसमें 17 हजार आकस्मिक निधि से निकाल कर सप्लीमेंटरी बजट में मांग रहे हैं क्योंकि पावर कनेक्शन देना है। कैटिल फीड फैक्टरी की योजना बनी थी, वह बन्द है, अभी तक बन्द है, काफी समय हो गया। सरकार ने इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई से प्राप्त करों से प्राप्त धन उस फैक्टरी में लगाया।

(इस समय 1 बज कर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

वह केवल इसलिये बंद पड़ी रही क्योंकि विद्युत प्राप्त नहीं थी। अब विद्युत के लिए रुपया सप्लीमेन्ट्री बजट में प्रोवाइड किया जा रहा है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब फैक्टरी की योजना बनाई गई उस वक्त विद्युत का प्रोवीजन क्यों नहीं किया गया। आश्चर्य की बात है।

अब श्रीमन्, आप देखें। शुरु में मैंने कहा कि गंडक योजना के बारे में कहीं जिक्र नहीं आया। पेज 82 में देखिये श्रीमन् "कार्य के लिये खाद्यान्न" योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979–80 मे उत्पन्न अतिरिक्तता के संबंध में सड़कों का निर्माण। यह निर्णय लिया गया है कि "कार्य के लिये खाद्यान्न योजना" के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उत्पन्न अतिरिक्तता के संबंध में निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये जायं तथा इन कार्यों के सम्पादन में भी खाद्यान्न का यथासम्भव उपयोग किया जाये। श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जितनी सड़कें बनी उन पर मिट्टी डाली गयी और मिट्टी डालने के बाद खड़न्जा नहीं डाला गया। स्थिति क्या हुई। बरसात में मिट्टी बह गयी। मेरा कहना यह है कि जो क्रेश प्रोग्राम के कार्य थे जिनम खड़न्जे तैयार हो चुके थे और पक्की सड़क बननी थी उनको तो आपने छोड़ दिया और कार्य के लिये खाद्यान्न की योजना को ले लिया और जिसकी स्थिति यह है कि वह मिट्टी बहने के बाद का वहीं रह गया जहां से शुरू हुआ।

दूसरी बात पेज नं0 85 अनुदान संख्या 115 पर देखें तकाबी की बात कही गयी है। साढ़े चार करोड़ रुपये तकाबी के लिए मांगा गया है। लेकिन मुझे मालूम है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से तकाबी बांटी गयी है जहां से वोट मिलने की आशा थी उसी आधार पर तकाबी बांटी गयी। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सूची अपने घर पर अपने पी0 ए0 से बनाई कि इन को तकाबी देनी है। यह इस चौधरी जी का इन्फलुएन्शियल है एक सौ वोट का है, वह दो सौ वोट का, इस प्रकार तकाबी ए0 डी0 एम0 और डी0 एम0 को बांटने के लिये दे दी गयी कि इन लोगों को बांट दी जाय। आकस्मिकता निधि से रुपया खर्च कर दिया गया। और श्रीमन्, आप के माध्यम से मेरा यह आक्षेप है कि यह रुपया चुनाव से पहले बांटा गया तकाबी के नाम पर। लोगों को रुपया और पैसे से वोट के लिए खरीदा गया।

अब आप देखिये। इसमें स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन के लिए ऋण मांगा गया है। यह सीमेन्ट की फैक्टरी घाटे में चल रही है। केवल वहां के कर्मचारियों को, वहां के अफीसरों को जिन्दा रखने के लिए सप्लीमेन्ट्री बजट में रुपया मांगा गया है। पेज 86 अनुदान संख्या 117। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इसमें इन्होंने दस लाख रुपया मांगा और इस में लिखा है कि आवश्यकताओं को देखते हुए एक करोड़ रुपये की धनराशि तदर्थ आधार पर ऋण के रूप में उपलब्ध करा दी जाय ताकि उस का कार्य चलता रहे और चुर्क और डाला कारखानों के बन्द करने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये चूंकि उक्त व्यय के, लिए चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है अतः उत्तर प्रदेश स्टैट सीमेण्ट कारपोरेशन को उसकी तात्कालीक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण दिये जाने के लिए एक करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत है। श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि सिमेन्ट कारपोरेशन घाटे में चल रहा है और उस में यह भी लिखा है कि बिजली की आपूर्ति तथा वर्तमान बिजली की कमी की वजह से और कोयले को आपूर्ति की वजह से यह सिमेन्ट की फैक्टरी घाटे में चल रही है तो जो लोग घाटा दे रहे हैं जिस कारपोरेशन में केवल उनको जिन्दा रखने के लिए सप्लीमेन्ट्री बजट में रुपया उन को दिया जाय। इस बात की मैं आलोचना करता हूं। दरअसल बुनियादी चीजों पर जाना चाहिये। यह सीमेंट की फैक्टरी इतने दिनों तक घाटे पर क्यों चली? योजना कोई बननी चाहिये थी जिससे उत्पादन इसका बढ़ता और यह लाभ में चलती लेकिन उस बारे में कुछ नहीं किया गया। उल्टे सप्लीमेंटरी बजट से घाटे की पूरा करने के लिये रुपये देने का प्राविधान किया गया है। अब पृष्ठ 96 पर आप देखें। इसमें आजमगढ़ में मझोई नदी पर पुल निर्माण हेतु दो लाख रुपये का

[श्री गुलाब सेहरा]

प्राविधान आकस्मिकता निधि से किया गया है और दूसरे 1980–81 के लिये प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों एवं गोष्ठियों में भाग लेने के लिये यात्रा हेत् आकस्मिक निधि से अग्रिम लेनेकी स्वीकृति दी गयी है। सप्लीमेंटरी बजट में इस तरह से आकस्मिक निधि से रुपया निकलना नितान्त अनुचित है जिन चीजों से कोई लाभ प्रगति में नही होगा उनके लिये आकस्मिक निधि से रुपया खर्च करने हेतु सप्लीमेंटरी बजट में प्राविधान करना उचित नहीं है। लोक सभा चुनाव में अकबर पट्टी में हरिजन मारे गये लेकिन सप्लीमेंटरी बजट में उनके लिये कोई रुपये का प्राविधान नहीं किया गया लेकिन अनावश्यक खर्चों की आकस्मिक निधि से रुपया निकाल कर किया गया और उसे सप्लीमेंटरी बजट में ला रहे हैं यह किसी तरह से न्याय-संगत नहीं है और यह जनता के रुपये का अपव्यय है।

श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरे आदरणीय मित्र गुलाब सेहरा ने अनुपूरक अनुदानों के सम्बन्ध में अनेक बातों की आलोचना की है लेकिन यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि आलोचना आलोचना के लिये की जा रही थी। मैं दो-तीन बातों तक अपने को सीमित रखूंगा सबसे पहले कहने योग्य बात यह है कि इस सरकार की ओर से आज तक कोई भी शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारित नहीं की गयी। शिक्षा के लिये दो चार क्षेत्रों के लिए ही अनुदान मांगा गया है लेकिन दुख के साथ कहना पडता है कि गत वर्ष के बजट को पेश करते हुए शिक्षा मंत्री ने बहुत से आश्वासन दिये थे और आशायें दिलाई थी। हमारा यह विश्वास था कि उनके द्वारा ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिससे हमें शिक्षा का स्तर समुन्नत होता हुआ दिखायी पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो समय उनके कार्यकाल का बीता है उसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर में कोई उन्नयन होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। आज हमारे शिक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद है, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात को नहीं माना था कि हमारी शिक्षा संस्थाओं में आज भी छात्र अपनी बोरी लेकर जाते हैं और उसमें बैठते हैं। उनके बैठने की उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं होती है।

आज इतने महीने बजट के बीत जाने के बाद भी हमारी शिक्षा संस्थाओं की वही स्थिति है जो शुरू में बजट पेश किये जाने के समय थी। यह बड़े खेद की बात है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर के बारे में भी सरकार ने उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो अध्यापक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं सन 1974 के बाद, उनको पेंशन दी जायेगी। आज तक सरकार का वह आश्वासन पूरा नहीं किया जा सका है। एक तीसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार ने आश्वासन दिया था वह यह था सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सत्र का पर्नस्थापन करेगी। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस ओर कोई कारगर कार्यवाही नहीं की जा सकी। जो थोड़ा बहुत किया भी गया, वह आधे हृदय से किया गया। जिन विश्वविद्यालयों ने इस दिशा में केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति का अनुसरण किया था उन्हें समय से अनुदान नहीं मिल सका जिसकी वजह से वह योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकी। हमने यह इस उद्देश्य से कहा है कि हमारे प्रदेश के लोग, सरकार के प्रतिनिधि, शिक्षा मंत्री यह समझने की कोशिश करें कि यह शिक्षा जिसके द्वारा आज एक नागरिक का चरित्र निर्माण होना है, जिसके द्वारा समाज का उत्थान होना है उसकी अवहेलना हो रही है और उससे भीषण नुकसान देश और प्रदेश का हो रहा है। यह बडे दुख की बात है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से अनेकों बार यह बात कहने पर भी कि प्रदेश शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करें, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का सिरमौर प्रदेश है। वह अपनी शिक्षा की नीति स्वयं निर्धारित कर सकता है इसका उसको अधिकार है। हमारा बजट आता है और जाता है। पुरानी मान्यताओं और मांगों को दुहरा दिया जाता है लेकिन कोई नई शिक्षा नीति का निर्धारण होते हुये हमें दिखाई नहीं देता।

यह बड़े दुख की बात है। इसी परिपेक्ष में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री श्री कैलासनाथ सिंह जी की एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। वे आर्य समाज के एक अग्रिणी कार्यकर्ता हैं उनके कार्यकाल में सदन में यह जिक्र आ चुका है कि त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का निष्कासन। यह बड़े दुख की बात है। यह हमारा ही दुख नहीं है, सारे प्रदेश में इस बात का क्षोभ है। समाचार पत्रों में बराबर यह चीज देखने को मिल रही है कि इस मामले में मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के बीच में मतभेद है। मैंने इस सम्बन्ध में लिखा भी है शिक्षा मंत्री जी को कि आखिर आपने इसको कैसे स्वीकार किया है। मंत्री पद की एक गरिमा होती है। यह पद महत्वपूर्ण अपने 'आप में क्यों नहीं है। इन पदों की रक्षा के लिये किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक अनैतिक और अनाचार कार्यवाही इस सरकार द्वारा की गई चाहे जिसने भी अच्छे कार्य उसने क्यों न किये हो उन सब को डुबोने के लिये यह एक अनैतिक कार्य काफी है। यह हमारी मान्यता है। मुख्य मंत्री जी ने एक आश्वासन यह दिया था कि हम बहुत जल्दी इस दिशा में निर्णय लेंगे और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। हमें भारी निराशा है इस बात को देख कर कि कोई निर्णय लेने के बजाय इस बात को टाला जा रहा है, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीका अपनाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं और शिक्षा मंत्रीं जी से भी कहना चाहता हूं कि यह ऐसा विषय नहीं है जिसको और टाला जा सके इसलिये इस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिये, (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, आपने लालबत्ती जला दी, थोड़ा समय 5 मिनट का मुझे और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह कैसे हो सकता है, अध्यक्ष जी ने समय बांध दिया है 7 मिनट का और आप 9 मिनट बोल चुके है अब एक-दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

मैं अधिक समय न लेता हुआ दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर देता हूं। संस्कृत को निष्कासित करने का विषय एक मूल विषय है। मै निवेदन करना चाहता हूं कि इस त्रिभाषा सूत्र को इस प्रदेश ने कभी नहीं माना है। त्रिभाषा सूत्र इस देश की भावनात्मक एकता को पुर्नस्थापित करने के लिए संदर्भ मे बनाया गया था जिसमें यह प्राविधान था कि हम एक मातृभाषा को, एक यूरोपीय भाषा को और शैड्यूल 8 के अन्तर्गत जो 14 भाषायें हैं उनमें से एक को लेगे। इस प्रदेश के जब मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त थे उस समय यह त्रिभाषा सूत्र आया था उसी समय उन्होंने कहा था कि यह प्रदेश इस फारमूले पर अपनी मान्यता नहीं रखता। तो उसके पीछे एक बड़ी पृष्ठभूमि थी। अगर हम याद करें कि महात्मागांधी से जब यह प्रश्न किया गया था कि वह अंग्रेजी की शिक्षा के बारे में क्या राय रखते हैं तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा वैसे लाभ कर है लेकिन वह कदापि मातृ भाषा की कीमत पर नहीं होनी चाहिये। वह बराबर इस बात के कायल रहे कि अंग्रेजी हर एक के लिए आवश्यक नहीं है उसकी पढ़ाई में समय और शक्ति का अपव्यय होता है और वह हर एक के लिए लाभकारी नहीं होती, थोड़ लोगों के लिए लाभकर हो सकती है। उसके बजाय लोगों को मातृ भाषा में समय और शक्ति लगानी चाहिये और संस्कृत में समय और शक्ति लगानी चाहिये जो कि कहीं ज्यादा लाभकारी है। ऐसी मान्यता हम लोगों की रही है लेकिन जवाहरलाल जी ने त्रिभाषा सूत्र को इस देश में हर प्रांत में लागू कर दिया और उसे मान लिया गया जो कि बहुत दुख की बात हुई। तो त्रिभाषा सूत्र की जो मान्यता है वह इस प्रदेश में अपने आप स्वीकार नहीं की गई उसी के कारण यह कठिनाई हुई इसका कोई औचित्य नहीं है। संस्कृत हमारे बागमय की जननी है अगर उसे निष्कासित किया जाता है तो यह बड़े दुख की बात है। उर्दू का इससे कोई विरोध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—

उर्दू के प्रति हमारी भावना निश्चित रूप से सौहार्द्रपूर्ण है। उसका जितना विकास किया जा सकता है वह हो उसमें हम सहभागी बनना चाहते हैं लेकिन उसके नाम पर संस्कृत को निष्कासित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार जहां पर संस्कृत पहले थी वहीं पर पुनःस्थापित करे। 6, 7 और 8 के बच्चों को अगर संस्कृत पढ़ने से बंचित करते हैं तो यह निश्चित रूप से उनके प्रति, प्रदेश के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुझे आशा है सरकार अपने इस निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र संशोधित कर लेगी।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री राधेश्याम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर) एक बात माननीय सदस्य सुन लें, अध्यक्ष जी ने जो समय रखा है वह पार्टी नेताओं के लिए 15 मिनट और अन्य सदस्यों क लिए 7 मिनट। इसलिए 5 मिनट बाद मैं लालबत्ती जला दूंगा।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहनसिंह)—

यह भी नेता हैं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

नेता नहीं तो एक सदस्य तो हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हर सरकार द्वारा इस तरह के अनुपूरक अनुदान इस सदन में पेश होते रहे हैं और हमेशा उनको यह सदन पास करता आया है। उनकी इस सदन में आलोचना भी होती रही है। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार हो वह इसक बिना चल नहीं सकती है। यह पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी का तकाजा और पद्धति बन गयी है। इससे अलग तो कोई सरकार जा नहीं सकती है। अभी कल जो मै बात सुन रहा था और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी किसी मामले में कोई अतिशयोक्ति हो जाती है तो फिर हम माननीय सदस्यों और विरोधी सदस्यों का काम है कि वह उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। जितनी योजनाएं इस समय प्रदेश में चल रही हैं, मैं यह नहीं मान सकता हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो जानकारी नहीं रखते हैं या जानबूझकर बदनाम करना चाहते हैं, वही ऐसी बात कह सकते हैं, उन योजनाओं से जनता का हित हुआ है और आगे होने वाला है।

मैं समझता हूं कि 30 वर्ष के कांग्रेसी शासन काल को आप देख लें और दो-ढाई साल के जनता शासन को देख लें, तो जनता शासन में जितने काम हुए हैं, वह कांग्रेसी शासन से सौ गुना तो अवश्य हुए हैं। लेकिन आफत इस बात की है कि हमारे कामों की सही तस्वीर जनता के सामने नहीं आई और पल-पल पर हमारी आलोचना होती रही। आलोचना होने के साथ-साथ हमें उस बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया जहां से अब हमें मिलकर प्रयास करके निकलना है। यह लोग इसमें विश्वास करते हैं कि एक झूठ को लाख बार बोलते जाओ तो वह सत्य हो जाती है तो इन्होंने अपने काम में सफलता प्राप्त की और झूठ बोल-बोल कर जनता पार्टी को विभाजित कर दिया। जिस तरह से इन्होंने हमारे एक आदमी को बहका-कर, उसे प्रधान मंत्री की कुर्सी का सपना दिखाकर, लालच दिलाकर, 8 दिन का प्रधान मंत्री बनाकर उसे प्रधान मंत्री की गद्दी से खींच लिया, उसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कांग्रेस के लोगों ने अपनी चाल में फंसाकर उन्हें कुर्सी से धकेल दिया और जनता पार्टी को भी दो भागों में विभाजित कर उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया। अब हम इनकी चालों में आन वाले नहीं है और हम उसका पूरी शक्ति से अगर बुद्धि से मुकाबला करेंगे। कल से यह हमको कहते है कि हम विरोधी दल नहीं, हमारा लंगड़ा विरोधी दल है। हम विरोधी दल बनाना चाहते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और स्वस्थ्य विरोधी दल बनाना चाहते हैं, लेकिन आप हमको बांटकर केन्द्रीय सरकार की तानाशाही लाकर प्रदेशों की समस्त गैर-कांग्रेसी सरकारों को भंग करना चाहते हैं और आप एकमात्र मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते है, तो हम तो आपकी पहली चालों से ही परेशान है, अब आप की इस तरह की बातों में आने वाले नहीं है कि जो आपने एक आदमी पर प्रधान मंत्री का भूत सवार कराकर हमारी इतनी क्षति करा दी ।

हम विरोधी दल है और स्वस्थ विरोध करेंगे और आप जब कभी सरकार को गिराओगे किसी मसले पर और हमको यह विश्वास हो जाए कि हमारी सरकार हो जायेगी तो हमें ऐसे समय में एसी सरकार को गिराने में एक मिनट नहीं लगेगा । लेकिन हो यह रहा है कि एक बन्दर परस्पर सबको लड़ाकर अपना हित साधन करना चाहता है तो अब उसमें उसको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। हम जानत हैं कि अब हमारे हाथ में सरकार आने वाली नहीं है यदि इसको गिरादें । यदि हमे पता लग जाए कि सरकार हमारे हाथों में आ जाएगी तो एक मिनट नहीं लगेगा हमें सरकार गिराने में । हम जानते है कि हमारे ऐसा करने पर आप तिकड़म करके प्रदेश में कोई न कोई सरकार बना देंगे । देश में केन्द्र में एक तानाशाही की सरकार है और प्रदेश में भी एक तानाशाही की सरकार हो जाए, तो लोकतंत्र तो बिलकुल खत्म हो जाएगा । इसलिए गुलाब सेहरा जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम विरोधी दल हैं और रहेंगे, हम सरकार बनाना चाहते है और बनायेंगे, लकिन आपकी किसी तिकड़म में आकर या बहक कर कोई काम नहीं करेंगे, इतनी हम राजनैतिक बुद्धि रखते है । हमने दूसरी भी सरकारें देखी है और यह जानते हैं कि किस सरकार ने कितने अच्छे काम किये है और कितने बुरे काम किये हैं। हर सरकार लूटती और खाती रही है और विरोधी दल के लोग बराबर कहत रहे है और जब वह सत्तापक्ष में बैठ गये तो वह भी खाते रहे हैं। यह प्रजातंत्र का ढांचा शुरू से इसी तरह का रहता है । हमारा दिमाग इस मामले में बिलकुल साफ है । अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ काम इस सरकार को अवश्य करना चाहिए । अब मैं 5–6 योजनाओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ध्यान से सुने, काम की बात है सुन लें । मैं 5–6 योजनाओं की ओर बताना चाहता हूं । मान्यवर, सड़कों का मामला चला । सड़कें गांव गांव में बना, हर गांव में बनी । पहले तो मान्यवर, गांवों में पगडण्डी भी नहीं थी, अब कच्चे रास्ते बन गये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रास्ते तो आपने बना दिए परन्तु अगर उनको पक्का न किया गया और कंकड़-पत्थर और डामर न छोड़ा गया तो एक बरसात में नहीं तो दूसरी बरसात में सारी की सारी मिट्टी बह जायेगी और आपका करोड़ों रुपया बरबाद हो जायेगा ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं शिक्षा की कहना चाहता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । शिक्षा का बड़ा बुरा हाल है । कहीं पर टाट नहीं है, कहीं पट्टी नहीं है । इलेक्शन के दरम्यान में मान्यवर, एक गांव करहरी गया था, माननीय मंत्री जी नोट कर लें वहां के प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग टूटी है । लड़के तालाब के किनारे जंगल में बैठते हैं। कहीं 2–4 लड़के बैठे हुए दिखाई पड़े जिनको अध्यापक पढ़ा रहे थे । मेरा आपसे निवेदन है कि आप सर्वे कराइये और जो भवन खराब हैं उनको ठीक कराइये । मान्यवर, एक बात आखिर में और कहना चाहता हूं कि सभी लोग कहते हैं कि कांग्रेसी शासन में बहुत भ्रष्टाचार था, तो क्या मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा । उधर हमारे समाजवादी मंत्री भी बैठे हैं, कम से कम वह तो इसको मिटायें । 30 वर्ष के कांग्रेसी शासन काल में कुनबा परस्ती थी और अगर फिर वह राज्य आ जायेगी तो वह अब और बढ़ेगा । मान्यवर, आप देखें कि हर ओर लूट-पाट के मामले चल रहे हैं । आप उन सबको ठीक करें तो अनुपूरक अनुदान देने में कोई हर्ज नहीं है । सरकार की आलोचना होती रहेगी और आप इसी तरह से काम करते रहेंगे । अगर आप एक बार आपको समय मिल जाये तो कोई चमत्कार कर दें जिससे लोग कहें कि

[श्री राधेश्याम शर्मा]

आपकी सरकार ने यह किया था और वह मिसाल बन जायेगी। मैं इन रचनात्मक सुझावों के साथ कहना चाहता हूं कि जब तक इन पर अमल नहीं होगा प्रदेश का भला नहीं हो सकता है।

*श्री रियासत हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें जो 78 करोड़ का सप्लीमेन्टरी बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन क सम्मुख रखा है, इसमें कुछ खर्च तो जायज हैं जिनको सदन को देने के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ बिला वजह के खर्च शामिल किए गये हैं, उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। कल का कार्यक्रम तो माननीय मुख्य मंत्री जी के हिस्से में चला गया और आज का कार्यक्रम आपके जिम्मे आया है, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपन संसदीय प्रणाली को बलाये ताक पर रखकर यह कोशिश की है कि 78 करोड़ रुपया आपको मिल जाये। यह विधान सभा के इतिहास में बेमिसाल है।

श्रीमन्, इस समय सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं इसलिए कि वे कहीं पर चले न जायें एक बात कहना चाहता हूं। ओबरा के समीप एक बिल्ली गांव है। उसके अन्दर हरिजनों और छोटी-छोटी जातियों के लोग रहते हैं। सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे 3 स्कूल लगते है। एक खुद के नीचे हरिजन सोशल वेल-फेयर का प्राइमरी स्कूल है, एक जिला परिषद् का प्राइमरी स्कूल लगता है और एक तीसरा स्कूल भी उसी पीपल की खुद के नीचे लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती अगर इस सप्लीमेन्टरी बजट में उनके लिए भवनों का कोई प्राविधान कर दिया गया होता। यह एक हकीकत है जिसको मैंने आपके सामने रखा है।

अब लीजिए हेलीकोप्टर की मरम्मत। इसके लिए 8 लाख 80 हजार रुपया मरम्मत के लिए रखा गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह टूटा कैसे। इलेक्शन के दौरान 2–3 बार हमारे मुख्य मंत्री जी भी हमारे यहां पर गय, पता नहीं कि उसके उतारने के लिए फील्ड बना था या नहीं, यों ही उतार दिया गया। तो जब इसका मिस्यूज होगा वह लाजमी तौर से टूट तो जायेगा ही। जहां उसकी मरम्मत के लिए 8 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि सदन में मांगी जा रही है उसके लिए एक छोटी-मोटी सी कमेटी बिठाकर इन्क्वायरी करा लेते जिसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी ताकि यह मालूम हो जाता कि आज जो प्रदेश की जनता के ऊपर 8 लाख 80 हजार रुपये का बोझा पड़ रह है, कहीं उस हैलीकोप्टर का मिस्यूज तो नहीं हुआ है। मैं तो समझता हूं कि उसके मिस्यूज से ही वह टूटा है।

जहां तक प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन का प्रश्न है जिसके लिए रुपया मांगा जा रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि आज बसों के अन्दर मर्डर्स हो रहे हैं, रेलों में मर्डर्स हो रहे हैं, वकीलों के घरों पर मर्डर्स हो रहे हैं और नौबत यहां तक आ गयी है कि आगरा के अन्दर एक डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि कोर्ट में बैठे हुए थे, उनकी वहीं पर पिटाई हो गयी, अग्निहोत्री जी की। गोरखपुर में 20 मर्डर्स हो चुके हैं। 2 आदमियों को कोर्ट कम्पौन्ड में मार दिया गया। श्री राम सूरत प्रसाद जो कि विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और पार्लियामेन्ट के सदस्य भी रह चुके हैं, उनके लड़के का मर्डर 2 अक्तूबर, 1979 को कर दिया गया है। बार-बार उन्होंने चिट्ठियां लिखी लेकिन हत्यारों को नहीं पकड़ा जा सका है। अब उनकी खुद की जान भी खतरे में है। हत्यारों का यह भी कहना है कि जब तक उनका भी मर्डर नहीं होता है वे कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो मेरी प्रार्थना है कि उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पता नहीं कि आपके मंत्रि-परिषद् की संख्या कितनी है क्योंकि आपकी डायरी में जो हमको मिली है, उसमें और टेलीफोन डायरेक्टरी में अब 19 कैबिनेट और 18 स्टेट मिनिस्टर्स दिखाये गये हैं लेकिन मुझे सूचना यह मिली है कि कारपोरेशन्स क जो चेयरमैन्स हैं वे यह कह रहे हैं कि चूंकि हमको मिनिस्टर का स्टटस मिला हुआ है इसलिये हमलोग भी मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं और वे यह कहते हैं कि उनको भी मंत्रि-परिषद् का सदस्य लिखा जाये। मेरे मुरादाबाद के अन्दर ठाकुर द्वारा एक तहसील है वहां पर फूड फार वर्क के मातहत जो एक सड़क बनी है उस पर एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है श्री फलां फलां, सदस्य मंत्रि-परिषद्। वहां के एक बी0डी0ओ0 जब यह आपत्ति उठायी कि उनको मंत्रि-परिषद् का सदस्य कैसे लिखा जा सकता है, यह गलत होगा तो उससे कहा गया कि उसको पेड़ में लटकवा दिया जायेगा। इस प्रकार एक मंत्री का स्टेटस होने के कारण वे भी अपने को मंत्रि-परिषद् का सदस्य कहते हैं। तो अब यह ज्वाइन्ट रेसपान्सिबिलिटी 19 मंत्रियों की रहेगी या इसमें सभी कार्पोरेशन्स के चेयरमैन्स भी शामिल होंगे ?

मान्यवर, सन् 1978 में फ्लड आया, 1979 में सूखा पड़ा जिसके कारण किसान तबाह हो गया। सदन के माननीय सदस्यों ने इस कारण क्राप इन्श्योरेन्स की मांग की थी। मुझे खुशी होती यदि इस बजट में उसके लिये कुछ रुपया रखा जाता। इसमें क्राप इन्श्योरेन्स स्कीम चलाने के लिये कोई प्रावीजन नहीं है। रिसर्च वगैरह के लिये है।

अब इस रिसर्च के बारे में भी सुन लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, आप देखें, एशिया की हमारे यहां सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, मगर यहां पर गहूं की जो रिसच हुई है उससे अभी तक हमारी पर एकड़ ईल्ड बढ़ी नहीं है, वह उतनी ही है। नं0 308 और 227 आदि वाली बैराइटी ही चल रही है, मगर उनकी ईल्ड नहीं बढ़ी है।

एक चीज की तरफ और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोगों क लिये कुछ कमरे पार्क रोड पर बने हैं और उनकी साज-सज्जा के लिये इसमें रुपया रखा गया है। मैं यह मांग करता हूं कि जो माननीय सदस्य पार्क रोड पर रहें उनसे एक्सट्रा किराया वसूल किया जाय क्योंकि आज माननीय सदस्य दारुलसफा से वहीं भाग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा, उनसे अतिरिक्त किराया नहीं लिया जायेगा तो यह ठीक नहीं होगा कि कोई विधायक वहां रहे और कोई यहां रहे।

यू0पी0 निवास, दिल्ली के लिये भी इसमें रुपया मांगा गया है। वहां यू0 पी0 निवास में शासन के सदस्यों, विधायकों तथा अधिकारियों के रहने के लिये व्यवस्था होती है। लेकिन देखा यह गया है कि प्रायरिटी के हिसाब से जो नं0 3 पर हैं, उनको फर्स्ट प्रायरिटी मिलती है अर्थात् प्राधिकारियों को पहले जगह मिलती है। जो नम्बर 3 का अधिकारी है, उसको टाप प्रायरिटी यू0पी0 निवास में है। टाप प्रायरिटी मान्यवर, आपको होनी चाहिए उसके बाद अधिकारी को होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

यह बातें करने का समय नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

नैनीताल के अन्दर 6 लाख, 75 हजार का बजट आपने मांगा है सिर्फ इसलिए कि पुराना सामान बेचने में लाखों रुपये आ जायं। श्रीमन् इन्क्वायरी कमीशन बैठा, आज तक कोई इन्क्वायरी का रिजल्ट नहीं निकला। श्रीमन्, मुरादाबाद की केन सोसाइटी में 61 लाख रुपयों का कर्जा है। यह मेरे पास फीगर मौजूद है और 40 लाख का कर्जा ऐसा है जो कि

[श्री रियासत हुसैन]

जीप का और कार का है। यह एक साल से ज्यादा समय का कर्जा है। मैंने कहा कि उस सोसायटी को खत्म कीजिए, तो श्रीमन् इस तरह की गड़बड़ियों को देखा होगा। इन सारी चीजों को सामने रख कर हमको सोचना पड़ेगा कि जो यह आपने ग्रान्ट मांगी है और जिसको आप लाठी-डण्डे के जोर पर पास भी कराने जा रहे हैं, इसके अन्दर जो नाजायज चीजें रखी गयी हैं, उसके ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इस तरह से नाजायज बोझ जनता के ऊपर डाला जायगा तो जनता आपको माफ नहीं करेगी, तो जरा ध्यान रखिए और इस देश-प्रदेश का पैसा बरबाद न करिये।

श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह अनुपूरक बजट की मांग पर हम बहस कर रहे हैं और यह मान्यवर, पास भी हो जायेगा। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन मदों पर जो व्यय है, कोई उसमें विवेक से काम नहीं लिया गया। उदाहरण के रूप में मान्यवर, जो प्रदेश में सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कृषि के अनुदान के सिलसिले में खादों पर 20 प्रतिशत, 33 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तक छूट दी गयी थी, वह उस वक्त दी गयी जब किसान अपने खेत बो चुके थे। ऐसे वक्त इसकी घोषणा हुई। इतनी जल्दी-जल्दी यह सब काम हुआ कि इससे गरीब किसान को, आम किसानों को कुछ फायदा नहीं हुआ। हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों को खड़ा करके इस तरह की छूट का फायदा दूसरे बड़े लोगों ने उठाया और वह लोग तमाम खाद अपने घरों में स्टाक कर लिये हैं, आगे फसल में उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से इन मदों पर विवेक से काम नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा शिक्षा के सम्बन्ध में, प्रौढ़ शिक्षा की जो आपकी स्कीमें हैं, जो चलीं, उसमें पहले दौर में तो आर0एस0एस0 के लोगों को रखने के लिए उनको इम्प्लायमेन्ट देने के लिए और नियोजित ढंग से हमारे समाज में अपनी नीतियों को लादने के लिए इस योजना को इस्तेमाल किया गया। इस तरह से इन योजनाओं से सामाजिक प्रगति पर कोई प्रभावी असर नहीं पड़ा।

दूसरी तरफ मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज त्रिभाषा के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हो रही है और संस्कृत के लिये भी कुछ भाई हल्ला कर रहे है, यह क्या हैं? उर्दू कोष को त्रिभाषा में रखा गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं, किन्तु मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल आधे मन से है और मुझ लगता है कि इसके पीछे भी सुनियोजित षड़यंत्र है इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाता है अगर ऐसी बात न होती तो इसमें उर्दू के टीचरों के खर्चे के लिये प्राविधान अवश्य होता। इसको देखने से पता नहीं लगता है कि उर्दू के बारे में आप गम्भीर हैं। जो इसमें राजनीति काम कर रही है उसका असर आपके ऊपर भविष्य में पड़ेगा, आज तो आप बैठे हैं इसको पास करा लें कल सुबह अखबारों में क्या आ जाय पता नहीं हम वहां बैठने के अधिकृत न रहे यह बात भी हो सकती है। जब चुनाव होगा अभी एक चुनाव हुआ उसमें पता चला आप नदारत हो गये फिर हो जायेंगे। उसकी पीछे कारण यह है कि जान बूझकर आप नेशनल एक्सेप्टड पालिसी को डिस्ट्राय कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे है। देश और प्रदेश की जनता पर उसके मनःस्थिति पर उसका असर पड़ता है।

यह मानता हूं कि आपने सम्पर्क मार्गों को जो निर्माण कराया 30 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। आपने अन्त्योदय स्कीम चलाई, किसानों को छूट दी जनता पार्टी की सरकार लोकदल की सरकार ने यह सराहनीय कार्य किया है परन्तु आप मजबूत नहीं बन पाये आप उखड़ गये, आगे और उखड़ जायेंगे। उखड़ने का कारण यह है कि हमारे देश और प्रदेश की जनता चाहती है कि हमारे विकास की सबसे बड़ी बाधा साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और सामन्ती अवशेष है इनको उखाड़ने के लिये संकल्प होना चाहिये था। हरिजनों की बात आप भी कर लेते हैं और हम भी कर लेते हैं। हरिजनों को जमीन दी जाय सीलिंग को पूरे

मन से लागू की जाय इसके लिये कोई प्राविधान इसमें नहीं है । उर्दू को चुनावी मुद्दा ही बनाये हैं। जब तक देश में अल्प संख्यकों की आप सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल आप रहे न रहे, आयेंगे भी नहीं, आप नेशनल एक्सेपटेड पालिसी को डिस्टार्ड नहीं करने पायेंगे । अब हमारे देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, खाद्यान्न योजना के बारे में । खाद्यान्न योजना में सड़कों का निर्माण जो हुआ उसमें क्षेत्रवाद चलाया गया जहां आवश्यकता नहीं वहां अधिक जहां जरुरत है, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों में इसको पूरे मन से नहीं किया गया है । अभी हमारे साथी नेताओं न बताया कि बुन्देलखण्ड में लोग भूखों मर रहे हैं , मवेसियों के लिये चारा नहीं था हमारे क्षेत्र में भी इस तरह की उपेक्षा किया गया ।

सार्वजनिक निर्माण की बात की गई है इस विभाग द्वारा भी सड़कें बनाई गई है उसमें भी क्षेत्रवाद की दृष्टि की गई है । आज इसमें क्षेत्रवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद और जो लोक विघटन लाने वाले है आज हमारे समाज के दलाल है प्रगति में बाधक है। यदि इस तरह के अनुदान पास किये जायेंगे तो आगे क्या होगा। देश की जनता और प्रदेश की जनता इसका मुकाबला करेगी और इस का असर बहुतों पर पड़ेगा । मान्यवर, अभी आप पास करा लें । और देश की प्रगति के रास्तों पर ले जाने के साथ-साथ नीतियां और योजनाएं नियोजित ढ़ंग से लागू करें यह होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता––

अब समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि इस कार्यवाही को 4 बजे तक समाप्त कर लें इसलिए दलों के नेताओं से अनुरोध है कि वे दस मिनट ले लें और माननीय सदस्य केवल 5 मिनट ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)––

मैं मान्यवर, 5 ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

मान्यवर, बजट पेश किया जाता है, उसके बाद अनुपूरक अनुदान भी पेश किया जाता है और यदि उस पर एक बार आवश्यकता पड़ती है तो पेश किया जाता है और दूसरी बार आवश्यकता पड़ती है तो दूसरी बार भी पेश कर दिया जाता है । लेकिन आज अनुपूरक अनुदान जो यहां पर पेश किये गये हैं । मैं इसका विरोधी नहीं हूं । लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जिनका सम्बन्ध संभावनाओं से नहीं होता एक निश्चित आधार होना चाहिए ।निश्चित आधार प्रस्तुत करने के बाद यदि अनुपूरक अनुदान पेश किये जाते तो इसके भीतर होता ।

अब आप संभावनाओं क आधार पर कि इतनी रकम खर्च करने की संभावना पड़ सकती है । इन संभावनाओं के आधार पर आप अनुपूरक अनुदान पेश कर रहे हैं । मान्यवर, इतने अनुपूरक अनुदान पेश किये जाते हैं परन्तु इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिर बजट पेश करते समय जितने मदों का प्राविधान किया गया था, उनमें कहा कि प्रगति हुई है । इस दृष्टिकोंण से अनुपूरक अनुदान नहीं पेश किय जाते हैं । और इस समय प्रदेश के किसी भी विभाग को ले लें । चाहे वह सार्वजनकि निर्माण विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो या कोई और विभाग उसमें आप एक ही चीज पायेंगे कि जिन मदों के लिए बजट में प्राविधान किया गया था, उनमें अभी तक कार्य की शुरुआत तक नहीं हो पायी है । इसके लिये आप क्या करेंगे ? जब शासन अपना बजट प्रस्तुत करते समय यह नहीं देखता कि हमारा पहले वाला प्रस्तुत बजट का पालन कहां तक हुआ या पालन किया भी जा रहा कि नहीं । मान्यवर, इसको मैं मर्यादा के खिलाफ समझता हूं और सदन की गरिमा के खिलाफ भी समझता हूं । इस ऐरिया विभाग (रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस) को ले लीजिए । आज कल किसी विभाग

(श्री राम आसरे वर्मा]

के पास कोई काम यदि है कन्सट्रक्शन से सम्बन्धित होता है तो आर0एस0 को दे दिया जाता है आर0 एस0 डिवीजन में कोई काम नहीं होता है। इस समय यदि पूरे प्रदेश में आर0एस0 के कामों का लेखा-जोखा लिया जाये तो आपको उनकी सारी स्थिति का ज्ञान हो जायेगा।

मान्यवर, विद्युत परिषद् के बारे में कितना ही कहा जाए रोज ही चर्चा इस पर हो रही है, सदन में। एक मेरे क्षेत्र में 8–10 वर्ष पुरानी लाइन अधूरी पड़ी हुई है जलालपुर में। इस सम्बन्ध में कई बार शासन का ध्यान आकर्षित किया और आग्रह किया कि वहां का अधूरा कार्य शीघ्र पूरा किया जाय, परन्तु उसकी कोई सुनवाई न होने के कारण उसका हस्र यह हुआ कि जो लाइने वहां बिछाई गयी थी। उस लाईन को वहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने आधी तो इधर-उधर कर दी और आधी लाइन जनता क हाथ लग गयी। लकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस पर अभी तक शासन की ओर से उसके जीर्णोद्धार की व्यवस्था नहीं की गयी। अमुक कार्य का जीर्णोद्धार हो जायेगा और विद्युत् लाइन काम करने लगेगी। जलालपुर–छिबरामऊ में मैं समझता हूं कि साल भर होने वाला है, शासन की तरफ से स्वीकृत लाईन हो गई लकिन खम्भे नहीं लगे हैं।

मान्यवर, एक मजाक उठाया जाता है हरिजन का। चाहे किसी दल के लोग हों, हरिजन इतना कमजोर समझ लिया गया है कि राजनीति का मुद्दा बनाया जाता है। आतंक, उत्पीड़न, का मुद्दा बनाया जायेगा। बिजली में भी हरिजन अलग नहीं है। दूसरी जगहों की बात मैं नहीं करता –– हरदोई जिले के लिए मैं दावं के साथ कह सकता हूं कि अगर कागज आप देखत तो हरिजनों की बस्तियों में विद्युतीकरण मिल जायगा लेकिन अगर मौके पर जाकर देखें तो शायद एक भी गांव नहीं होगा जहां पर हरिजनों की बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ हो। हो सकता है कि खम्भे लगे हों लेकिन रोशनी वहां नहीं है और जिस मकसद से विद्युतीकरण किया जाता है वह पूरा नहीं होता।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि तमाम विभागों में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। शासन की ओर से अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है और पैसा मांगा जाता है। यदि शासन की ओर से कामों का लेखा-जोखा, कार्यों का विवरण भी रखा जाये तो कम से कम अनुदान का औचित्य बनता है। यह नहीं किया जाता। कई विभागों में आप देखें, विशेषकर सिंचाई विभाग पैसा निकाल लेता है और काम शुरू किया जाता है लेकिन उसके वाद थोड़े दिनों के बाद में उल्टी धारा बहने लगती है। कहा जाता है कि काम पूरा हो गया। यह 6–7–8 साल में काम समाप्त हो जाता है। पुलिया बनायी जाती हैं लेकिन थोड़े दिनों में रिपोर्ट लग जाती है कि पुलिया में दरार पड़ गयी थी और वह टूट गयी है। पैसा भी निकल गया लेकिन मकसद हल नहीं हुआ। इन चीजों पर रोक लगायी जानी चाहिय।

सम्पर्क मार्गों की बड़ी चर्चा है। अनेकों जगहों पर प्रदेश में सम्पर्क मार्ग बनाये गये हैं। जन साधारण के मुह से भी यह बात निकलती है कि पिछल दो ढाई सालों में एक बहुत बड़ी उपलब्धि वर्तमान शासन ने दी है जो कभी नहीं पिछले शासन न दी। इसक लिए जन साधारण सराहना करता है। सम्पर्क बने लकिन वह सम्पर्क मार्ग आपने बनाय हैं गांव में विकास के लिए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे गांव कड़ियों के रूप में जुड़ जाय लेकिन मै कहना चाहता हूं कि आज वे सम्पर्क मार्ग आपकी लापरवाही के कारण वरदान नहीं अभिशाप बन गय हैं। पानी बरसा नहीं करना सारा उद्देश्य धुल जाता। पुलियों के निर्माण की व्यवस्था नहीं की, सम्पर्क मार्गों पर खड़जों की व्यवस्था नहीं की। जगह-जगह पानी का भराव हो जायगा, किसान तबाह हो जायगा। मै सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अन्त में अनुदान पास होगा, मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन जिस नौकरशाही के दम पर पिछले कामों को पहल सम्पन्न करना चाहिये। नौकरशाही के ऊपर यह अंकुश लगाना चाहिये कि जिस कार्य के लिये आप पैसा लें निश्चित अवधि के

अन्दर समाप्त करें। यदि निश्चित अवधि के अन्दर काम न हो सके तो उन्हें अक्षम घोषित कर देना चाहिय और सेवा से मुक्त कर देना चाहिये। अगर इस तरह से काम किया गया तो शासन की मर्यादा रहेगी, सदन की मर्यादा रहेगी और अनुपूरक अनुदानों का भी महत्व रहेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया कि इस अनुपूरक अनुदान पर दो शब्द कह सकूं। यह दूसरी बार अनुपूरक अनुदान सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले अगस्त में माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 अरब 95 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान पेश किया था। अब 78 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान वित्त मत्री जी ने प्रस्तुत किया है। परम्परा रही है कि अनुपूरक अनुदान एक ही आधार पर सदन में पेश किया जाता रहा है, आवश्यकता जब बहुत अधिक रही है, आवश्यकता के हिसाब से ही प्राथमिकता निर्धारित की जाती रही है अनुपूरक अनुदान की। यह अनुपूरक अनुदान जो माननीय वित्त मंत्री जी न पेश किया है उसको देखने से ऐसा लगता है कि जो आवश्यकता इस प्रदेश को है उसकी उपेक्षा की जा रही हैं। यदि हम देखें तो पायेंगे कि हमारा प्रदेश सूखे से ग्रसित है, दैवी आपदाओं से ग्रसित है और कुल 5 करोड़ 20 लाख रुपये का अनुदान सूखे से राहत के लिये है जिसमें 4 करोड़, 30 लाख रुपये जो व्यय किया जा चुका है, उसकी आपूर्ति के लिये रखा गया है। केवल 1 करोड़ रुपया इसमें रखा गया जिसमें 10 लाख रुपये पर्वतीय अंचलों के लिये हैं और 90 लाख रुपया मैदानी अंचलों के लिये है। मैं समझता हूं कि इतनी धनराशि बहुत ही कम है। साथ ही साथ आपकी खरीफ की फसल बिलकुल ही सूख गयी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1 हजार 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, हमारे आंकड़ों के अनुसार 1,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अगली रबी की फसल भी खराब हो जायेगी, इसके लिये केवल एक करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान है। इसको रोकने के लिये डीजल की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। इन सभी आवश्यकताओं की और इनकी पूर्ति की ओर शासन को विचार करना चाहिये। शासन कहीं से भी इसकी आपूर्ति करे जिससे सूखे से निपटने के लिये सक्षम हो सक।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश के पंपिंग सेट बन्द पड़े हैं, डीजल की पूर्ति नहीं हो रही है। जो बिजली आ रही है उससे सिंचाई नहीं हो सकती। बिजली की आपूर्ति क लिय इन अनुपूरक अनुदानों में मांग रखी जा सकती है परन्तु बिजली के लिये कोई मांग नहीं रखी गयी है। सिंचाई के लिये बिजली की पूर्ति के लिये भी व्यवस्था की जाये। प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की जो मांग है, उनके लिये सरकार को प्रयत्नशील होना चाहिये और उसी हिसाब से अनुपूरक अनुदानों की मांग होनी चाहिये।

दूसरी बात 'अनाज के बदले काम योजना' के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने नैनीताल में देखा है कि अनाज की कमी के कारण बहुतसी योजनायें बन्द हो गयी हैं। तर्क यह दिया जाता है कि खाद्यान्न की कमी के कारण यह योजना पूरी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ जिन सड़कों पर मिट्टी डाली गयी वर्षा और हवा से उनकी मिट्टी भी उड़ती जा रही है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि उन सड़कों को पक्की बनाया जाये। अब तक सड़क पक्की नहीं की जा सकी हैं।

(इस समय 2 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मैं कहता हूं श्रीमन्, जब तक इन सड़कों को पक्का नहीं बनाया जायगा तब तक जो धनराशि इन पर व्यय की गयी है वह बेकार जायगी और कुछ दिनों बाद यह पैसा बेकार जायगा तथा नये सिरे से इन सड़कों को बनाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, स्कूलों के बारे में। स्कूल खोलते चले जा रहे हैं। इसी सदन में कितनी ही बार हम लोगों ने मांग की है कि स्कूलों को सुचारुरूप से चलाने के लिये भवनों की आवश्यकता है, (लाल बत्ती जलने पर), मान्यवर, आपन बैठते ही लाल बत्ती जला दी।

श्री अधिष्ठाता---

5-5 मिनट माननीय सदस्यों के लिये हैं। आप 2 मिनट और बोलें।

श्री देव बहादुर सिंह---

श्रीमन्, यह लाल बत्ती बुझा दें। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके लिये भवन, श्यामपट, टाट पट्टी आदि की बड़ी आवश्यकता है।

श्री हुक्म सिंह परिहार---

देव बहादुर जी आप किस दल के हैं।

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले दल के नहीं हैं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि अनुपूरक अनुदान में शिक्षा के लिये व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अनुपूरक अनुदान में मांग की गयी है। प्रौढ़ शिक्षा का मैं हामी हूं। जब हम शैशवकाल में शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आगे जाकर प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये जब तक प्राइमरी स्कूल की शिक्षा अनिवार्य नहीं कर देंगे तब तक प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता होती रहेगी। सभी जानते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा में जितनी धनराशि का व्यय होता है उसका 90 प्रतिशत अपव्यय होता है। गांव में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खुले हैं, अध्यापक नियुक्त हैं लेकिन कोई पढ़ाने नहीं जाता, मिट्टी के तेल का उपयोग नहीं होता और न लालटेन जलायी जाती है, केवल कागज पर काम होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा इस प्रकार चालू की जाय जिसका उपयोग गांव के लोग कर सकें। अब मैं कृषि के बारे में कहना चाहूंगा। खाद पर जो छूट आपने दे रखी है सीमान्त कृषकों को और लघु कृषकों को उसका लाभ वह नहीं उठा पाये हैं। जो आदेश आपने भेजा है उसमें भ्रम है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको देखकर इसमें सुधार किया जाय जिससे लघु और सीमान्त कृषक लाभ उठा सकें।

दूसरी बात मान्यवर, मैं कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आलू रखने की बात आयेगी तो अभी से इस सम्बन्ध में व्यवस्था होनी चाहिये। उनको बिजली या डीजल देने की व्यवस्था की जाय जिससे पिछले साल की तरह आलू इस प्रदेश में बरबाद न हो। अगर आलू बरबाद हुआ तो किसान की कमर टूट जायेगी। दूसरी बात गन्ने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सरकार ने 15 रुपया मूल्य निर्धारित किया है। उसको बढ़ाकर ऋशरों की तरह 20-21 रुपया किया जाय नहीं तो मिलों को गन्ना नहीं जायेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो मूल्य निर्धारित किया गया है उस पर पुनर्विचार करें और 20 रुपये प्रति क्विंटल दाम निर्धारित करें।

***श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)---**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत किया है; मैं यह महसूस करता हूं कि किसी भी शासन को सही ढंग से काम चलाने के लिये चाहे अनुपूरक बजट हो या बजट हो उसकी आवश्यकता पड़ती है। मैं यह महसूस करता हूं कि सबसे पहले इस सदन में जो पिछले दिनों हमारे देश और प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण घटना दल-बदल की हुई, जिसने जनतंत्र के लिये एक घातक उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके ऊपर चर्चा होने की आवश्यकता है। हम केन्द्र सरकार से संकल्प द्वारा मांग करते हैं कि कानून के द्वारा दल-बदल पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। मैं महसूस करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने जो अनुपूरक बजट रखा है उसके

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए सबसे पहले जो सचिवालय है, वह बहुत ही निष्क्रिय और अक्षम प्रतीत होता है उसके लिए मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के एक-एक विभाग का एक-एक उदाहरण देना चाहता हूं। शिक्षा विभाग में ऐसी निष्क्रियता है कि 1952 से लेकर आज तक श्री बहुगुणा, गांधी इंटर कालेज, देहरादून का वेतन निर्धारण का मामला पड़ा हुआ है। श्री दाताराम भट्ट, प्रधानाचार्य गुरुराम इंटर कालेज, भाऊवाला, देहरादून का वेतन निर्धारण 1968 से फइलों में अटका हुआ है। आज तक वेतन निर्धारण नहीं हो पाया। सी0आई0डी0 के एक आफिसर मिश्रा हैं, जिनको पेंशन गये हुए 11 वर्ष हो गये हैं। वह मरणासन्न अवस्था में हैं। आज भी पेंशन की फाइल पड़ी हुई है। एक गोविन्द सिंह नेगी हैं, टेहरी लाइब्रेरी के चपरासी। 19 साल से फाइल को सड़ते हुए हो गये आज तक उनका वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है। वह पेंशन चले गये हैं। उनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ है। एक अग्रवाल है सिचाई विभाग में। सात साल हो गये अवकाश ग्रहण किये हुए, उनकी फाइल पड़ी है, पेंशन का आज तक निर्धारण नहीं हुआ है।

इसलिए वित्त मंत्री महोदय, अनुपूरक बजट के द्वारा सचिवालय को चुस्त बनाए, सचिवालय में यदि स्टाफ की कमी है या साधनों की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए, और प्रदेश में शासन में जो निष्क्रियता आयी है, उसको दूर करने के लिए कोई प्राविधान करें। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री और उद्योग मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं पर्वतीय विकास के लिए प्रति वर्ष 70–72 करोड़ का प्राविधान है। जिस क्षेत्र में जो कच्चा माल पैदा होता है, उससे सम्बन्धित उद्योग उस क्षेत्र में जब तक नहीं लगाये जाते हैं तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए देहरादून जिले में और पर्वतीय क्षेत्र में चूने का और मारबिल का पत्थर है। उससे सम्बन्धित उद्योग कलकत्ता और बम्बई में खड़े होते हैं। छोटी-छोटी गिट्टियां करोड़ों टन में पहाड़ी क्षेत्र में पड़ी हुई रहती हैं। लेकिन हमारा प्रदेश दूसरी ओर सीमेन्ट के लिए तड़प रहा है। देहरादून में जो सीमेंट फैक्टरी बनना प्रस्तावित थी, वह आज तक नहीं बनी है। परिणाम यह है कि हम सीमेंट के लिए तड़प रहे हैं।

मैं यह भी कहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय, पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए देहरादून से डाक पत्थर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन, ऋषिकश से कर्ण प्रयाग और ऋषिकेश से उत्तर काशी तक रेलवे लाइन का प्राविधान करें। रेलवे लाइन बनाना तो के द्रीय सरकार का काम है। लकिन उसक लिए सर्वे करना प्रान्तीय सरकार का काम है। पर्वतीय प्रदेश के विकास के लिए जो 70 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च होने वाला है उसका सही तौर पर विकास होना चाहिए। उसके लिए रेलवे लाइनों का प्राविधान करना होगा।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा। आज नगरपालिकाओं की स्थिति यह हो गयी है, पानी, बिजली प्रान्तीय सरकार के हाथ में है, जिससे नगरपालिकाओं की सड़कों की और सफाई की दशा नर्क के समान हो गयी। देहरादून जिला जो देश का पर्यटन केन्द्र है, वहां पर नगरपालिकाओं की सड़कों पर गंदगी के ढ़ेर लगे हैं। वहां कोई व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं है। नगरपालिकाओं की दशा पूरे प्रदेश में ऐसी है। इस बजट में नगरपालिकाओं के लिए विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए था। जहां हम लोग ग्राम पंचायत का विकास करना चाहते हैं वहां नगर बिगड़ते जा रहे हैं। नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दे कर उनकी बिगड़ती हुई हालत को सुधारने की आवश्यकता थी। इन शब्दों के साथ आशा करता हूं कि विकास कार्य में जो कमियां हैं, आज ग्रामीण विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको दूर करने में सरकार सक्षम होगी।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान...

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मुझे न गवर्नर एड्रैस में बोलने का मौका दिया गया न आज मिल रहा है..... कांग्रेस (आई)...

श्री राम नरेश पाण्डेय—

सबसे पहले म आपका ध्यान अनुदान संख्या 35 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इटावा में एक पालीटेकनिक की स्थानापना की गयी है। मैंने कई बार इस प्रश्न को उठाया था कि हमारे देवरिया में कम से कम एक पालीटेकनिक की व्यवस्था की जाय ताकि वहां पर लोगों को इण्डस्ट्रलाइज्ड टाइप की ट्रेनिंग दी जा सके लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। हमारे मोहन सिंह जी बैठे हैं वह अपने यहां अस्पताल बना ले गये। आप कहते हैं कि क्षत्रीय असंतुलन समाप्त कर देंगे। मंत्रीगण अपने क्षेत्रों में अस्पताल बना रहे हैं। इस प्रकार शासन चलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें अन्यथा शासन नहीं चल पायेगा मैं चेलेन्ज करता हूं। आप को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है...(व्यवधान) दूसरी बात मै अनुदान संख्या 31 के बारे में कहना चाहता हूं। होमगार्ड स का वतन बढ़ा दिया गया है। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वे लोग कड़ी सर्दी में काम करते हैं तो उन के लिए वर्दी का भी इन्तजाम करना चाहिए था। निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

एक निवेदन यह करना है कि हमारे यहां बेसिक शिक्षा के विद्यालय के भवनों की व्यवस्था दस-साल, 18 साल से नहीं हुई है। बच्चे छतों में बैठ कर पढ़ते हैं। यह उन के जीवन के साथ खिलवाड़ है। आप प्राथमिक स्तर के विद्यालय के लिए टाट और पट्टी का प्रबन्ध करें। यदि यह प्रबन्ध नहीं किया गया तो स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है।

उर्दू के संबंध में निवेदन यह है कि जो मौलाना लोग हैं उनको कुछ पैसा दिया जाय ताकि उन का भी जीवन चले और वे उर्दू भी लोगों को सिखाया करें।

एक निवेदन यह है कि हमारे यहां बी0 टी0 सी0 ट्रेन्ड टीचर्स हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिल पायी है उनको नौकरी का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। इस संबंध में निवेदन यह है कि जो आपकी एडल्ट एजूकेशन की व्यवस्था चल रही है उसके अन्तर्गत यह कार्य हो सकता है।

श्री पुरूषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिए काफी प्रयास करने की बात कही गयी ..... (व्यवधान) श्रीमन्, मैं मिर्जापुर छानवे क्षेत्र से आता हूं वहां पर बाढ़ की स्थिति ऐसी है कि जरा सी भी वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है... और बाढ़ से घिरने के बाद इतना रास्ता नहीं रह जाता जिससे वहां क लोग दूसरी जगह जा सकें। दूसरे यहां छानव क्षेत्र में रिजर्व सीट हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है। वहां बारिश की वजह से सड़कें खराब हो जाती हैं जिससे वहां के लोग बाहर नहीं जा सकते। लिहाजा गयपुर से रामपुर घाट तक, जिगना से मिथपुर घाट तक, बिहसड़ा से रामपुर घाट तक और अकोढी से रामपुर घाट तक चार सड़कों के पी0 डब्ल्यू0 डी0 को दे दिया जाय। अकोढ़ी के पास रलवे पुल जो है लोग उस पुल से आते जाते हैं। इस से लोग रेल से कट जाते हैं। इसलिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके पास करुड़ावती नदी पर एक पुल बनवा दिया जाय। इसी प्रकार रामपुर घाट पर एक पीपे का पुल भी बनवा दिया जाय और श्रीनिवास धाम पर एक डिग्री कालेज खुलवा दिया जाय। अदवा से मनगढ़ा तक जो सड़क तक जाती है उसे पक्का करवा दिया जाय। कई साल से इस सड़क के लिये प्रयास किया गया लेकिन वह सड़क अभी तक नहीं बन सकी है।

मेरे क्षेत्र में अर्जुनपुर, मांडा, हड़गढ़ और नारायनपुर घाट पर पंपिंग स्टेशंस हैं लेकिन कोई भी पंपिंग स्टेशन कायदे से नहीं चल पाता है। इनको 18 घंटे बिजली मिलनी चाहिये क्योंकि इस क्षेत्र की सिंवाई नहीं हो पाती है। बारिश की वजह से बाढ़ आने पर छानवे क्षेत्र की खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है तो सूखे में रबी की फसल चली जाती है। इस क्षेत्र में काफी पंपिंग सेट्स तथा सरकारी ट्यूबवेल लगाये जांय। इस क्षेत्र की जमीन जरखेज है जिसके कारण काफी उपज हो सकती है। मेरा यह भी निवेदन है कि गौरा और बबुरा ग्राम में एक अस्पताल भी खोल दिया जाय। मिज पुर में बिजली के अलावा डीजल की भी समस्या है। वहां पर कोयले की खदानें हैं, अल्मूनियम की फैक्टरी है यहां पर जितना डीजल दिया जाता है उससे 10 गुना अधिक दिया जाना चाहिये। डीजल की कमी से वहां हाहाकार मचा रहता है और बड़ी परेशानी वहां की जनता को रहती है। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इन्दिरा गांधी ने चालाकी करके हमारी सरकार को गिरा दिया है लेकिन दर असल बात तो यह है कि नेताओं ने पदलोलुपता और महत्वाकांक्षा के कारण अपने विवेक को खो दिया था। इसमें उनका ही दोष है न कि इन्द्रा गांधी का दोष था। विश्व के बड़े बड़ विचारकों ने उनकी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, दृढ़ निश्चयी तथा आत्मबली माना है। अन्त में मेरा यह भी कहना है कि मिर्जापुर में ईट भट्टों वालों के लिये डी0 ओ0 बनवाने की व्यवस्था मिर्जापुर में ही कर दी जाय।

वर सत्यवीर (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इन अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे यह देखकर बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जनता और लोक दल की हुकूमत इस प्रदेश में आयी और फिर भी कोई अभूतपूर्व तब्दीली इस प्रदेश और देश में नहीं आई, जो आनी चाहिये थी। उदाहरण के लिये मैं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में कुछ मिसाल देना चाहता हूं। मैंने चाहा था कि कोई व्यावहारिक शिक्षा दी जाती जैसा कि हमन अपने मैनिफैस्टो में कहा था कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे, लेकिन उस दिशा में हम कोई कदम नहीं उठा पाय। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैं भी मंत्री था। जब मैं वहां था तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ावा देने के लिये कोशिश की थी और यह चाहा था कि टेक्निकल शिक्षा के लिये पूरे शिक्षा बजट का आधा बजट जाना चाहिये। जबतक कक्षा 8 से एम0 एस-सी0 तक इस तरह से हमने टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती है। इस सम्बन्ध में हमने शिक्षा मन्त्री को एक स्कीम भी दी थी किन्तु उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसका मुझे बड़ा दुख है।

मान्यवर, मैं गन्ने का कृषक हूं। मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश आज भी चीनी उद्योग में सारे प्रदेशों में सबसे आगे है लेकिन इस दशा में हम सबसे पीछे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमने किसान सहकारी मिल बनाने के ढंग से काम नहीं किया है। जो उद्योगपति हैं, उन्होंने इन मिलों को बीमार कर दिया है। हम आज भी उनको किसान सहकारिता का रूप महाराष्ट्र के प्रकार नहीं दे सके हैं। हमने एक स्कीम गन्ना विकास मंत्री को दिया था लेकिन उसकी उपेक्षा की गई।

[कुंवर सत्यवीर]

कृषि के बारे में मुझे यह कहना है कि उड़द, मूंग और सूर्यमुखी का बीज समय पर कहीं बिक्री के लिये नहीं है। इसकी उपलब्धि की व्यवस्था समय पर की जाय।

इस प्रदेश में दुग्ध ह्वाइट रिवोल्यूशन लाया जा सकता था। इस दिशा में हमने कोई कदम नहीं उठाया। अगर हम लोग बढ़िया किस्म के वेस्टर्न बुल्स न्याय पंचायत स्तर पर देपाते तो मैं समझता हूं कि ह्वाइट रिवोल्यूशन हो सकता था। इसी तरह से साधन सहकारी समितियों के बारे में कहना चाहता हू कि इनसे किसानों को कुछ लाभ हुआ है। किन्तु कुछ किसान उनसे वंचित किये गये हैं। साधन सहकारी समितियों का निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है। हमारे यहां धर्मनगरी एक न्याय पंचायत है उससे साधन सहकारी समिति उसस्तरपर गठित होनी थी किन्तु जैसा कहा गया था। उससे उसे वंचित कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी हमें उचित और शीघ्र निर्णय लेने चाहिये। इससे पूर्व शिथिलत आ गई है। अभी भी इस शासन को दो वर्ष का समय रह गया है इसलिये मै चाहता हूं कि इस समय के अन्दर वह नये कीर्तिमान स्थापित करने की कृपा करे। धन्यवाद।

*श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)---

मान्यवर, जिन परिस्थितियों में मंत्री जी ने यह अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की हैं, मालूम पड़ता है उनके दिमाग पर विधान सभा भंग होने का भूत चढ़ा हुआ है.... (व्यवधान)...

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)---

आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। मैं बोलना चाहता था।

*श्री हुक्मसिंह परिहार---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जिस समय वित्त मंत्री जी ने यह बजट बनाया उस समय विधान सभा भंग होने की छाया उनके दिमाग पर पड़ रही थी। चूंकि आजकल जिस ढग से कांग्रेस आई ने देश भर में आतंक फैलाया हुआ है उससे मालूम पड़ता है लोकतंत्र को फिर खतरा है और यह विधान सभा भंग होने जा रही है। इसी डर से वह बजट बनाते समय मुख्य समस्याओं को भूल गये और उनका बजट में प्राविधान नहीं कर पाये। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस कारण से जनता पार्टी हारी और कांग्रेस को भारी बहुमत मिला वह एक खास मुद्दा है। आज प्रदेश भर में शासन व्यवस्था में गड़बड़ी हो रही है, हत्यायें, लूटपाट और डकैतियों का दौर दौरा चल रहा है। मान्यवर, अभी आगरा जिले में एक गांव में जहां से मंत्री ज आते हैं वहां एक विधा डकैत ने एक ही रात में 9 आदमियों को मार दिया और मेरे क्षेत्र में पिछले महीने 10 डकैतियां और 5 हत्यायें हो चुकी हैं। पूरे आगरा डिवीजन में 15 दिन के अन्दर कम से कम 100 हत्यायें और 20-25 डकैतियां पड़ चुकी हैं। अगर ऐसा ही रहा तो वह तहस नहस कर देंगे। आज जनजीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिये खासतौर पर इस ओर आप ध्यान दें। इसी तरह एटा का क्षेत्र है तथा जहां से हमारे उपमुख्य मंत्री आते हैं। वहां पर रोजाना लूट हो रही है। आगरा रीजन में यह भारी संख्या में हो रहा है इसलिये सरकार इस तरफ ध्यान दे। इसके लिये मैं चाहता हूं कि वहां के विधायकों की संस्तुति के आधार पर पुलिस चौकियों का प्राविधान करे जिसके लिये बजट में प्राविधान होना चाहिये। मैं आग्रह करूंगा कि अगर वह चाहते है कि जनजीवन सुरक्षित हो और देहातों से लोग शहरो की तरफ न भागें क्यो कि आज वहां आदमी रह नहीं पा रहे है इसके लिए प्रबंध करें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां एक आगरा नहर है। इस सूखे का प्रभाव पूरे प्रदेश में रहा लेकिन आगरा नहर के हर क्षेत्र में पानी का संकट रहा क्यो कि उसी से आगरा को पानी मिलता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात मैं स्कूलों के संबंध में कहना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों को जब से आपने अपने हाथ में लिया आप विकेन्द्रीकरण की बात करते है लकिन विकेन्द्रीकरण शिक्षा का आपने कर दिया ट्रान्सफर आदि सब चीजों को डिस्ट्रिक बोर्ड से अपने हाथ में ले लिया है। तो तब से तमाम स्कूलों में टूटफूट हो गई है और अध्यापक और छात्र सुरक्षित नहीं है।

चौथी बात मै कहना जाहता हूं कि जो सड़के आपने बनाई वह बहुत बड़ा काम जनता पार्टी के राज्य में हुआ लेकिन आप उसको बरबाद कर देगें अगर उनको पक्की नहीं बनायेगें तो वह बरबाद हो जायेगी और पैसा जो खर्च किया है वह बेकार हो जायेगा। इसे नहीं करेंगे तो आप चले जायेगें और विधान सभा भंग हो जायेगी तो दूसरे लोग जैसे केन्द्र में आकर बैठ गये है यहां भी बैठ जायेगें। दल बदल से यह गवर्नमेंट चलने वाली नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप का समय समाप्त हुआ।

श्री हुक्म सिंह परिहार---

आपने मलखान सिंह जी को वहां बैठा दिया है यह अच्छी बात नहीं है। मै कहता हूं कि आप जरूर इस काम को करदें। अगर नहीं करायेंगें तो जनता पार्टी की जो उपलब्धि है जो आप की मूल पार्टी थी वह बेकार हो जायेंगी। इस लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इस तरफ ध्यान दें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं इस अनुपूरक बजट के संबंध में आपके माध्यम से मानीय सदन को बताना चाहता हूं कि बजट देश प्रदेश के उत्थान के लिए जो आज कार्य प्रणाली है, उसमें कोई अवरोध न पैदा हो, इसलिए दिया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस धन का बड़ा दुरुपयोग किया गया है। जो बजट 78 में सिचाई मंत्री ने हमारे क्षेत्र के लिए दिया था उससे हमारे क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसी प्रकार सन् 74 में स्कूलों की साज-सज्जा के हेतु तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने दो सौ रुपया का बजट दिया था जबकि हमारी सरकार ने प्राइमरी पाठशालाओं के लिए 3 सौ रुपया दिया है और जबकि गोरखपुर में 2 हजार ऐसे स्कूल हैं। इस प्रकार का पहले प्राप्त हुआ 2 लाख रुपये का बजट सीताराम श्रीवास्तव, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ले लिया है और उससे एक भी प्राईमरी पाठशाला के लड़कों के लिए टाट पट्टी या पानी पीने आदि के लिए बालटी आदि का क्रय नहीं किया गया है, किन्तु सारे के सारे फर्जी वावचर्स प्रस्तुत कर दिये गये है। दो लाख रुपया जो छोटे-छोटे बच्चों की सुविधा के लिए दिया था, वह व्यय नहीं किया गया है। श्रम के बदले अनाज की जो योजना है, उसमें कोई अधिकारी बेईमानी करके ले ले वह बात तो मेरी समझ में आ सकती है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा दिये गये धन के साथ जो बेईमानी करे उसे ट्रांसफर की कौन कहे, गोली मरवा देनी चाहिए। आप स्कूल्स खोलते जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप देखें कि हमारे क्षेत्र के बीसों गांवों में 15-15 वर्षों से स्कूल का कोई भवन नहीं है, तो ऐसे स्कूल खोलने से क्या लाभ है कि जिसका भवन ही नहीं है और अध्यापकों पर भारी धन खर्च किया जा रहा है। पांच रुपये की सुतली और 25 रुपये टी0 ए0, क्या खायेंगे अफसर और क्या खायंगे पी0ए0। हमारे जो अधिकारी हैं वह हमारे दिए हुए बजट का सदुपयोग करें, यह मेरी सरकार से जोरदार प्रार्थना है। पहले के शिक्षा मंत्री के द्वारा न तो मनमाने ढंग से अध्यापकों के ट्रांसफर किये जाते थे और नियमित होने पर न तो रोके जाते थे और न उनमें पैसा चलता था। आज यह सब चालू हो गया है।

इसके अलावा कमाण्ड एरिया में नहरों आदि के लिए कृषकों से जो जमीन ली गई थी, उस पर सिचाई विभाग की सुविधा दी जा रहीं है, लेकिन उस जमीन की उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत उस पर की वसूली किसानों से की जा रही है।

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल]

जिन तालाबों व नदियों में नहरों का पानी गिराया जाता है, उससे भारी पैमाने पर बाढ़ आती है। इसलिए जहां-जहां पर नहरों का पानी गिरता है, वहां-वहां पर उस पर यातायात की सुविधाएं या पुलिया आदि के निर्माण का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और जहां पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है, वहीं पर इंडस्ट्रीज खोली जाएं। यहां पर बीसों बार कहा गया, जो असिंचित एरिया है उसके बारे में यहां हजारों बार उत्तर दिया गया, लेकिन सवालों का गलत उत्तर अधिकारियों ने दिया है, वहां पर नलकूप दिये जाएं परन्तु शासन द्वारा विचार आज तक नहीं किया गया है कृपया मैं मान्यवर, आपके माध्यम से नलकूप लगाने की मांग करता हूं।

*श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह शिक्षा है और जिसकी इसमें उपेक्षा की गयी है। जिस प्रकार से जितना शरीर स्वस्थ होता है उतना ही मस्तिक भी स्वस्थ होता है, उसी प्रकार से जितनी अधिक शिक्षा होगी उतना ही प्रदेश का विकास होगा। जो कदम उठाये गये हैं उनमें शिक्षा विभाग की उपेक्षा की गयी है। इसलिए समाज में जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह समाप्त नहीं हो पा रहा है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। आपने मान्यवर, प्रारम्भिक पाठशालायें खोली हैं, लेकिन उनके जो भवन हैं उनकी व्यवस्था नहीं की है। जो पुराने भवन हैं वह जर्जरित हो गये हैं और बरसात में टपकते हैं। जिसका परिणाम यह होता है कि जब पानी बरसता है तो अध्यापक बच्चों को छुट्टी दे देते हैं और बच्चे अपना बस्ता लेकर घर चले जाते हैं। इस तरह की विद्यालयों की दुर्दशा है। मान्यवर, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे बच्चों की पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से चल सके।

मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में अनेक बार अनेक लोगो ने कहा है और सदन में उसकी चर्चा भी हुई है, उसी के फलस्वरूप जनता पार्टी की सरकार ने यह विचार किया था कि एक पूर्वान्चल विश्वविद्यालय अलग से बनाया जायेगा और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम नरेश य दव और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि पूर्वान्चल विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा.लेकिन न तो राज्यपाल के अभिभाषण में और न ही इस बजट में उसका कहीं पर जिक्र किया गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्दर जो गड़बड़ियां है उनको दूर करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। यही नहीं मान्यवर, आप देखें. उद्योग में भी काफी अपव्यय हो रहा है। उद्योग विभाग के कार्यालय सब कानपुर में है जिससे लखनऊ से कानपुर में सम्पर्क स्थापित करने में काफी पैसा खर्च होता है। खादी बोर्ड का आफिस भी कानपुर में था जिसे लखनऊ लाया गया है जिससे काफी मितव्ययता हुई है। सम्पर्क करने में 3–3 लाख रुपया खर्च होता है। इस प्रकार से कानपुर और लखनऊ में सम्पर्क बनाने में 40 लाख रुप खर्च होता है। इसको बनाने के लिए मेरा निवेदन है कि कानपुर के सारे कार्यालयों को लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया जाये। इसका भी जिक्र होना चाहिए था परन्तु नहीं है। पीरपुर हाउस को अलग से खरीद लिया गया है तो इन 40 लाख रुपयों की बचत हो सकती है।

मान्यवर, अब मैं सम्पर्क मार्गों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आज सूखे की स्थिति है, जो मजदूर हैं वह मजदूरी करके अपने पेट का पालन कर रहे हैं। आज जमीन नहीं मिल पा रही है। जो सूखे से प्रभावित क्षेत्र है उनको खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों को कम रखा गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर 20 फिट की सड़क थी वहां पर

---

*इस से भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

15 फिट कर दी जाये, जिससे पर्याप्त लोगों को काम मिल सके। मऊनाथ भंजन एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र है वहां पर बुनकर बहुत ज्यादा है और एक लाख की आबादी का यह नगर है और आजमगढ़ से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल के लिए कई बार जनता के लोगों ने अनशन भी किया है लेकिन वह बना नही। उसका इस बजट में भी कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। ऐसी परिस्थिति में मान्यवर, आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर जो चिकित्सालय है, उसका पुनर्निर्माण कराया जाय।

त्रिभाषा सूत्री फारमूले के अ दर जो उर्दू को स्थान दिया गया उससे संस्कृत भाषा के प्रति परोक्ष रूप से एक अन्य य किया गया इसके अतिरिक्त इस अनुपूरक अनुदान में उर्दू के विकास की भी व्यस्वथा होनी चाहिये थी, वह नहीं की गयी है, उर्दू के सम्यक विकास के लिये अनुपूरक अनुदानों द्वारा कदम उठाना चाहिये था लेकिन उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है।

श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने जिले की कुछ सार्वजनिक कठिनाइयों की ओर आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मान्यवर, मेरे जिले के अन्दर जहां तक सड़कों का संबंध है नगर में तो इस कदर टूटी पड़ी है कि आये दिन उन पर एक्सीडेन्टस होते रहते हैं। यही दशा वहां पर विद्युत की सप्लाई की है। जहां पर सायंकाल हुयी, बिजली आने का समय हुआ, वह गायब रहती है। अधिकारियों को आदेश तो कुछ निकलते हैं कि इस समय से इस समय तक बिजली मिलेगी और इस समय से नहीं मलगी लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत। विभाग के अधिकारी जब चाहते हैं बिजली गायब कर देते हैं।

मान्यवर, हमारे नगर में बहुत बड़ी मंडी है जहां पर लाखों का व्यापार होता है। और अंधेरे के कारण वहां पर डकैती का भय सदैव बना रहता है। वहां पर विद्युत विभाग के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के कारण गांवों में जो विद्युतीकरण की वर्ष 1977 78 की स्कीम्स बनी थीं, उनका आज तक कार्यान्वयन नहीं हो सका है। उन गांवों में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाती है। गांवों मे जो लोग प्रयास करते हैं उनके गांवों में विद्युतीकरण कर दिया जाय तो उनकी बात को कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती है। जो पैसा दे देते हैं उनके काम हो जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस विभाग की जांच करायी जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी दारुलशफा में कहीं पर स्विच बोर्ड ही खुला पड़ा है, कहीं पर पूरी लाइन ही खराब पड़ी है। मुझे डर है कि यहां पर भी किसी भी समय कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। लाइनों के तार खुले पड़े हुये हैं। बार बार लिखने पर भी कर्मचारियों का ध्यान उस ओर नहीं जाता है। सरकार को चाहिये कि वह तुरन्त सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भेज। इसी प्रकार से जहां गांवों में विद्युतीकरण का प्रश्न है, प्रायोरिटी देकर वहां का विद्युतीकरण कराया जाय।

जहां तक नालों की खुदाई का प्रश्न है मेरे जिले में कुछ स्थानों पर खुदाई का काम हुआ है लेकिन वह पूरा नहीं कराया गया है। उनके किनारे किनारे छील दिए गये हैं, तली में मिट्टी जमा हो गयी है। बार बार कहने पर भी वह नहीं निकाली गयी है। अधिकारियों को इस सम्बन्ध में भी तुरन्त आदेश दिये जायं जिससे वर्षाकालीन मौसम के पूर्व वहां पर स्थिति बिगड़ने न पाये।

शिक्षा की व्यवस्था के जहां तक सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा बहुत बातें कही गयी, मेरी भी प्रार्थना है कि उस ओर भी समुचित ध्यान दिया जाय। शिक्षा

[श्रीमती मालती शर्मा]

विभाग के अधिकारी जो मेरे जिले में जाते हैं, तुरन्त ही उसका स्थानान्तरण कर दिया जाता है, शिक्षक जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं, उनके वेतन पड़े हुए हैं, उनको समय पर वह नहीं मिल पाता है। इसलिए निवेदन करती हूं कि सार्वजनिक महत्व की जो समस्यायें हैं, उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान देकर, हल करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

(श्री रामकृष्ण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। कल श्री उपाध्यक्ष ने कहा था कि जो सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नहीं बोले हैं उनको इस बजट पर बोलने का समय दिया जायगा, क्या आप उन आदेशों का पालन करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

नहीं हो रहा है।

* श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, इस सरकार ने जो यह करोड़ों रुपयों का बजट रखा है यह बहुमत और पशुबल के बल पर पास भले ही करा लें पर प्रदेश की आम जनता को इससे कष्ट ही होगा। अभी कांग्रेस के लिये हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि 30 सालों में कांग्रेस ने नही कुछ नहीं किया और इससरकार ने ढ़ाई वर्ष में सब कुछ कर लिया, यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। पता नही एसा कहने वालो को क्या हो गया है। इस सरकार ने ढाई साल में जो कुछ कुकर्म किये है या कर्म किय है उसका फल अभी लोक सभा के चुनाव में प्रदेश की जनता नें दिया। इस अनुपूरक अनुदान में जो करोड़ों रुपयो का है, इसके द्वारा जनता के पैसों का दुरूपयोग होगा। इस सरकार, ने चाहे इसे लोकदल की सरकार कहा जाय या जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार कहा जाय, इसने अगर प्रशासन को ही सम्भाल लिया होता तो आज प्रदेशको ऐसी हालत नही होती। जो योजनायें कांग्रेस नें बनायी थी अगर उन्ही को इस सरकार ने पूरा कर लिया होता तो प्रदेश का काफी विकास हो जाता। प्रशासन तो ऐसा लगता है जसे आज इस प्रदेश में रह ही नही गया है। यह सरकार बस इंदिरा गांधी और संजय गांधी की ही चर्चा में हर वक्त लगी हुई है (व्यवधान) लेकिन इस सरकार का इधर कतई ध्यान नहीं है कि आज प्रदेश में क्या हो रहा है। इस प्रदेश के मिनिस्टरों न कभी माननीय सदस्यों की ऐसी गोष्ठी नही बुलाई कि जिसमें बैठकर यह तय करते कि कैसे प्रदेश की समस्याओं को हल किया जाय। कभी इस पर चिन्ता ही नही किया कि अगर प्रदेश में सड़के नही होगी तो यह गल्ला कैसे एक जगह से दूसरे जगह जायेगा। आज मिनिस्टर का दिमाग बिलकुल एकदम फुटबाल हो गया है। अधिकारी कहते है कि मैं क्या करूं। जो भी बजट यहां हर साल पेश हुआ इस सरकार ने उसका ठीक से उपयोग नही किया। आज भी बहुमत और पशुबल केबल पर यह जो बजट पास होनें जा रहा है इसका दुरुपयोग किया जायेगा

.... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री रामकृष्ण--

हमारे क्षेत्र बरसठी में 4 नदियां है बरना, बसुही, गड़ई तथा पुरवा नदी। इन पर सुबेरी गांधी घाट पर तथा राईपुर नयी बाजार पुलों परकी मांग बहुत दिनों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से की जा रही है। यहां पुलों का बनना बहुत आवश्यक है। मैंने कई बार लिख कर भी दिया है पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

जौनपुर में 9 अस्पताल हैं पर वहां डाक्टर नहीं है। इसके लिये भी मैंने लिखकर दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया बैठें।

श्री रामकृष्ण—

ऐसी दशा में यह बजट न पास किया जाय।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, लोकदल की सरकार ने जो इस वक्त जो काम किये हैं उन कामों को देखते हुए इन अनुपूरक मांगों को बहरहाल हमें पास करना है। जितने भयंकर अकाल का सामना इस साल प्रदेश को करना पड़ा वह अगर कहीं कांग्रेस शासन में आयी होती, तो हम यह समझ ते हैं कि इन्सान इन्सान हमलावर हो जाता, हाथ का दोना छीनकर सड़क पर खून खरा बा करते। लेकिन इस अकाल के जमाने में सम्पर्क मार्गों का जाल बिछा कर सरकार ने जनता को भूखों मरने से बचा लिया यह कहना कि पानी बरसेगा, मिट्टी बह जायेगी। अनाज का नुकशान होगा। लेकिन जब पानी बरसेगा, उससे पहले इन इन्सानों के पेट की भूख को मिटान का काम हो रहा है। और मैं यह समझता हूं कि बधाई की पात्र है यह सरकार जिसने सम्पर्क मार्ग का जाल बिछाया। गांवों को शहरों से जोड़ने का काम किया और भूखे इन्सानों तक गल्ला पहुंचाया साथ ही कुछ ऐसे भी फैसले किये हैं इस सरकार ने जो पुरानी कांग्रेसी सरकार के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है।

मान्यवर, इस प्रदेश में पहली बार उन कमेटियों की सिफारिशों पर अमल करने की बात हुई है जो जुबान के मसले पर तय करने के वास्ते कांग्रेस ने धोखा देने के लिए वक्तन ब वक्तन बनाया था और आज जिस शक्ल मे लागू किया जा रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूं कि इस बजट में शिक्षा के लिए जो अनुपूरक मांगें हैं, उनसे हमें भ्रम पैदा होता है। मालूम यह होता है कि शिक्षा मंत्री जी का जेहन साफ नहीं है और शिक्षा मंत्री ने कम पैसा रखे हैं, और जो उर्दू के फैलाने की बात कही गयी थी 19 दिसम्बर, 1979 को शायद उनके सामने उसको लागू करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि इस बजट में प्राविजन होना चाहिये था। उन मांगों का इसमें तजकिरा होना चाहिये था जिसके जरिये उर्दू के उस्ताद (टीचर्स) छठे से आठवें तक के लिए हर कालेज और स्कूल में रखने का इन्तजाम होता और टेस्ट बुक का भी इन्तजाम होता लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि दिसम्बर के महीने से जब एलेक्शन होने को था तो लोक दल की तरफ से, जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस (आई) की तरफ से इसी तरह का प्रचार होता था कि इस तरह से उर्दू को उत्तर प्रदेश में राइट दिया जायगा। लेकिन आज मैं देखता हूं कि हर बेंच पर, कहीं से खुले अलफाज में, कहीं से छिपे अलफाज में इस पालिसी की मुखालफत हो रही है। मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है, वह भी वायदा खिलाफी की शुरूआत है। मैं संस्कृत की मुखालिफत नहीं करता, वह भी एक जबान है। संस्कृत जिस तरह से आज पढ़ाई जा रही है, हिन्दी के साथ वह कम्पलसरी है। उसके नम्बर बढ़ा दिये गये हैं। अब कुल नम्बरों का 1/4 नम्बर संस्कृत का है। हर कालेज में जहां विद्यार्थी हिन्दी पढ़ेगा, वह वहां पर संस्कृत भी पढ़ेगा। इस पालिसी से यह फायदा होगा कि अब हर स्टूडेन्ट को अगर वह चाहे तो आधुनिक भाषा में उर्दू को पढ़ सकता है। ऐसी सूरत में मुझे कहना यह है कि इसका प्राविजन बजट मे होना चाहिये था कि इतना लाख रुपया उर्दू के टीचर्स की डिमान्ड के वास्ते रखा जा रहा है। इन अलफाज के साथ मैं इस अनुपूरक मांग का समर्थन करता हूं।

श्री राघव राम मिश्र —

माननीय अधिष्ठात महोदय, मुझे आपको यह तो धन्यवाद देना है कि आपने बोलने का मुझे अवसर दिया लेकिन आपने तुरन्त रोक लगा दिया कि केवल 5 मिनट बोलना है। मैं पहले माननीय सदस्य श्री फजलुल बारी साहब से यह कहना चाहूंगा कि वह उर्दू, संस्कृत, हिन्दी सभी भाषाओं का सम्मान करना सीखे। सभी भाषायें मान्यता प्राप्त हैं। अगर यह हिन्दुस्तान है तो यहां पर हिन्दी और संस्कृत रहेगी इसको फिर कोई भी चाहे फजलुल बारी साहब हों चाहे कोई हो, चाहे जैसा चुनाव स्टन्ट हो हिन्दी और संस्कृत हिन्दुस्तान से हटाई नहीं जा सकती है। मुझे एक बात अपने क्षेत्र के बारे में कहनी है, जिनको मैं दो ढाई साल से लगातार अपने क्षेत्र के विकास के लिये कहता आ रहा हूं लेकिन उस पर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मुझे यह भी कहना है कि श्री राम नरेश यादव सामने बैठे हैं।

मुझे एक बात का धन्यवाद देना है कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी तो हर क्षेत्र में सम्यक विकास किया जा रहा था। चाहे ट्यूबवेल्स खोलना हो चाहे स्कूल खोलना हो हर क्षेत्र में सम्यक रूप से कार्य किया जा रहा था जिससे सभी विधायक सन्तुष्ट थे। आज जबसे लोकदल की सरकार बनी है तबसे बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण से कार्य हो रहा है माननीय मंत्री लोग काफी संकुचित दृष्टिकोण से प्रदेश के प्रगति के लिये तत्पर हैं। मान्यवर, एक हायर सेकेन्डरी स्कूल ग्राम वैवाह ब्लाक मितौली में खोलने की बात है, मेरे क्षेत्र में सन् 72–73 से स्थायी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल है, इनको सन् 72 से स्थायी मान्यता प्राप्त है, आज तक उसको हायर सेकेन्डरी स्कूल की मान्यता नहीं प्राप्त हुई और न इन विद्यालयों को अनुदान दिया गया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह उदार दृष्टिकोण अपनावें और हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दें। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से कहना है हमारे यहां गोलागोकरण नाथ है जहां की आबादी 50 हजार से अधिक है और जहां के चिकित्सालय को यादव मंत्रिमंडल में राजकीय मान्यता मिली थी आज तक उसको अनुदान नहीं दिया जाता है। छोटे-छोटे स्थानों पर तो विकास किया गया जहां उनके आदमी थे जिनके ऊपर वह कृपापात्र थे वहां तो कुछ सुविधायें दी गई हैं और विकास हुआ है, लेकिन मेरा स्पष्ट आरोप है कि गोलागोकरण नाथ ऐसे स्थान पर यह विकास अवरुद्ध है।

हमारे यहां एक अधिशासी अधिकारी हैं, गोला गोकरण नाथ में। वह साल में 6 महीने छुट्टी पर रहते हैं 6 महीने जब काम पर रहते हैं तो उसमें भी 2–3 महीने सरकारी कार्य से बाहर रहते हैं। वहां पर पानी का भयंकर अकाल है। ट्यूबवेल मंजूर है, लेकिन ट्यूबवेल बन नहीं रहा है, वहां पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है। इसी तरह से गोलागोकरण नाथ से हरदोई मार्ग जो जाता है उस पर कठिना नदी है उसके ऊपर पुल बनाने के लिये 2 साल से कहा जा रहा है, यह मुख्य मार्ग है लेकिन पुल नहीं बनाया जा सका। मान्यवर, मितौली को तहसील बनाने की बात थी लेकिन आज तक नहीं बन सकी। तो मान्यवर, मेरा सभी मंत्रियों से अनुरोध है, कि यह सभी कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं और जिनके न होने से जनता को अत्यन्त कष्ट है। चाहे वह जिस क्षेत्र का हो, उसका विकास सम्यक् दृष्टि से अवश्य हो, जिस प्रकार से श्री राम नरेश यादव जब मुख्य मंत्री थे तो हर क्षेत्र में होता था। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग धीरज रखें, समय सबको दिया जायेगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला–गोरखपुर)—

मान्यवर, जो अनुपूरक अनुदान पेश किया है माननीय मंत्री जी ने। कभी-कभी इच्छा न रहते हुए भी कुछ काम तो करना ही पड़ता है। चाहते तो नहीं हैं कि पैसा आपको दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जावे। क्योंकि इस बीच जितना दुरुपयोग किया गया है आपकी इस सरकार द्वारा। उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रीमन् हमारे सामने यहां जितने लोग बैठे हैं भी यादव जी को छोड़कर, सब का मस्तिष्क शर्म से झुक जायेंगा। मान्यवर, लोकदल की सरकार ने पुराने कांग्रेसियों के पद-चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया है। राजनैतिक स्वार्थ, दलगत स्वार्थ, भाई-भतीजा बाजी इतनी बढ़ गयी है कि चपरासी से लेकर डिप्टी कलक्टर तक का ट्रांसफर यदि एक मिनिस्टर करता है तो उसी ट्रांसफर को दूसरा मंत्री कैंसिल कर देता है। लेकिन हकीकत यह है मान्यवर, कि इन लोगों ने जो ऐसे-वैसे काम किये हैं प्रशासन के नाम पर, वह हमलोगों को भी सुनने को मिल रहा है।

माननीय कृषि मंत्री जी जो यहां पर बैठे हैं। कलम उठाना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र की बड़ालाल मण्डी समिति के अध्यक्ष और मेम्बर आदि चुनने के लिए वित्त मंत्री जी ने एक लिस्ट दी थी। उसी से सम्बन्धित दूसरी सूची श्री लारी साहेब ने दी थी और मैंने भी एक सूची दी थी कि इन में अध्यक्ष और मेम्बरों का चुनाव करा लिया जाए। परन्तु मान्यवर, उस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया और किसी ने भी कुछ नहीं किया एक सामान्य लड़का वहां से यहां आया था और उसने पता नहीं किस तरीके से उन लोगों को नामीनेट करा लिया, जिन्हें हम लोग नहीं चाहते थे। इस लिये इस अवसर पर मैं यह मांग करता हूं कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हो और सही ढंग से नामीनेशन पुनः कराये जाएं।

(इस समय 3 बज कर 38 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं गन्ना विभाग के सम्बन्ध में। अभी कृषि मंत्री जी यहां बैठे थे। मैं उनसे निवेदन करना चाह रहा था कि जो पैसा उस विभाग को दिया गया था अब वह समाप्त हो गया है। वहां पर सामान खरीदने तक का पैसा शेष नहीं रहा यहां तक मोमबत्ती आदि खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहा। और आगे मुझे यह कि सूखे से सम्बन्धित जो राहत कार्य हुआ है। उसके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं मैं यह नहीं कहता कि कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम हुआ है परन्तु व्यापक रूप से जैसे होने चाहिये वह बात नहीं हुई है। इस लिए मेरा यह सुझाव है कि यह जो लोकदल की सरकार है, वह कुछ ही दिनों बाद जाने की कगार पर खड़ी हुई है। इसलिए जाते जाते कुछ कर गुजारिये ताकि लोग आपके जाने के बाद साल दो साल तक याद रक्खें।

अन्त में एक निवेदन और माननीय सिंचाई मंत्री जी से करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक पुल 'घुघली घाट-बैकुण्ठी घाट' पर "सिंगिल स्पैन" का बनना मंजूर हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं आप से अनुरोध करूंगा कि वहां पर ट्राफिक बहुत हैवी है इसलिए उस पुल को "डबल स्पैन" का बनना चाहिये अन्यथा वह पुल बेकार हो जायेगा।

बिहार में सारे समाजवादी विधायकों ने इस्तीफा दिया था। आज अगर आप 72 लोग इस्तीफा दें तो मैं 73वां व्यक्ति हूंगा। है हिम्मत इस्तीफा देने की। हिम्मत नहीं है। 1967 से आज तक जब कांग्रेस विभाजित नहीं थी, तब भी कभी कांग्रेस नहीं जीती। यह राजनीतिक सवाल है। यह इस देश में संविधान चलेगा या नहीं, संघीय व्यवस्था चलेगी या नहीं। आप चाहते हैं कि करल की पुनरावृत्ति यहां भी हो तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। आप नहीं हैं, अगर आप तैयार हों तो मंजूर साहब आप माननीय उपाध्यक्ष के पास इस्तीफा पेश करें कि हम उस विधान सभा में नहीं बैठेंगे जिसे जनादेश नहीं प्राप्त है।

दो-एक निवेदन और करना चाहता हूं। एक विवाद खड़ा हुआ है उर्दू और संस्कृत में। हमारी मादरी जबान उर्दू है। लेकिन जिस तरह से एक नया मामला खड़ा किया गया है मैं विनम्रता पूर्वक शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उर्दू को जितना चाहें प्रोत्साहन

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
दें, हम तैयार हैं। हम लोगों की पहले भी मांग थी कि उर्दू को प्रदेश की दूसरी भाषा बनायें लेकिन संस्कृत हटाओ–उर्दू लाओ, यह केवल चुनाव का स्टंट था। उर्दू के नाम पर नियत साफ नहीं है। नीति साफ नहीं है। तरह-तरह के मामले में नीति और नियत दोनों साफ रहनी चाहिए। यहां पर मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि एक-दूसरी भाषाओं को लड़ाने का काम न करें और अगर वास्तव में उर्दू का विकास करना चाहते हैं तो इस संबंध में बजट में प्राविजन होना चाहिये था।

सुन्दरीकरण के नाम पर जो यह तमाम पैसा खर्च किया जा रहा है यू0 पी0 निवास में, नैनीताल में, आज भी प्रदेश में 60 फीसदी स्कूल ऐसे हैं जहां छत नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है। यह जो सुपर-फ्लूक्स खर्चा दिया है, सुन्दरीकरण के नाम पर उसको प्राइमरी स्कूल जो पीपल के पेड़ के नीचे कड़ाके की धूप में बच्चे पढ़ते हैं, दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वित्त मंत्री जी, आप कितना समय लेंगे ? कई माननीय सदस्य रह गये हैं जो कल भी नहीं बोले हैं। तो 5-5 मिनट में दे दूं।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

आधा घंटा लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

तो फिर आप 4 बजे के बाद बोलियेगा। श्री श्याम सुन्दर गुप्त....

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आप मुझे एक मिनट का अवसर दें....

श्री उपाध्यक्ष—

आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोले थे तो अब आप न बोलें।

श्री मान सिंह आजाद—

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सारे लोगों को.....

(व्यवधान)

आप इंगित करना चाहें तो कर सकते हैं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री मान सिंह आजाद—

अगर आपने किसी को न बोलने दिया होता तो.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इंगित तभी करता हूं जब कोई बहुत परेशान करता है। अब आप बैठिये।

(श्री श्याम सुन्दर गुप्त से)—

आप कृपया 5 मिनट से अधिक न लें। मैंने समय निश्चित कर दिया है, मैं चाहता हूं कि 5 मिनट से अधिक समय कोई न ले।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

लेकिन इस व्यवधान का समय मेरे समय में न जोड़ा जाये ।

बिक्रीकर—न्यायाधिकरण के सम्बन्ध में जो अनुदान संख्या 6 की मांग है, मेरी समझ में नहीं आता कि न्यायाधिकरण बन रहे हैं तो न्ययाधीशों की नियुक्ति के लिये तो आपको पैसा चाहिय किन्तु 247 नये पद सृजित करके अलग से क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर की नियुक्ति की क्या आवश्यकता है । जब कि इतने ही पुनरीक्षण न्यायालय प्रदेश में मौजूद थे जो टूट रहे हैं और उनका सारा स्टाफ मौजूद है । आप क्यों यह मांग स्वीकार करा रहे हैं । क्यों यह सारा खर्चा बढ़ा रहे हैं ? अनुदान संख्या 21 के लिये 15 लाख 60 हजार रुपया मांगा गया है । सन् 1971 में जो सनिक मारे गये थे उनकी विधवाओं के लिये आवास की सुविधा दी जा रही है । एक ओर वित्त मन्त्री जी 20 लाख रुपया हेलीकैप्टर की मरम्मत के लिये नकद मांग रहे हैं । सैनिकों की विधवाओं के लिये 5 हजार रुपया प्रति पात्र के लिये मांगा गया है । जो रुपया उन्हें नकद नहीं दिया जायेगा बल्कि उससे वह 5 साल, 7 साल की एन0 एस0 सी0 खरीद कर दी जायेगी, उसके व्याज से उन्हें आवासीय सुविधा दी जायेगी । 5 हजार रुपये के व्याज से उन्हें भवनों की क्या सुविधा दी जायेगी ? मैं समझता हूं कि इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय तो मांग में बल आ जायगा और सैनिक विधवाओं को नकद आवासीय सुविधा दी जाय ।

पर्वतीय अंचलों के लिये मांग की गयी है, मुझे आपत्ति है कि यह सरकार पर्वतीय क्षेत्रों को ही पिछड़ा हुआ मानती है इसलिये उसके लिये अलग से मन्त्रालय बना दिया गया । उसकी नजर में प्रदेश का कोई भी अन्य क्षेत्र पिछड़ा हुआ नहीं है । यही कारण है बुन्देलखण्ड का इसम कोई जिक्र नहीं है । आपने अनुदानों की मांग के अन्तर्गत पर्वतीय विकास के लिये अपन अपन मदों में मांग की लेकिन बुन्देलखण्ड के लिये आपने कोई मांग नहीं की है । चमोली में सत्र न्यायालय के भवन निर्माण के लिये रुपया मांगा गया है परन्तु जालौन म मुन्सिफ न्यायालय के लिये भवन निर्माण हेतु पैसे की व्यवस्था नहीं की जा सकती । यह उचित नहीं है । पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिये 46 लाख रुपये की मांग की जा रही है किन्तु जालौन नगर के बीच से बहने वाले जिस गन्दे नाले ने आधे नगर को स्लम बना रखा है उसे धनाभाव के कारण नही बनाया जा रहा है इसकी ओर भी ध्यान दें । बुन्देलखण्ड के पिछड़े क्षेत्रों के लिये 1 रुपये की भी मांग नहीं की गयी है और पर्वतीय विकास के लिये आपके पास पैसा है । मैं पर्वतीय क्षेत्र से ईर्ष्या नहीं करता, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जरूर हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अभी पर्वतीय विकास मंत्री जी हमारे क्षेत्र में गये थे । उन्होंने दो सभाओं में यह कहा कि मुझे यह समझ में आ रहा है कि बुन्देलखण्ड के विधायक क्यों बुन्देलखण्ड के विकास के लिये मांग करते हैं, क्यों बुन्देलखण्ड को पिछड़ा हुआ बताते हैं । इतने दिनों में क्या एक दिन भी उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में यह कहा । जो बात उन्होंने उरई में कहा विधान सभा में कही । मंत्रिमण्ड़ल के सदस्यों को बतायें कि बुन्देलखण्ड पिछड़ा हुआ है । पर्वतीय विकास मन्त्रालय बन सकता है तो ऐसा क्या है कि बुन्देलख ण्ड क्षेत्र के लिये अलग से मन्त्रालय की स्थापना न कर दी जाये अगर ऐसा हो सके तो वास्तव में यह माना जायगा कि आप पिछड़े क्षेत्रों का कुछ विकास करना चाहते हैं । आपने पर्वतीय विकास मन्त्रालय बना दिया है क्योंकि वहां के 2–2 मुख्य मंत्री हुए हैं तो क्या हम मांग करें कि बुन्देलखण्ड का कोई मुख्य मन्त्री बनाया जाय या जो बुन्देलखण्ड को अलग प्रान्त बनाने की मांग की जा रही है उसका हम समर्थन करने लग जायें । लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह कोई बंटवारा किया जाय हमको अपने को पिछड़ा हुआ कहने में शर्म आती है । लेकिन सड़कों के मामले में, शिक्षा, आवागमन, पुलो के मामले में हम पिछड़े हुए हैं । मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय कहा था कि आज तक सारे जनपद में एक भी लड़कियों के लिये डिग्री कालेज नहीं खोला जा सका । प्रदेश में 5–5 राजकीय डिग्री कालेजों की स्थापना हुई लेकिन बुन्देलखण्ड में एक भी स्थापित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जैसे माननीय सदस्यों ने कहा था कि सारे प्रदेश को एक दृष्टि से देखा जाय, जो पिछड़े हैं उनको विशेष सुविधा देने की व्यवस्था करें तभी यह सरकार कल्याणकारी सरकार मानी जायगी अन्यथा यह माना जायगा कि खाने और दिखाने के दांत अलग-अलग हैं ।

एक सदस्य—

मान्यवर, हमको भी मौका मिलना चाहिये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपका कहना है कि बुन्देलखण्ड को कोई पूछ नहीं रहा है । यह जो मुख्य मन्त्री का वक्तव्य बांदा जिले के बारे में है इसमें जो नाम हैं, चंहला, विजइया, सिधुवा, पहले अपन नाम बदलने की कोशिश करिये और सरकार से लड़िये तब जाकर मिलेगा ।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सरकार जो है इससे कहना चाहता हूं कि इनका प्रशासन बहुत ढीला चल रहा है । कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा है । कोई अधिकारी इनकी बात सुन नहीं रहा है । हमारे जिले फतेहपुर, जिसके उत्तर में गंगा और दक्खन में जमुना और पश्चिम में कानपुर और पूरब में इलाहाबाद है । हमारा जिला बहुत पिछड़ा है । न वहां सड़कें हैं और न सिचाई के साधन हैं । वर्षा हुई है, खेत बो दिये गये हैं लेकिन सिंचाई के साधन नहीं हैं । हमारे क्षेत्र की जनता भूखों मर रही है । शाता गांव 20 हजार की आबादी का गांव है लेकिन वहां पर कोई अस्पताल नहीं है । जमुना नदी पर पीपों का पुल बनवाने के बारे में रामनरेश यादव जी ने वादा किया था लेकिन पुल आज तक नहीं बना है । कोठ में 20 हजार की आबादी है, बीच में नदी है, लेकिन आने-जाने के साधन नहीं हैं ।

आप इन्दिरा गांधी से टक्कर करते हैं । देहातों में जाइये जनता इन्दिरा गांधी को याद करती है । उनके जमाने में गरीब अपने दरवाजे पर सो सकता था । गरीबों की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता था, आपके जमाने में जमीन पर कब्जा नहीं दिलवाया गया । तो यह सरकार रहने के काबिल नहीं है इसको इस्तीफा दे देना चाहिये । कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मानता है, काम नहीं करता है । सबसे बड़ी चीज जानमाल की सुरक्षा है । जो सरकार जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकती उसको इस्तीफा दे देना चाहिये । जो ट्यूबवेल बनवाये गये हैं उनमें लाइन तो बिछायी गयी लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं । यदि इनको कनेक्शन दे दिया जाय तो सिंचाई हो सकती है । हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिले फतेहपुर गये थे और अस्पताल का उद्घाटन कर आये हैं । जब मैं डिप्टी मिनिस्टर था तो मैंने वहां के लिये एक गाड़ी दिया था । लेकिन सुनने को मिला कि वह गाड़ी वापस की जा रही है । भला कोई चीज देकर वापस की जाती है । अगर वह गाड़ी वापस की गयी तो पूरे जिले के लोग नाराज हो जायेंगे ।

सरकार भंग होने जा रही है । तो क्या मुंह लेकर जायेंगे ? इस कारण से, कोई भी हो, तेजी से प्रगति करनी चाहिए और जानमाल की सुरक्षा करनी चाहिए । इंदिरा से टक्कर लेते हो ? बड़े-बड़े डकैत, बड़े-बड़े बदमाश थर्रा गये थे । बड़े-बड़े नेता सब जेल चले गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

थे। सब जेल में सड़ रहे थे। इस कारण जनता इंदिरा की प्रशंसा और याद करती है। इंदिरा गांधी की क्या बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी के बराबर काम कर सकते हैं? इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री है। पूरे देश का दौरा करेंगी। कहते हैं कि इंदिरा गांधी नरायनपुर जा रही हैं। जहां इच्छा होगी वहां इंदिरा गांधी जायेंगी।

(श्री ओम प्रकाश का नाम पुकारे जाने तथा श्री जागेश्वर के बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें। आप खत्म कीजिये।

श्री जागेश्वर--

लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं। आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं मेरे क्षेत्र की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं। आपको पांच मिनट समय दिया गया।

श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप जो व्यवस्था का प्रश्न उठाने जा रहे हैं मैं जानता हूं। आप रूलिंग पार्टी के हैं। आपका व्यवस्था का प्रश्न है कि आपको मौका दें। उधर बोलने वाले ज्यादा हैं। जहां ज्यादा उत्सुकता होती है, समय देना पड़ता है।

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अनुपूरक बजट की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस पूरे बजट में घटकवाद किया जा रहा है। सब कामों में घटकवाद और बजट में भी घटकवाद है। जिन जिलों में कोई अस्पताल नहीं, सड़क नहीं उसकी कोई चर्चा नहीं। बस्ती जिले में मेरा क्षेत्र है, जहां पिछले तीस वर्षों में एक इंच सड़क और एक भी पुल नहीं बना। टिनिच दुबौलिया मार्ग पर रवई तथा मनवर नदी पर केवल काठ के पुल की चर्चा चल रही है। बराबर आश्वासन दिया जाता है। लेकिन काठ तक का पुल नहीं बन रहा है। पिछले तीन वर्षों में कोई काम नहीं हुआ है। कुवानों नदी पर मूड़घाट है जहां पर प्रति-दिन चार-पांच हजार आदमी उतरते हैं वहां पर ठेकेदार एक रुपया फी आदमी मल्लाही वसूल करता है। वहां वर्षों से पुल बनने की बात कही जा रही है लेकिन आज तक व्यवस्था नहीं की गयी। मूड़घाट का पुल बहुत आवश्यकीय है। बस्ती शहर से मिला हुआ है। उसकी कहीं पर चर्चा नहीं है।

बाघरा नदी के कटान को रोकने के लिए वर्षों से तमाम अवरोध का काम चल रहा था। 22 अवरोध पास हुए थे। उनको टी0ए0सी0 स निहित स्वार्थ वालों ने बन्द करवा दिया जिससे सैकड़ों गांवों के नदी के चपेट में चले जाने का खतरा पैदा हो गया है। मैं सरकार से चाहता हूं कि इन अवरोधों को जो बन्द किये गये हैं, तत्काल चालू करें। सैकड़ों गांव जो खतरे में पड़े हैं, उनको बचाया जाय।

अस्पताल खोलने में भी घटकवाद किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बराबर वादा किया कि मेरे क्षेत्र में एक अस्पताल चिलमा बाजार में खोला जायगा। जिला मुख्य चिकित्सा-अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गयी। लेकिन कोई अस्पताल नहीं दिया गया। जो विधायक घटक

[श्री ओम प्रकाश]

के हैं उनको मनमाने अस्पताल दे दिये। लेकिन मेरे क्षेत्र में एक अस्पताल नहीं दिया गया। इसी तरह से बस्ती जिले के डी0सी0यू0 के जो अधिशासी अभियन्ता हैं, दो-दो महीने से भूमिगत हैं। पता नहीं कहां हैं। उनका बस्ती में दो महीने से पता नहीं है। सारा काम ठप है। एक भी सड़क के लिए बस्ती जिले में कार्यवाही नहीं की गयी। डी0सी0यू0 के अन्तर्गत सारा काम ठप्प है। सरकार को लिखा गया लेकिन आज तक उनका पता नहीं है, कहीं मर्डर हो गया है या क्या हो गया कोई पता नहीं है। शासन को कोई जानकारी नहीं है कि श्री सिन्हा अधिशासी अभियन्ता कहां है।

मैं कहना चाहता हूं कि सारे काम इस तरह से चौपट हो रहे हैं। कोई प्रशासन जैसी चीज नहीं है, लाखों रुपयों की लूट हो रही है। बस्ती जिले में दौरा ब्लाक के बी0डी0ओ0 ने छः महीने में 20 लाख रुपये का घोटाला किया है, खाद्यान्न योजना में स्थानीय विकास योजना में अन्त्योदय योजना में तमाम घोटाले हुए हैं, सड़कें बनी नहीं हैं...

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश---

पचास हजार का भुगतान किया गया है। उनके खिलाफ...

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)---

अपनी बात रखने से पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर से ही सही आपने मुझे बोलने का अवसर तो दिया।

मान्यवर, जब बजट प्रस्तुत होता है, पारित होता है तो एक भावना रहती है कि किस तरह से पैसा हमारे प्रदेश के विकास में खर्च हो लेकिन हृदय को बड़ा आघात लगता है जब हमारे समर्थन से जो कुछ हम स्वीकृत करना चाहते हैं स्वीकृत होता है लेकिन प्रदेश के सर्वांगीण विकास में खर्च न होकर मनमाने तरीके से, मंत्रियों की इच्छा से, कुछ क्षेत्रवार आधार पर, कुछ घटकवाद के आधार पर, कुछ जातिवाद के आधार पर, वह खर्च होता है। यह सबसे बड़ी दुर्दशा का विषय है कि इतना नंगा नाच जातिवाद का कभी नहीं हुआ जितना इस समय हो रहा है। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं इसलिए कि महर्षि दयानन्द के चरणों में बैठा हूं। यह भावना रही है कि समाज का यह अंग बराबर है। लेकिन आज उस पिछड़ी जाति में विशेषतौर से असंतोष व्याप्त है। कहा तो जाता है पिछड़ी जाति के नाम पर सुविधा देने की बात मगर केवल एक जाति विशेष लाभान्वित हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों की बात करते है तो समदृष्टि रखिये तभी अन्त्योदय की कल्पना साकार होगी।

मैं फर्रुखाबाद से आता हूं जिसे एक विशेष संज्ञा से विभूषित किया जाता है। यह कहते हैं कि क्रिमिनल्स (व्यवधान) म पूछना चाहता हूं कि अपराधों को कम करने के लिये क्या योजना लागू की गई है। वहां पर कभी कोई उद्योग-धंधा चालू किया जिससे जिन लोगों को रोजी रोटी नहीं मिलती वे अपना पेट पाल कर अपराधी शक्तियों से दूर रह सकें।

फर्रुखाबाद में आलू उत्पादित होता है और प्रदेश का ही नहीं देश का मुख्य आलू उत्पादन केन्द्र है। लेकिन हालत क्या है। वहां पर न रेलवे वैगन मिलते हैं, न कोल्ड स्टोरेज का प्रबन्ध है क्योंकि बिजली नहीं मिलती, आलू को बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि रेलवे वैगन तो मिलते नहीं साथ ही डीजल न मिलने के कारण ट्रक भी नहीं मिल रहे हैं।

किसानों की एक ही खेती आलू है। किसान उसे बेच सकता है और न अपने यहां रख ही सकता है क्योंकि न ट्रांसपोर्ट की सुविधा है और न कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली की सुविधा है। विद्युत मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी सदन को अपने उत्तर में यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि प्रदेश में जितने कास्तकार हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जायगी क्यों के आलू एक एग्रीकल्चरल बेस्ट इण्डस्ट्री है।

फर्रुखाबाद के साथ और भी अन्याय हुआ है। यह जनपद छपाई के लिए दुनिया में विख्यात है। मुरादाबाद में कलई के बर्तन बनाने वाले, पीतल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को पुरस्कृत किया गया है लेकिन फर्रुखाबाद के मजदूरों को प्रोत्साहन के तौर पर पुरष्कृत नहीं किया गया, कोई योजना चालू नहीं की गई ....।

(श्री बाबूराम वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री बाबूराम वर्मा, आप बैठे।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

वहां पर कोई वैज्ञानिक विद्यालय न कोई पोली टेक्निक स्कूल है और विज्ञान के वर्तमान युग में विज्ञान की कितनी महती आवश्यकता है इसे कोई नकार नहीं सकता। पर्वतीय क्षेत्रों के 8 जिलों के लिये शिक्षा का जितना बजट रखा गया है उतना पूरे प्रदेश के 40 जिलों के लिये शायद रखा गया है। हमारे फर्रुखाबाद की समस्याओं में गंगा के कटाव की एक समस्या है। पिछले सत्र में सिंचाई मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिय था कि गंगा के किनारे पर बसे हुए राजेपुर ब्लाक को कटने से बचाने के लिये व्यवस्था करेंगे। एक वर्ष में वहां 10 करोड़ रुपये की हानि होती है। हजारों बीघा उपजाऊ भूमि वहां की कट जाती है। उसको गंगा की धारा में विलीन होने से बचाया जाय। उसके लिये काम प्रारम्भ हुआ लेकिन वह योजना खटाई में डाल दी गयी। इसलिये में सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गंगा पार का जो एरिया है उसको बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये प्रभावी बाढ़ नियंत्रण योजना लागू करें। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

*श्री बाबू राम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम को उर्वरक के व्यापार हेतु अल्पकालीन ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया है। यह ऋण एग्रो कारपोरेशन को 8 प्रतिशत सूद पर तथा हार्टिकल्चर को 9 प्रतिशत सूद पर दिया गया है। भारत सरकार इस ऋण पर 5 प्रतिशत सूद लेती है। हरियाणा तथा पंजाब की सरकारें जब निगमों को ऋण देती हैं तो सवा 6 परसेंट सूद की दर होती है। उत्तर प्रदेश में भी पी0 सी0 एफ0 को जो ऋण दिया जाता है उसके सूद की दर है सवा 6 परसेंट लेकिन यहां एग्रो तथा हार्टिकल्चर को यह ऋण 8 तथा 9 प्रतिशत की दर पर दिया जा रहा है। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों के हित के लिये ही एग्रो की स्थापना हुई है उनको खाद तथा बीज देने के लिये। इसलिये सरकार ऋण की दर घटाकर पंजाब तथा हरियाणा की तरह सस्ता कर दें। इस ओर कृषि मंत्री तथा वित्त मन्त्री विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने जो ऋण किसानों के हित के लिये दिया है उस पर प्रदेशीय सरकार द्वारा लाभ कमाना उचित नहीं है।

दूसरे उर्दू के मामले में बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि संस्कृत को हटा कर उर्दू लाई जा रही है। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। संस्कृत भारत की सभी भाषाओं की जननी है। हिन्दी के साथ 25 प्रतिशत अंक संस्कृत के अनिवार्य रूप से जुड़े रहते हैं इसलिये संस्कृत के हटाने का सवाल ही नहीं होता है। हां, संस्कृत के नाम पर उर्दू के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू राम वर्मा]

दुर्व्यवहार करने की बात अवश्य है। भारत की 14 भाषाओं में किसी एक विशेष भाषा में शिक्षा दी जा सकती है, उर्दू भी उन भाषाओं में एक है जैसे बंगला, मराठी, तेलगू, तामिल तथा मलयालम को सीख सकता है उसी तरह से उर्दू भी त्रिसूत्री भाषा में एक भाषा है ।यह केवल उर्दू की ही मिसाल नहीं है। संस्कृत के मामले को उठाकर आज प्रदेश का वातावरण को दूषित किया जा रहा है। जिस तरह से उर्दू की घोषणा हुई है उसी तरह स उसको सही स्थान देने के लिये उसे तत्काल शुरू भी होना चाहिये। जैसा कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि उर्दू के शिक्षकों को रखने के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। यह अगले बजट में आयेगा और चूंकि यह योजना अगले जुलाई से लागू होगी इसलिये उस समय बजट की भी व्यवस्था की जायेगी। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार उर्दू के अध्यापकों को रखने के लिये आगे के बजट में प्राविधान करगी। एक तर्क यह दिया जाता है कि संस्कृत को हटा देने से उसके अध्यापक हटा दिये जायेगें। यह बात उचित तर्क के साथ नहीं उठायी जाती है। जब हर बच्चे को संस्कृत पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाये तो उसके लिये एक अध्यापक की जरूरत होगी। जैसे-जैसे छात्रों की संख्या बढ़ेगी वैसे-वैसे अध्यापकों की संख्या भी बढ़ेगी। मै अन्त में सरकार से पुनः अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार द्वारा जो ऋण दिया गया है उस पर मुनाफा अर्जित करने का इरादा सरकार को छोड़ देना चाहिये। अन्त में मैं अनुपूरक अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। मान्यवर, इस तरह के बजट हम 30 साल से कांग्रेस के, 2 साल से जनता के और 6 महीने से इस लोकदल की सरकार को देखकर आये हैं। बजट बनाये जाते हैं लेकिन यह देखा जाना चाहिये कि उस बजट में दी गई धनराशि का ठीक से उपयोग हुआ है अथवा नहीं। यह बात सही है कि अन्त्योदय स्कीम के अन्तर्गत एक हजार रुपया लेकर पांच हजार रुपया दिया जाता है। स्थानीय विकास योजना में 1 हजार रुपया बी0डी0ओ0 लेता है और तब पांच हजार रुपया मिल पाता है। लाखों लाख रुपया सड़क बनाने के काम में कमा लेते हैं और समय पर मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी जाती है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। आज मंत्री लोग अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। उनके विभाग में गरीब किसान का दुख दर्द नहीं है। बजट बनाया जाता है, खर्च हो जाता है। जैसे कांग्रेस बनाती थी आप भी बनाते हैं और उसी तरह से खर्च कर देंगे। अभी हमारे जागेश्वर जी बोल रहे थे और वे भी मंत्री थे, कैसे हटाये गये। आज 35 प्रतिशत से कांगेस जीत गई और पार्लियामेंट में आ गई। मैं कहता हूं कि आगे की लड़ाई सबको सबक सिखायेगी। यह असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। इंदिरा जी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। जिस प्रदेश का प्रशासन ऐसा होगा उसके अधिकारी भी वैसे ही होंगे। इस तरह से ,पूरे प्रदेश की स्थिति डांवाडोल है। ऐसी स्थिति में प्रदेश को और उसकी जनता को राहत देने के बजाय उसके साथ विश्वासघात किया गया है। बान गंगा, बूढ़ी राप्ती, जमवार और राप्ती आदि नदियों ने गांव के गांव काट दिये हैं। सरकार ने उनको बचाने के लिये आजतक कोई प्रबन्ध नहीं किया है। प्रदेश के भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री बलवीर सिंह को हमने 38 गांवों की एक सूची दी थी जो कि इन नदियों के कटाव के चपेट में आ गये थे लेकिन कोई उचित प्रबन्ध उसको रोकने के लिये नहीं किया गया। सिंचाई विभाग ने उसके लिये स्वीकृति नहीं दी। बानगंगा नहर सूख गई, उसम पानी नहीं आता है। इस कांग्रसी हत्यारी सरकार ने इमरजेन्सी में 4 रुपये के लगान को 18 रुपया कर दिया है....

श्री उपाध्यक्ष—

"हत्यारा" शब्द संसदीय नहीं है।

श्री शिवलाल मित्तल—

यह नहर "सी" क्लास नहर है। इसे भी राजेन्द्र सिंह जी जो कि एक किसान के बेटे हैं, वापस नहीं ले पाये हैं। वहां आज तक कोई सुविधा किसानों को नहीं दी गई है। उसे 4 रु0 के लगान को बढ़ाकर 18 रु0 कर दिया। हमारे सिंचाई मंत्री राजेन्द्र सिंह हैं लेकिन उनके जमाने में भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और वह लगान को जो बढ़ी हुई दर है उसे वापस नहीं ले रहे हैं। जबकि नहर से गांवों में जो कटाव हो रहा है उसको रोकने का भी कोई प्रबन्ध आप नहीं कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बूढ़ी राप्ती के उत्तर में 10 मील के एरिया में जनता को बाढ़ से खतरा बना है उसमें 10 हजार आदमियों की जान को खतरा है लेकिन उसका सर्वे करा कर उनकी जान बचाने का प्रबन्ध राजेन्द्र सिंह जी ने नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। इसके बाद मानसिंह आजाद जी का अन्तिम भाषण होगा जो केवल दो मिनट का होगा।

***श्री मानसिंह आजाद—**

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने यह अनुपूरक बजट को देखा है और बहुत पढ़ा है और आप कहें तो मैं इसे जोर से पढ़ देता हूं। मुझको एक बात कहनी है यह जो जनता पार्टी ने रखा था वही है। लेकिन एक बात कहूंगा कि आप समाजवादी हो गांव की ओर चलने की बात करते हो लेकिन टाऊन एरियाज में स्वच्छ जल की कोई व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हैं। टंकियों की सफाई का कोई इंतजाम आज नहीं है।

दूसरी बात मुझे पुलिस के बारे में कहनी है। पुलिस की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपने पैसा कम खर्च किया है। इसी तरह हरिजनों और मुसलमानों के नाम पर आज हिन्दुस्तान में राजनीति की जाती है। हरिजनों के लिए भी आपने बहुत कम पैसा दिया है। यह लोहिया जी क साथ कुठाराघात हो रहा है। उनकी हालत आज अच्छी नहीं है उसके लिए आप ज्यादा पैसा बढ़ायें। इसी तरह से प्रेस वालों का भी टूटा-फूटा हाल है। उनके लिए आपने कोई अच्छा क्लब नहीं बनाया है। आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 के लिये आपने क्लब खोल दिया है। हिन्दुस्तान में यह पुरानी प्रथा रही है उस जमाने में जो आई0सी0एस0, आई0ए0एस0 हैं उसी तरह आज भी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि असफाक उल्ला ने इनके लिये क्या कहा था कि मैं फांसी का फंदा चूम रहा हूं लेकिन आप इन्हें ठुकरा दें। हिन्दुस्तान में जैसे राजा महाराजा थे वैसे ही आज यह हैं। जनता पार्टी ने जो काम शुरू किया था उसे आज यह नहीं होने देना चाहते हैं। वह कांग्रेस पार्टी के झंडे में समा गये हैं....

श्री श्यामधर मिश्र—

कौन-सी कांग्रेस के।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मानसिंह आजाद--

आई कांग्रेस के। तो इस तानाशाही हुकूमत को हिन्दुस्तान के नौजवान और प्रेस वाले उसी तलवार से खत्म कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रेस वालों को एड्रेस न करें। यह उचित नहीं है।

श्री मानसिंह आजाद--

मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के नौजवान, विधान सभा में मैं ऐलान करता हूं कि झंडा लेकर आगे आयेंगे और देश की रक्षा करेंगे। इतनी बात कह कर मैं बैठ रहा हूं।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं उन सभी लोगों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने अनुपूरक बजट पर आलोचना की और अपने सुझाव भी दिये। जिन्होंने जैसा मानसिंह जी ने, इसको बहुत पढ़ा है...

श्री देवबहादुर सिंह--

दोनों ने ही मानसिंह जी ने और वित्त मंत्री जी ने इसे बहुत पढ़ा है।

श्री मधुकर दिघे--

जब बराबर का मामला है तो उनकी बात का जवाब नहीं दूंगा और जो कुछ लोग बिलकुल नहीं पढ़े हैं उनका भी जवाब नहीं दूंगा। जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनका जवाब दूंगा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कुछ आवश्यक बातें बताना अपना कर्तव्य मानकर इस सदन में अपनी बात रखूंगा। मान्यवर, जो संपूर्ण अनुपूरक अनुदान मैंने प्रस्तुत किया है वह 78.14 करोड़ रुपये का है। इसमें 29.09 करोड़ रुपए आयोजनेतर पक्ष में है और 49.05 रुपये आयोजनागत पक्ष के लिए हैं। इसमें सबसे पहले मैं देवबहादुर जी की बात लूंगा, चूंकि उन्होंने ऐसे प्रश्न को उठा दिया, जिससे प्रदेश की जनता के दिमाग में गलतफहमी हो सकती है। उन्होंने कुछ आंकड़े पढ़ते हुए, मालूम पड़ता है कि सम्पूर्ण पन्ने नहीं पलटे, और जो बात कही उससे ऐसा लगता है कि सूखे से सम्बन्धित केवल 4-5 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। किन्तु इसमें 29.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये रखी गयी है। इसके अलावा भी इसमें 12 करोड़ रुपया और दिया है, वह भी ऐसे कामों के लिये दिया है, जिससे इस भयंकर सूखे के समय लोगों को राहत पहुंच सकती थी। यह सम्पूर्ण बजट अनुपूरक अनुदान का जो प्रस्तुत किया है, विशिष्ट परिस्थितियों में जो खर्चे हैं, उसके लिए है। अगर इसको सब लोग पढ़ लेते तो इसकी आलोचना न होती, बल्कि इसकी तारीफ होती। क्योंकि यहां कोई भी ऐसे माननीय सदस्य नहीं हैं, जो कि भयंकर सूखे के समय शासन का जो पुनीत कर्त्तव्य था, उसकी पूर्ति में जो खर्चे हुए हैं, उसका विरोध करते। बिना इसको कि आगे आगे वाले समय में इसकी स्वीकृति मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सरकार द्वारा सदन की मनोभावनाओं को ध्यान में रखकर यह सारे खर्चे किये गये और उसी का नतीजा यह था कि इस भयंकर सूखे की स्थिति में भी किसी को प्रदेश में भूखों नहीं मरने दिया गया। यहां आलोचना हुई कि जो सड़कें बन रही हैं, कच्ची बन रही हैं। मैं नहीं जानता हूं कि क्या आप पहले डामर लगायेंगे सड़क पर? पहले तो भाई कच्ची सड़क ही बनेगी, उस पर पानी बरसेगा, उसके बाद वह सेट हो जाएगी तब ही उस पर आखिरी पेंटिंग होगी। जो सदस्य उधर से बोल रहे थे, उनकी बात मैं

समझ सकता हूं। क्योंकि उनको पुराने राज्य का बड़ा कटु अनुभव है, जिसमें यह सब बह जाया करती थीं और उनके पक्का होने की कोई नौबत कभी नहीं आती थी। उन्होंने अपने अनुभव के डर की वजह से ऐसा कहा है। 18 करोड़ रुपये का प्राविधान हमने उन सड़कों के लिये जिन्हें बनाया गया है, उनको पक्का करने के लिए किया है और उस पर कार्यवाही शुरू हो गई है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, वरना इस तरह की आलोचना न होती। मैं अब एक खास बात कहना चाहता हूं कि यह जो सूखा पड़ा, इस सूखे के अवसर पर जो यह खाद्यान्न योजना में काम हुआ, उसमें लोगों की क्रय शक्ति देने का हमारी ओर से महत्वपूर्ण काम हुआ है। मान्यवर, मुगलों के जमाने में जब कहर पड़ते थे पोखरे भरे जाते थे और खुदवाये जाते थे, महल बनाए जाते थे और आधे बनने पर उनको गिरा कर उन्हें पुनः बनाया जाता था, केवल इसलिए कि उन पर लोगों को काम मिल सके, लोगों की क्रय शक्ति कायम रखी जा सके। इस वक्त ऐसा तो नहीं था कि खाद्यान्न है या नहीं वह तो काफी स्टाक हमारे पास था। कलकत्ता की सड़कों पर लोग भूखों तड़प-तड़प कर मरते रहे और मिठाई की दूकानें भरी पड़ी रही। हमारा पहला काम था लोगों को क्रय शक्ति देना और जो कार्यवाही हुई उसके अन्तर्गत गरीबों और मुसीबतजूदा लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया गया क्रय शक्ति देकर। इसलिय सड़कों पर मिट्टी डालने का काम बड़ी तेजी के साथ करवाया गया। फिर मान्यवर, मुझे आश्चर्य तब होता है जब रियासत हुसैन साहब जैसे लोग जो पढ़ते है.....

श्री देव बहादुर सिंह—

वह जायज और नाजायज दोनों बातें करते हैं।

श्री मधुकर दिघे—

थोड़ी सहूलियत मैं उनको दे देता हूं। वह हिन्दी पढ़ने में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन रियासत साहब पढ़ते है। पढ़ते समय समझ में गलती हो गयी। यह गलती वही नहीं करते हैं, यह गलती जो 15 साल तक वित्त मंत्री रहे, नारायण दत्त तिवारी, वह भी पढ़ने में गलती करते थे, यह मैंने पिछले बजट के अवसर पर बताया था। मान्यवर, यह जो प्राविधान है उसको ठीक तरह से पढ़ा नहीं गया है। योजना में जो एडीशनेलिटी है, उसका जो प्राविधान होता है उसमें वह पोरशन जो सड़क पर मिट्टी डालने का काम होता है, उसको खाद्यान्न से कराया गया था, वह पैसा बचा है, उसको पुनः हम सड़कों पर इस्तमाल नहीं करेंगे जब तक सदन की इजाजत न मिल जाये। तो यह थोड़ा समझ का फेर है।

श्री गुलाब सेहरा—

जब मिट्टी बह जायेगी तब उस पर खड़न्जा लगाया जायेगा ?

श्री मधुकर दिघे—

यह मैं पहले ही कह चुका हूं। आप मेरे पास आ जायें तो मैं समझा दूंगा मान्यवर, बहुत सी आलोचनायें की गयी। एक आलोचना प्रौढ़ शिक्षा की की गयी है। अगर प्रौढ़ शिक्षा के बारे में पढ़ा होता तो मालूम हो जाता। केन्द्र से जो पैसा मिलन वाला है जो अपने पास से पैसा खर्च किया है और उसकी प्रति पूर्ति होने वाली है, उसकी सैक्शन यहां पर अनुदान द्वारा लेना आवश्यक है, इसलिए उसका प्राविधान किया गया है। जो केन्द्र से मिलने वाला पैसा है उसको हम छोड़ दें, तो कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे। इसके अतिरिक्त एक माननीय सदस्य श्री श्याम सुन्दर गुप्त जी ने बड़ी सेन्टीमेन्टल बात कह दी, इसलिए मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मान्यवर, सन् 1971 के युद्ध में जो महिलाये विधवा हुई थीं उनको आवासीय व्यवस्था करने के सिलसिले में उन्होंने जिक्र किया। एसा

[श्री मधुकर दिघे]

लगता है, कि थोड़ी कम जानकारी के कारण उनसे यह गलती हो गयी है। 400 पात्रों को वह सहायता पहले ही दी जा चुकी है, 312 विधवायें रह गयी हैं। किसी राष्ट्रीय हित में लगे हुए लोग देश के लिए कुर्बानी करते हैं तो फिर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो या लोकदल की सरकार हो, इसका भेदभाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र सभी का है और देश सभी का है। 312 विधवायें रह गयी थीं, उनकी सहायता की गयी है 5000 रुपया की व्यवस्था की गयी है लेकिन उनको यह धन नकद नहीं दिया जारहा है। ऐसी विधवाओं की अज्ञानता का फायदा उठाकर या उनकी परिस्थितियों का फायदा उठाकर उनके परिवार के लोग ऐसे पैसे को खर्च कर देते हैं। इसीलिए ऋण पत्रों द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है, यह तो उनकी सिक्योरिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक से जाना नहीं है, इसलिए गलती की है।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त—

माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बहुत सही कहा कि वे भेद भाव नहीं करते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह रुपया वे विधवाओं को आवासीय सुविधाओं के लिए दे रहे हैं मकानों के बनवाने के लिए या उनकी मरम्मत के लिए तो फिर वे 5 और 7 वर्ष के एन0एस0सी0 का प्राविधान क्यों कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यह है कि आप सहायता तो दे रहे हैं लेकिन यह एन0एस0सी0 के माध्यम से क्यों दे रहे हैं?

श्री मधुकर दिघे—

यह जो व्यवस्था की गयी है, वह केवल इसलिए की गयी है कि बहुत से ऐसे परिवार है, जिनके पास मकान हैं लेकिन वे टूट गये हैं। तो इसलिए उसका विधान भी कर दिया गया है। यदि शब्दावली में कमी हो जाती है तो स्थानीय अधिकारियों को दिक्कत हो जाती है। स्थानीय तौर पर अगर कोई कठिनाई आये उसका निराकरण हो सकता है। नकद पैसा देने पर यह देखा गया है कि कई ऐसी विधवायें शासन के पास रोती हुई आयी हैं कि उनको जो शासन से पैसा मिला था, वह होशियार किस्म के जो लोग है, उन्होंने उस पैसे को उनसे हड़प लिया और जो सहायता हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, वह नहीं पहुंच पायी। इसके पीछे शासन का उद्देश्य यह है कि जो विधवायें पीड़ित है, उन्हीं के पास वह धन पहुंचे।

अभी माननीय गुलाब सेहरा जी ने कहा कि अमरोहा में मरने वालों के आश्रितों के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इन अनुपूरक अनुदानों में तो उस पैसे की व्यवस्था की जाती है जिसके लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है लेकिन जिसके लिए हमारे पास पैसा है, वह तो हम दे ही देते हैं। अमरोहा में हमने 3 व्यक्तियों सर्वश्री शिव राज सिंह, चरण सिंह और नत्था सिंह को 5–5 हजार रुपये दिए हैं।

श्री देव बहादुर सिंह—

आगरा में किस-किस को दिया है?

श्री गुलाब सेहरा—

इस सरकार ने आदमी के जीवन का मूल्य केवल 5 हजार रुपये ही रखा है?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया जो मुख्य-मुख्य बातें यहां पर उठी, उनका जिक्र मैंने कर दिया और कह दिया कि उन्होंने बिना पढ़े अपने-अपने मन की

भावनाओं को प्रदर्शित कर दिया तो उनको तो सम्बन्धित माननीय मंत्री देख लेंगे जो कुल व्यय इसमें निहित है वह 90.84 करोड़ रुपया है लेकिन इसमें से बचतों से पूरा होने वाला 12 करोड़ रुपया निकाल कर शेष 78 करोड़ का खर्चा होगा। लेकिन इसमें भी वह रुपया है जो केन्द्र से प्रतिपूर्ति होगा और जो शेष भार पड़ेगा वह केवल 14.91 करोढ़ का होगा। लेकिन जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि किसी भी वित्तीय वर्ष में अनुपूरक अनुदान लेने की जो प्रथा है। उसमें कई तो वे हैं जो एडजैस्टिंग एन्ट्रीज के मामले हैं जो केन्द्र स सहायता मिलने वाली होती है उसके सम्बन्ध में जो हम अपने पास से खर्चा करते हैं उस पर हमें इस सदन की मोहर लगवानी पड़ती हैं। तो जो खर्चा है वह उन कामों के लिए है जो अपरिहार्य है। एक भी ऐसा खर्चा नहीं है जिसका जिक्र है और वह गैर काननी लरीके से किया गया हो।

यहां पर फसल बीमा योजना के बारे में कहा गया।

फसल बीमा योजना के बारे में भी हमने पहला कदम उठाया है और उसके लिए भी हमने प्राविधान किया है। उसके लिए एक कमेटी भी बनी है। फसल बीमा योजना की जो आपकी इच्छा है हमारी उससे कम नहीं है। उसका इसमें प्राविधान है।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिया है उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी सुझाव उनके मानने योग्य होंगे, जो सलाह मानने वाली होगी, उसको माना जायेगा। हर मंत्रि परिषद् के सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि बजट में जो भी प्राविधान किया गया है वह सही ढंग से जन हित में ही खर्च हो। इन शब्दों के साथ पुनः माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री गुलाब सेहरा—

हरिजन तथा समाज कल्याण के लिए जो अनुदान आपने 8 लाख 45 हजार की मांगी है इसे कम क्यों किया गया है ? इसे तो आपको और बढ़ा कर मांगना चाहिए था।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

1979–80 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या–6 संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री-कर)

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश और आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 6 संस्थागत वित्त विभाग (वृत्तिकर एवं-बिक्री कर) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6–संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति-कर एवं बिक्री कर) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 9–स्वायत्त शासन एवं नगर पालिका विभाग

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9––स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 6,06,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 6,06,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 12—परिवहन विभाग

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 8,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 8,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 18—सचिवालय

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत 1,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21— सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 26,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 26,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस)

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 11,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 11,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 29—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 2,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 2,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 31—नागरिक सुरक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 78,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31—नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत 78,97,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 33—वित्त विभाग (राज्य लाटरी)

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33—वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33– वित्त विभाग (राज्य लाटरी) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय बर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34—शिक्षा विभाग

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34– शिक्षा विभाग केअन्तर्गत 6,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34 –शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 6,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग के अन्तर्गत 5,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–विज्ञान और प्राद्योग विभाग के अन्तर्गत 5,57,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 44—आवास एवं नगर भूमि विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44-आवास एवं नगर भूमि विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग के अन्तर्गत 3,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग के अन्तर्गत 3,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 48—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या 48-हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 8,45,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53--विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह मेहरा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 46,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र के अन्तर्गत 46,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55-कृषि विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55-कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 7,00,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 7,00,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56-कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनदान संख्या 56--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58-- ग्राम्य विकास विभाग

पशुधन मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 2,27,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

अनुदान संख्या 58— ग्राम्य विकास विभाग

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 2,27,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हु आ।)

अनुदान संख्या 59—पंचायती राज विभाग

पशुधन मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 1,36,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 1,36,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 61--क्षेत्रीय विकास विभाग

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं। कि अनुदान संख्या 61--क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 13,01,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61-क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत 13,01,67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य मंत्री (श्री मलिखान सिंह)--

मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 7,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 7,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 63-पशुधन विभाग

पशुधन मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 21,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 66--वन विभाग

वन मंत्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66--वन विभाग के अन्तर्गत 9,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66--वन विभाग के अन्तर्गत 9,00,000 पये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 69--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहन सिंह)---

मान्यवर, आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश यह से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 69--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69--उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 72--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 13,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 13,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 1,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 1,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 77—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,07,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 78—सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78—सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) के अन्तर्गत 25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78—सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान) के अन्तर्गत 25,000 रुपये का अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 82—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 66,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82—सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 66,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनूदान संख्या 85--ख गृह (पुलिस) विभाग--पूंजीगत परिव्यय

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 85-ख-गृह (पुलिस) विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85---ख-गृह (पुलिस) विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 52,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 52,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 89--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89-सहकारिता विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 17,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89--सहकारिता विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 17,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह मेहरा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90--विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 19,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90-विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 19,56,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 94-संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94-संस्थागत वित्त बिभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 54,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94--संस्थागत वित्त-विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 54,25,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 98-ग्राम्य विकास-पूंजीगत परिव्यय

पशुधन मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98--ग्राम्य विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदानसंख्या 98--ग्राम्य विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 105- सिंचाई विभाग निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 105--सिंचाई विभाग निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 4,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 107-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री प्रदीप कुमार यादव)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 107-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 6,48,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 107-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तगत 6,48,37,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 111—शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अशोक बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 111—शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 111—शिक्षा—विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 114—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम

आवास राज्य मंत्री (श्री भगौती सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 114—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 114—आवास विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 35,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 115—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम

राजस्व मंत्री (श्री मोहम्मद मसूद खा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 115—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 5,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 115—राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 5,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मोहन सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 117—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,30,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979—80 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 118––विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र–ऋण और अग्रिम

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री गोविन्द सिंह मेहरा)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 118–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 30,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 118–विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 30,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 121––उद्योग विभाग(चीनी उद्योग) ऋण और अग्रिम

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)– ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 4,95,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121–उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 4,95,76,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 122––सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122–सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 12,14,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122–सहकारिता विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 12,14,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 123– कृषि विभाग– ऋण और अग्रिम

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या 123–कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 8,39,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 123–कृषि विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 8,39,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979–80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 125---पशुधन विभाग- ऋण और अग्रिम

पशुधन मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 125-पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 15,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 125-पशुधन विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 15,68,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 128---वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 128-वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 128-वित्त विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1979-80 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

विधेयक की प्रतियां बांट दी जायं।

श्री मधुकर दिघे---

मान्यवर, पुरःस्थापित करने के बाद बांट दी जायं।

श्री उपाध्यक्ष---

पुरःस्थापित कर दीजिये

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग 1979–80 का (द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं।)

श्री मधुकर दिघे—

(कुछ देर उपरान्त) मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979-80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980

31 मार्च, 1980 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1980 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1979-80 के लिए 78,14,02,000 रु0 का दिया जाना।

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1980 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 78,14,02,000 रु0 (अठत्तर करोड़ चौदह लाख दो हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1980 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

1	2	3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु0	रु0	रु0
6	संस्थागत वित्त विभाग (वृत्ति कर एवं बिक्री कर)	2,000	..	2,000
9	स्वायत्त शासन एवं नगर-पालिका विभाग	6,06,29,000	..	6,06,29,000
12	परिवहन विभाग	8,80,000	..	8,80,000
18	सचिवालय ..	1,24,000	..	1,24,000
19	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1,000	..	1,000
21	सामान्य प्रशासन तथा तथा अन्य विभाग	26,56,000	..	26,56,000
24	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	17,000	17,000
26	गृह विभाग (पुलिस)	11,99,000	12,000	12,11,000
29	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	2,51,000	..	2,51,000
31	नागरिक सुरक्षा विभाग	78,97,000	..	78,97,000
33	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	1,000	..	1,000
34	शिक्षा विभाग	6,000	12,000	18,000
35	प्राविधिक शिक्षा विभाग	1,000	..	1,000
38	विज्ञान और प्रौद्योग विभाग	5,57,000	..	5,57,000
39	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	5,000	..	5,000
44	आवास एवं नगर भूमि विभाग	1,000	1,000	2,000
45	सूचना विभाग	3,70,000	..	3,70,000
48	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	8,45,000	..	8,45,000
52	सहकारिता विभाग	1,000	..	1,000
53	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षत्र	46,44,000	..	46,44,000
55	कृषि विभाग (कृषि)	7,00,03,000	..	7,00,03,000
56	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	37,000	..	37,000

अनुसूची—(क्रमश:)

1	2	3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
		रु0	रु0	रु0
58	ग्राम्य विकास विभाग	2,27,06,000	50,00	2,27,56,000
59	पंचायती राज विभाग	1,36,00,000	..	1,36,00,000
61	क्षेत्रीय विकास विभाग	13,01,67,000	..	13,01,67,000
62	खाद्य तथा रसद विभाग	7,000	..	7,000
63	पशुधन विभाग	21,80,000	..	21,80,000
66	वन विभाग	9,00,000	3,40,000	12,40,000
69	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	2,000	..	2,000
72	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य-राजस्व लेखा)	13,00,000	..	13,00,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	1,80,000	..	1,80,000
77	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2,07,000	..	2,07,000
78	सार्वजनिक निर्माण विभाग (सहायक अनुदान)	25,000	..	25,000
82	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	66,29,000	..	66,29,000
85-ख	गृह (पुलिस) विभाग– पूंजीगत परिव्यय	95,000	..	95,000
87	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	52,51,000	17,000	52,68,000
89	सहकारिता विभाग–– पूंजीगत परिव्यय	17,27,000	..	17,27,000
90	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	19,56,000	..	19,56,000
94	संस्थागत वित्त विभाग– पूंजीगत परिव्यय	54,25,000	..	54,25,000
98	ग्राम्य विकास विभाग– पूंजीगत परिव्यय	30,00,000	..	30,00,000

अनुसूची—(समाप्त)

1	2	3		
अनुदान / क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
105	सिंचाई विभाग (निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)	4,000	..	4,000
107	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	6,48,37,000	..	6,48,37,000
111	शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम	1,50,00,000	..	1,50,00,000
114	आवास विभाग—ऋण और अग्रिम	35,00,000	..	35,00,000
115	राजस्व विभाग—ऋण और अग्रिम	5,20,00,000	..	5,20,00,000
117	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम	3,30,00,000	..	3,30,00,000
118	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—ऋण और अग्रिम	30,30,000	..	30,30,000
121	उद्योग विभाग (चीनी उद्योग)—ऋण और अग्रिम	4,95,76,000	..	4,95,76,000
122	सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम	12,14,72,000	..	12,14,72,000
123	कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम	8,39,99,000	..	8,39,99,000
125	पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम	15,68,000	..	15,68,000
128	वित्त विभाग—ऋण और अग्रिम	75,00,000	..	75,00,000
	योग .	78,09,53,000	4,49,000	78,14,02,000

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1979–80 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन को भंग न किये जाने संबंधी प्रस्ताव लाने के संबंध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

हमने एक निवेदन किया था सुबह और आप ने कहा था कि आज्ञा देंगे। मैं समझता हूं अपनी व्यवस्था दे दें क्योंकि इस के पहले कोई कार्यवाही हो। हमने प्रस्ताव किया है कि नियमों का निलम्बन करक हमारा प्रस्ताव लिया जाय। आपकी आज्ञा चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

एक प्रस्ताव जिस पर मेरी अनुमति मांगी गयी थी वह सर्वं श्री श्यामधर मिश्र, शतरुद्ध प्रकाश, हरिशचन्द्र, राम आसरे वर्मा, राजेन्द्र कुमार, देव कुमार यादव ने दिया था। उनका प्रस्ताव यह था कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस सदन को भंग करने का कोई औचित्य नहीं है" इस के बारे में मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। इस को मैंने देख लिया है और यह केवल सदन के विचार की बात है। इसलिये इस को मैंने ग्राह्य किया। संविधान सभा का वाद-विवाद खंड 8 के पेज 107 पर है। इस प्रकार भारत संघ का राष्ट्रपति सदन की भावनाओं को ज्ञात करेगा कि सदन विघटन से सहमत है या सदन को विघटित किये बिना किसी अन्य नेता के साथ अपने कार्यों का संचालन करे। यदि वह इस निश्कर्षं पर पहुंचे कि विघटन के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है तो वह वैधानिक राष्ट्रपति होने के कारण निसंदेह प्रधान मन्त्री द्वारा दिये गये विघटन का परामर्श स्वीकार करेगा। डा0 अम्बेदकर ने, जब संविधान सभा चल रही थी अगर विघटन सम्बन्धी अध्याय विचाराधीन था तब लोक सभा मे अपने यह विचार व्यक्त किये थे। मैं इस प्रस्ताव को ग्राह्य करता हूं और इस पर चर्चा के लिये कल मौका दूंगा विधेयकों के बाद।

प्रदेश में मतदाता सूची संशोधित करके चुनाव कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को लिये जाने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

दूसरा प्रस्ताव मेरा था.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको ले रहा हूं।.....

दूसरा प्रस्ताव सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्यामधर मिश्र, शतरुद्र प्रकाश, हरिशचन्द्र तथा राम आसरे वर्मा का है। "इस सदन का निश्चित मत है कि वर्तमान त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची को संशोधित करके ही कोई आगे नये चुनाव कराने की चुनाव आयोग स्वीकृति प्रदान करे।" इस प्रस्ताव की भाषा से यह स्पष्ट नहीं होता कि किस क्षेत्र की मतदाता सूचियां त्रुटिपूर्ण हैं और

[श्री उपाध्यक्ष]

इस कारण से यह अनिश्चित है । इसके अतिरिक्त इसका विषय मुख्यतया भारत के निर्वाचन आयोग के कृत्यों से सम्बन्धित है, अतः उस पर राज्य विधान सभा में चर्चा किया जाना उचित नहीं होगा । इसलिये उपर्युक्त कारणों से मैं इसको अस्वीकार करता हूं और इसको पेश करने की अनुमति नहीं देता ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

विधान सभा इसको स्वीकार करने के लिये सक्षम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह विषय यहां का नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ऐसी परम्परा यहां रही है । चीन के आक्रमण के समय इस आदरणीय सदन ने प्रस्ताव पारित किया था ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह दूसरा विषय है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

आपने दूसरा प्रस्ताव अग्राह्य किया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरे वाले को अग्राह्य किया है और इस पर अब चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जो कल के लिये ग्राह्य किया है उसे आज ले लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह कल ही लिया जायगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या कल के लिये आप गारन्टी दे सकते हैं कि कल तक विधान सभा रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मान सिंह आजाद--

जनता ने हमको चुन करके भेजा है अगर इस बात को हम विधान सभा में नहीं लायेंगे तो कौन लायगा । हरिजनों का नाम लिस्टों से गायब था उसकी चर्चा यहां होना आवश्यक है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मान सिंह आजाद जी, मैं कई मर्तबा आपको टोक चुका हूं । आप हर विषय के ज्ञाता हैं लेकिन इस तरह व्यवधान डालना उचित नहीं है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज 5 सूचनायें मेरे पास आई है। श्री ऊदल ने दिनांक 29-1-80 को वाराणसी-भटनी पैसेन्जर ट्रेन नं0 254 मे सादात रेलवे स्टेशन पर बदमाशों द्वारा मन्त्रियों के सामान को लूटने तथा उन्हें मारने के सम्बन्ध में सूचना दी है। इसको मैंने स्वीकार किया है और इस पर 8 तारीख को वक्तव्य होगा।

दूसरी सूचना श्री राम सजीवन ने बांदा जिले में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दी है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है और यह भी 8 तारीख को आयेगा।

तीसरी सूचना श्री मंजूर अहमद ने स्वायत्त शासनी संस्थाओं में भिश्तियों के पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम द्विवेदी तथा श्री श्रीनारायण की लखनऊ में चौक थाने की पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के संबंध में है और पांचवीं सूचना सर्वश्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा हरि केवल प्रसाद की गोरखपुर जिले के उपनगर में हरिजन को जलाये जाने के बाद मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इन सबको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अस्वीकार तो आपने कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष--

अस्वीकार करने के बाद भी आपकी सूचना को जांच के लिये मन्त्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

जांच के माने क्या हुआ? जब यह प्रोसीडिंग्स में आ गया तो इसे हाउस में आना चाहिये।

(व्यवधान)

बांदा जिले के कर्वी तहसील में थाना कमासिन के अन्तर्गत जमींदारों एवं सामन्तों द्वारा हरिजनों पर गोली चलाये जाने की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

प्राविधिक शिक्षा राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-1-80 को श्री परगवा, पुत्र चहला, निवासी ग्राम बीरघुमाई जनपद, बांदा ने थाना कमासिन पर यह सूचना अंकित कराई कि उसके गांव के पण्डित देवगुलाम ने 3-4 दिन पहले उससे काम करने के लिए कहा था किन्तु कम मजदूरी देने के कारण उसने काम करने से मना किया। इसी कारण दिनांक 12-1-80 को लगभग 4 बजे दिन जब वह व उसका भाई सिधुवा तथा बिजइया अपने खेत में घास छील रहे थे देव गुलाम लाठी लिये, मनीशंकर रायफल लिये, रवीशंकर व सुशील लाठियां लिये, जानेश्वर बन्दूक लिये, राजेन्द्र व प्रभु उर्फ प्रेम लाठियां लिये तथा जुगरात सिंह लाठी लिये आ गये व जान से मारने की नियत से हमला किया जिससे वादी के भाई सिधुवा को छर्रे तथा लाठी की चोटें तथा वादी के पिता चहला को लाठियों की चोटें आई हैं। इस सूचना पर थाने पर धारा 147/148/149/307/323 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत हुआ और घायलों को चिकित्सा हेतु सदर अस्पताल, बांदा भेजा गया। थानाध्यक्ष तथा क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंच कर उक्त अभियुक्तों में से एक अभियुक्त प्रेम को गिरफ्तार किया, दूसरा अभियुक्त राजेन्द्र 14-1-80 को गिरफ्तार किया गया। अन्य सभी अभियुक्तों ने 16-1-1980 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उन्हें जेल भेजा गया। मामल की विवेचना अभी प्रचलित है। इस सम्बन्ध में अभियुक्तों के आग्नेयास्त्र के लाइसेंस निलम्बित किये जा चुके

[श्री सत्यदेव त्रिपाठी] —

हैं। घायल व्यक्तियों की राजकीय चिकित्सालय में सुचारु रूप से चिकित्सा की जा रही है और उनकी दशा गम्भीर नहीं है। शांति-व्यवस्था के उद्देश्य से ग्राम में सशस्त्र पुलिस गार्ड भी तैनात है। हरिजनों की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम के 25 सवर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। यह सही नहीं है कि जिला प्रशासन अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके फलस्वरूप उक्त घटना घटित हुई है। हरिजनों द्वारा गांव छोड़कर भागने तथा उन्हें मारने की साजिश किये जाने की बात सही नहीं पाई गई है। अभी तक कोई ऐसी बात प्रकट नहीं हुई है कि अपराधियों को किसी राजनैतिक दल का संरक्षण प्राप्त है।

माननीय श्री राम सजीवन द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना के प्रत्युत्तर के संदर्भ में उन्होंने जो बातें उठाई थीं, उसके सम्बन्ध में पुनः जिले से छानबीन की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार मामले की जांच हेतु तत्कालीन क्षेत्राधिकारी दो बार क्रमशः 14-7-79 तथा 31-7-79 को ग्राम वीरघुमाई गये थे जहां उन्होंने गांव के हरिजनों, चमारों तथा सवर्णों आदि को बुलाकर प्रत्येक से अलग अलग पूछतांछ की थी और जांच से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कतिपय लोगों द्वारा वर्ग संघर्ष पैदा कराने का प्रयास किया जा रहा था किन्तु क्षेत्राधिकारी के प्रयासों से दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया था।

मान्यवर, इस वक्तव्य के बाद मैं इसमें एक सूचना और जोड़ना चाहता हूं जो कि मुझे अभी रेडियोग्राम से सूचना प्राप्त हुई है और वह यह है कि इस मामले में सिधवा नामक जो व्यक्ति घायल हुआ था जिसको छर्रे लगे थे उसको 1 हजार रुपये की सहायता दिये जाने के आदेश शासन द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री राम सजीवन (जिला-बांदा)—

मान्यवर, इस काण्ड में हरिजनों के ऊपर अत्याचार हुआ है और ऐसे ही एक मामले को मैंने नियम 301 के अन्तर्गत 3 सितम्बर को भी उठाया था और मुख्य मंत्री जी से जो लिखित उत्तर मुझे प्राप्त हुआ था उसमें यह कहा गया था कि वहां पर हरिजनों में आपस में दो गुट हैं वह वहां पर झगड़ा कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हरिजनों में जो दो गुट होने की बात कही गई है वह इस हमले के बाद साबित हो गई कि वहां पर मजदूर बंधुवा मजदूरी से मुक्ति चाहते हैं और इसी वजह से सवर्णों ने उन पर गोली चलाई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्राधिकारी ने आपको गलत सूचना भेजी उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

यह जो मुख्य मन्त्री जी ने पत्र लिखा है जो विधायक जी को गया है उसमें यह कहीं नहीं लिखा है वह मेरे पास है कि हरिजनों के दो गुटों की बात जो आप बता रहे हैं। बल्कि मुलजिमों के खिलाफ 29-6-79 को बाजाप्ता निरोधात्मक कार्यवाही की गई जिसमें यह 6 मुलजिम भी सरीक कर दिये गये।

श्री राम सजीवन—

आपने जो उत्तर दिया उस पत्र को शायद आपने ठीक से पढ़ा नहीं। खैर उसको मैं छोड़ देता हूं। दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि शासन स्तर पर उस गांव के हरिजनों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही हुई? क्योंकि उस दिन भी मैंने कहा था कि एस० पी० और क्षेत्राधिकारी स्वयं सवर्णों से मिल कर अत्याचार कर रहे हैं।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, वहां के लिए पुलिस गारद की वहां व्यवस्था की गई है। सितम्बर से ही ग्राम वीर घुमाई में कार्यवाही शुरू कर दी थी।

श्री रियासत हुसैन (जिला—मुरादाबाद)—

मान्यवर, इस वक्तव्य से साफ जाहिर होता है कि यह मामला बांडेड लेबर का और कम मजदूरी देने का है। तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना से पहले किसी किस्म की रिपोर्ट थाने में हरिजनों ने अंकित की है ? यदि की है, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी क्योंकि पहले ऐसी कोई रिपोर्ट दर्ज हुई या नहीं इसकी जानकारी इस समय नहीं है।

श्री देव कुमार (जिला—बांदा)—

मान्यवर, इस केस के सम्बन्ध में बांदा में कुछ सूचना बताई थी कि इन मजदूरों के गुप्तांगों में चोट की गई। तो क्या इस बारे में जांच की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है। यह सधुवा और बिजइया की रिपोर्ट में कहीं ऐसा नहीं है।

श्री राम सजीवन—

इस शासन को जिला के पुलिस अधिकारी जो लिख कर भेज देते हैं उसे ही यहां पढ़ देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने गारद लगा दी तो वह गारद भी उन्हीं हरिजनों से खाना और मकान में रहने के लिए प्रबन्ध करने के लिए कहते हैं। उन बेचारों ने किसी प्रकार प्रबन्ध कर दिया। लेकिन उसके रहते हुए भी हरिजनों पर गोलियां चलाई गईं। उनको खदेड़ कर मारा गया। तो इसके लिए किसी को दोषी आप मानते हैं कि नहीं? यह किस की लापरवाही से हुआ जो हरिजनों की रक्षा नहीं कर सके। इसके लिए कौन दोषी है उनक खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है उसमें है कि वह लोग खेत में काम कर रहे थे। गारद गांव में थी। गांव में कोई हमला नहीं हुआ। खेत में जहां यह तीनों काम कर रहे थे, हमला हुआ। मैंने कहा कि उन मुलजिमान के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही कर दी गई जिसमें यह 6 मुलजिम भी शामिल हैं। अगर गांव में यह घटना होती तो जो थाने के कर्मचारी थे उनके विरुद्ध कार्यवाही होती।

श्री देव कुमार—

मंत्री जी ने कहा कि गांव में यह घटना नहीं घटी जंगल में घटना घटी। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि जो गारद थी वह भी उन लोगों से मिले हुए थे। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ड्युटी के सरदार थे या गार्ड्स थे, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है या नहीं ? और नहीं हुई, तो क्या छानबीन कराकर उनको आप दंडित करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इसकी आपको जानकारी है कि जो रक्षा के लिए रखे गये थे, उनके खिलाफ पीड़ित लोगों ने कोई शिकायत की है ?

श्री देव कुमार---

संरक्षण के लिए वह लोग रखे जाते हैं और उनके होते हुए भी यदि ऐसी बात हुई तो वह निश्चित रूप से दोषी हैं। इससे स्पष्ट है कि इनकी उन लोगों के साथ मिलीभगत थी। तो क्या इसकी जांच कराकर उनको दोषी पाये जाने पर वह उनको सजा देंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

इस तरह की कोई शिकायत होगी तो अवश्य दण्ड देंगे।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)---

उनके वक्तव्य के अन्त में साफ लिखा हुआ है कि 14-7-79 तथा 31-7-79 को ग्राम वीरघुमाई गये थे जहां उन्होंने गांव के हरिजनों, चमारों तथा सवर्णों आदि को बुलाकर प्रत्येक से अलग-अलग पूछतांछ की थी और जांच से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कतिपय लोगों द्वारा वर्ग संघर्ष पैदा न कराने का प्रयास किया जा रहा था किन्तु क्षेत्राधिकारी के प्रयासों से दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया था। तो यह समझौता क्या था और किस आधार पर था ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

इसमें समझौता आपस में था, मेल मिलाप से रहने के लिए था। यह किया गया कि आपस में मिलजुल कर रहें और यह क्षेत्राधिकारी ने बुलाकर कराया था और दोनों पक्ष उस समझौते से सहमत थे।

श्री गुलाब सेहरा---

12-1-80 को यह घटना हुई और समझौता 14-7-79 को कराया गया, तो क्या वह समझौता लिखित में था ? और क्या उसके बावजूद यह घटना हो गई? यदि हो गई, तो कैसे हो गई ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब वह दे चुके हैं।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
5 फरवरी, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 616 पर)

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10–7–79 की रात्रि में 10–12 बदमाशों के एक गिरोह ने बुन्देलखंड एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में बैठे यात्रियों जिसमें 3 फ्रांसीसी महिलायें भी सम्मिलित हैं, को डरा धमका कर डिगवाही एवं सुरहण्ड रेलवे स्टेशन के मध्य लूट लिया। दस्यु दल खुरहण्ड स्टशन के पहले ही सामान लेकर भाग गये।

इस घटना के संबंध में थाना जी0 आर0 पी0 बांदा पर मुकदमा अपराध संख्या 62 अन्तर्गत धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत करक विवचना आरम्भ की गई। अभी तक की विवेचना से 6 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आये, जिसमें से 4 अभियुक्त अच्छे लाल, महेश सुरेश व सत्य नरायन बन्दी बनाये गये तथा अभियुक्त विष्णु ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। अभियुक्तों के कब्ज से 3,200 रु0 की कीमत की लूटी हुई सम्पत्ति भी बरामद की गई। अभियुक्तगण अच्छे लाल, महेश, सुरेश व सत्यनारायन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। प्रकाश में आये अभियुक्त नत्थू की गिरफ्तारी व शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु कार्यवाही की जा रही है।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 624 पर)

1–6–79 से 30–11–79 की अवधि में थाना नगरा बलिया पर प्रश्न में उल्लिखित अपराधों का विवरण

थाना	अपराध	मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गई	मामलों की संख्या जिनमें चालान किया गया व न्यायालय के विचाराधीन है।	मामलों की संख्या जिनमें विवेचना हो रही है।	जो लापता रहे
1	2	3	4	5	6
नगरा	1–चोरी	20	1	10	9
	2–डकैती	1	..	1	..
	3–कत्ल	..	..	..	..
	4–बैल चोरी	2	1	..	1
	5–हरिजन उत्पीड़न की घटना।	3	1	2	..

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 630 पर)

थाना नरहौली जिला मथुरा के अन्तर्गत 1/2 जुलाई, 1979 को मथुरा गोबर्धन मार्ग पर रात्रि के समय श्री श्याम लाल पुत्र श्री राम कुमार महावर के परिवार के सामान की लूट की बरामदगी के सम्बन्ध में सूचना:—

तालिका

क्रम-सं0	माल की बरामदगी का दिनांक	अभियुक्त का नाम पता	बरामद माल का विवरण
1	2	3	4
1	30-7-79	चकलेश्वर सिंह, थाना गोबर्धन, मथुरा ।	एक साड़ी, एक शाल
2	18-7-79	श्रीमती गजना पत्नी हरदेवा ठाकुर, थाना शेरगढ़, मथुरा	चूड़ी सोने की नग 2 बजनी करीब ढाई तोला, अंगूठी नग 2 सोने जैसी धातु की नगदार, एक अंगूठी सोने की नगदार ।
3	1-8-79	खेमन, थाना बृन्दावन, मथुरा	2 चूड़ी सोने की नग दो बजनी करीब, ढाई तोला ।
4	26-7-79	श्रीमती गया देवी, पत्नी सुखन ठाकुर, थाना शेरगढ़ ।	एक टोपी रंग हल्का कत्थई, एक कच्छा बुना हुआ नाइलोन नीली पीली काली धारीदार, एक बुशर्ट टेरीकाट पूरी आस्तीन, एक रुमाल रंग कत्थई सफेद छींटदार, एक बक्सा तथा एक ताला लोहा मय चाबी ।
5	26-7-79	श्रीमती मल्लो पत्नी अमीरा ठाकुर, थाना शेरगढ़, मथुरा	एक कटोरी स्टील, एक बुशर्ट हाफ आस्तीन टेरीकाट रंग हल्का सिलेटी, सफेद धारीदार, एक पैण्ट गहरा हरा सिलेटी टेरीवूल, नकद दो हजार रुपये सौ-सौ के नोट, एक ताला चाबी ।
6	28-7-79	श्रीमती विस्सो पत्नी किसनी ठाकुर, थाना शेरगढ़ ।	एक बक्सा, एक ब्लाउज पीस रुविया एक साड़ी जनानी जारजट रंग गुलाबी सुनहरी तार सितारों की कढ़ी, एक साड़ी उली रंग नारंगी सुनहरी तार सितारों की कढ़ी, एक जनानी साड़ी रंग नारंगी सफेद धागे की कढ़ाई, एक साड़ी अमेरिकन जार्जट रंग हरा बार्डर लाल सफेद काला पीले सूत की कढ़ाई ।

1	2	3	4
7	5-10-79	मोहन श्याम, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा ।	एक हार प्लैटिनम जिसकी चेन टूटी, जिसकी लम्बाई 19 अंगुल जिसमें एक ओर पन्डिल लगा, जिसमें 14 हीरे जुड़े हैं, तथा दूसरा पेन्डिल जंजीर से टूटा हुआ, जिसमें 14 हीरे जुड़े हैं । उक्त हार का अनुमानित मूल्य करीब 35 हजार रुपये है । अंगूठी टाप्स जैसी शक्ल में तारे नुमा जिसमें 32 हीरें लगे हैं, प्लैटिनम धातुकी बनी टाप्स प्लैटिनम धातु की तारे जैसी शक्ल में दो अददजिनमें 32-32 हीरे लगे हैं ।

उपरोक्त हार दिनांक 27-11-79 को सदर मालखाना में दाखिल किया गया जो उसी समय से न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का उत्तर पीछे पृष्ठ 633 पर)

पम्पलेट में लगाये गये आरोपों का का संक्षिप्त विवरण	जांच का निष्कर्ष
1—दिनांक 23-10-78 को उपअरण्यपाल दक्षिणी वन प्रभाग गोण्डा के नाजायज हरे आम की बाग कटते समय माल व औजार थानाध्यक्ष रेहरा को दिया। थानाध्यक्ष ने रिश्वत ले कर औजार वापस कर दिया और माल को कानपुर में बेच दिया। वन विभाग के अनुरोध के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गयी।	1—प्रश्नगत मामले में विधिवत मुकदमा कायम होकर चालान हुआ। अभियुक्त को न्यायालय से दंडित किया जा चुका है।
2—दिनांक 28-1-78 को तेंदुवा बीट से चोरी गई लकड़ी थाने के पास से ही बरामद हुई लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।	2—यह लकड़ी न विभाग द्वारा बरामद कर अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है। थानाध्यक्ष पर लगाये गये आरोप सही नहीं पाए गए।
3—कच्छर असरखपुर में भगवान दत्त जायसवाल के यहां डकैती पड़ी लेकिन मुकदमा फौजदारी में दर्ज किया गया।	3—दिनांक 9-8-78 को श्री मोतीलाल साकिन कन्धर असरखपुर ने लिखित सूचना जगदीश आदि 8 व्यक्तियों के विरुद्ध दी थी जिसके आधार पर धारा 147/323/504/506 भा0 द0 वि0 कायम हुआ जिसमें आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है और अदालत से सभी अभियुक्त मुक्त कर दिये गये।
4—रामदास मौर्य बजह हृदय नगर का मकान उनके दुश्मनों ने खोद दिया था। थानाध्यक्ष को सूचना देने के बाद भी मुकदमा कायम नहीं हुआ	4—इस मामले में 13-3-78 का लिखित तहरीर देना सत्यापित न हो सका। वादी के तहरीर दिनांक 8-3-79 पर प्रश्नगत घटना के संबंध में एक मुकदमा भा0 द0 वि0 की धारा 436 के अन्तर्गत कायम किया गया था जिसमें विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय भेजी जा चुकी है।
5—हरे आम की बाग कटने के संबंध में थानाध्यक्ष, परगनाधिकारी उतरौला एवं डी0 एफ0 ओ0 गोण्डा को सूचना दी गयी जिस पर एस0 डी0 एम0 पी0, ने एस0 डी0 एम0 उतरौला द्वारा मजिस्टीरियल जांच भी करायी है।	5—यह बताया गया है कि तत्कालीन एस0 डी0 ए0 उतरौला द्वारा जांच की गयी थी। जांच से आरोप सत्य नहीं पाये गये। भविष्य सहायता देने के लिये एस0 डी0 एम0 के सुझाव पर थानाध्यक्ष रेहरा श्री बी0 पी0 सिंह को चेतावनी दी जा चुकी है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 635 पर)

1 मार्च, 1979 से 15-12-1979 तक सीतापुर जिले में थाना स्तर पर घटित कत्ल, डकैती, राहजनी के अपराधों की स्थिति ।

नाम थाना	अपराधों के प्रकार		
	कत्ल	डकैती	राहजनी
1	2	3	4
कोतवाली	1	3	10
रामकोट	10	4	9
मिश्रिख	7	7	10
महोली	5	2	17
पिसांवा	4	2	3
संघना	5	3	7
लहरपुर	10	2	7
हरगांव	7	3	0
खैराबाद	3	1	17
तालगांव	8	2	6
सिधौली	7	3	9
कमलापुर	6	1	12
महमूदाबाद	4	..	15
रामपुरमथुरा	2	..	6
विसवां	11	3	1
सदरपुर	2	..	4
रामपुरकलां	3	3	3
साथगांव	3	1	4
तबकरन	4	2	4
तम्बौर . ..	6	1	1
योग ..	108	43	144

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0-21 विधान सभा 22-5-80-(587)-1980-835(प्रो0)।